खण्ड-260, अंक-1
सोमवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(6 सितम्बर, 1965 ई0)

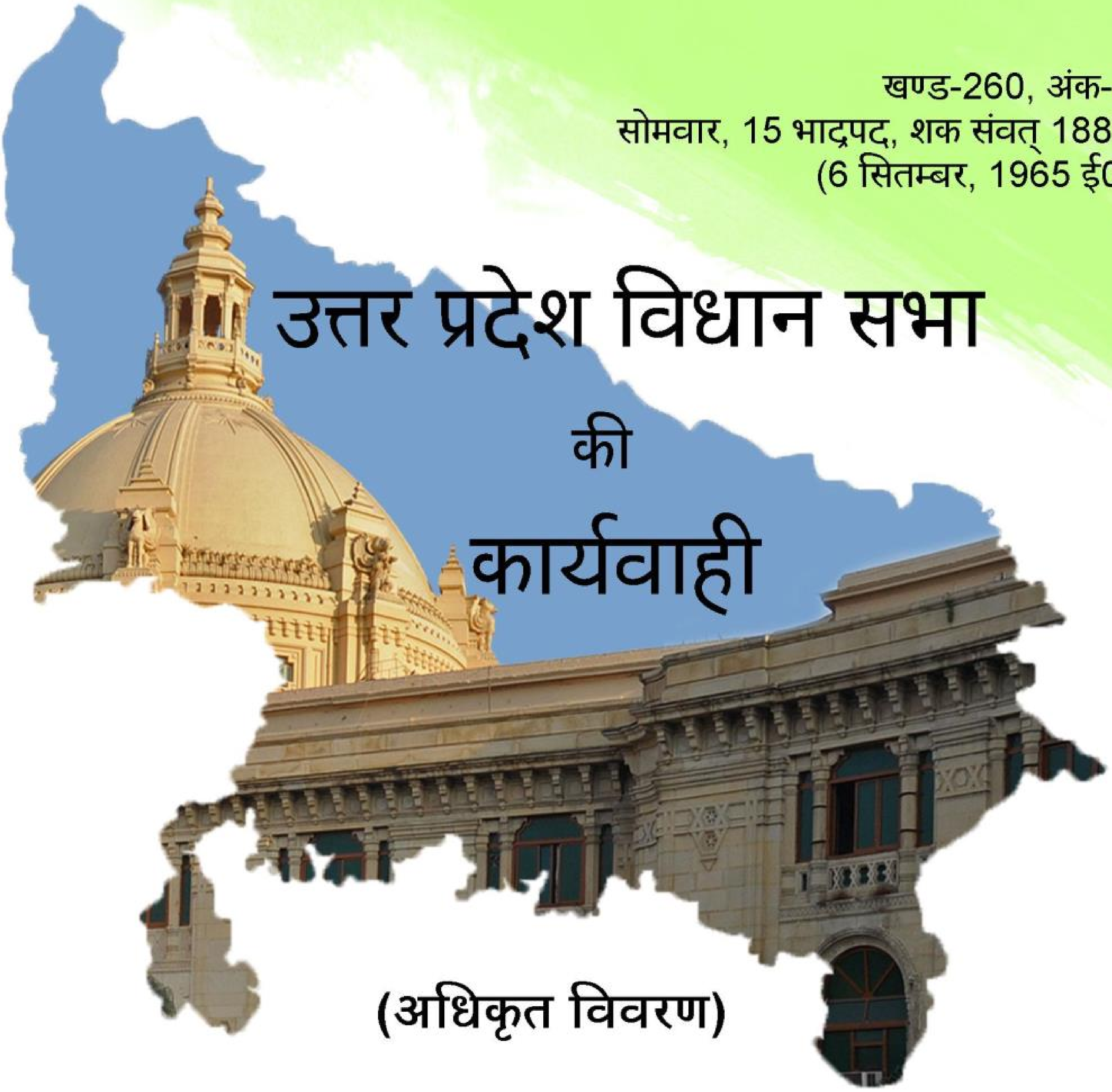

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
तिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नाथाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगल देव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनार्यसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतरामशर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विजयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैद्यनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसुपति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुक्लचन्द मजदूर, श्री
शुक्लचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ६ सितम्बर, १९६५

अल्पसूचित तरांकित प्रश्न

आदिम जातियों से सम्बन्धित लूकर कमेटी

**१---श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री मुन्नू सिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा गठित लूकर कमेटी उत्तर प्रदेश के हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दशा जानने के लिए दिनांक ५ अगस्त, १९६५ को लखनऊ आई थी, यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर जाकर हरिजनों के प्रतिनिधियों से जानकारी की थी ?

समाजकल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां। यह समिति राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को आदिम जातियों के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्तावों की समीक्षा करने व अनुसूचित जातियों की सूची को वैज्ञानिक ढंग से जांच करके और अधिक सरल बनाने के लिए सम्बन्धित शासकीय अधिकारियों से परामर्श करने आई थी। अतएव, इस समिति का हरिजनों के प्रतिनिधियों से मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

**२—श्री रामअधार कनौजिया (अनुपस्थित), श्री मुन्नूसिंह (अनुपस्थित), श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित), श्री मंगलप्रसाद आर्य (अनुपस्थित), चौधरी अब्दुल हसीब खां (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि लूकर कमेटी की मंशा उत्तर प्रदेश की परिगणित जाति की सूची से चमार, पासी, धोबी समाज को निकालने की थी तथा प्रान्तीय सरकार ने इन तीनों वर्गों को सूची से निकालने की सिफारिश भी की है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। शासन की ओर से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई।

**३—श्री रामअधार कनौजिया (अनुपस्थित), श्री मुन्नूसिंह (अनुपस्थित), श्री प्रेमसिंह (अनुपस्थित), श्री मंगलप्रसाद (अनुपस्थित), चौधरी अब्दुल हसीब खां (अनुपस्थित) तथा श्री खेमचन्द्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में पासी, चमार, धोबी समाज में प्रत्येक की कौन-कौन उपजातियां हैं?

डाक्टर सीताराम—

उपजातियों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०८–१०९ पर)

गुड़ विकास योजनान्तर्गत छटनी

**४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें पता है कि प्रदेश मे चालू गुड़ विकास योजना प्रायः समाप्त की जा रही है और इस प्रकार के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं जिससे प्रदेश की इस योजना के सेवारत कर्मचारी प्रभावित होकर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं? यदि हां, तो योजना समाप्त करने का आधार क्या है, तथा बेरोजगार हो रहे सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां। राजकीय व्यय में बचत की दृष्टि से केवल वह गुड़ योजना, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में केवल १ लाख ३० हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध है, की समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी आदेश दिया गया है कि जहां तक सम्भव हो, कर्मचारियों की तुरन्त छटनी न की जाय बल्कि भविष्य में जो स्थान रिक्त हो या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नए पद स्वीकृत किए जायं या अन्य ऐसे पद जो रिक्त हों उन पर उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय बशर्ते कि वे इन पदों के योग्य हों।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फतेहपुर जिले में रद्द की गयीं खाद्यान्न की दुकानें

*१--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में सन् १९६४ के प्रारम्भ में कितने सस्ते गल्ले व चीनी की दूकानें खोली गयीं और उनमें से कितनी-कितनी दूकानें किन आरोपों में कब-कब रद्द की गई हैं ?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

फतेहपुर जिले में सन् १९६४ के प्रारम्भ में शकर की एक अस्थाई दूकान खोली गई थी और गल्ले की १६४ दूकानें खोली गई थीं। जो दूकान रद्द की गई हैं उनका ब्योरा वांछित सूचना सहित संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११० पर)

*२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के जिन व्यक्तियों की सस्ते गल्ले अथवा चीनी की दूकानें जिन आरोपों से रद्द की गई हैं उनके सम्बन्ध में क्या अदालती कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन में क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जब एक बार दुकान रद्द कर दी गई तो उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो १६४ दुकानें खोली गई थीं उनमें कितनी कैंसिल की गईं और किन आरोपों में ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, ३१ दुकानें कैंसिल की गईं और उनकी सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है जिसमें कैंसिल किए जाने के कारण भी लिख दिए गए हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दुकानें कैंसिल की गई हैं, उनके ऊपर जब कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो सिक्योरिटी का रुपया क्यों जब्त किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, सिक्योरिटी का रुपया जब्त किया गया है या नहीं इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन अदालत में जाने के लायक मामला होगा तभी तो ले जाया जायगा। हर मामला थोड़े ही अदालत में ले जाया जा सकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों का लाइसेन्स कसिल कर दिया गया है और कोर्ट में कार्यवाही नहीं की गई है तो उनकी लाइसेन्स फीस वापस करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

श्रीमन्, अनियमितताओं के कारण ही लाइसेन्स जब्त किए गए थे तो लाइसेन्स फीस वापस देने का प्रश्न कैसे उठता है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या इस सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिए गए हैं कि उनकी दुकानें कैंसिल की गईं और उनको ८-८ महीने तक कोई सूचना नहीं दी गई और उनकी सिक्योरिटी जब्त कर के लाइसेन्स कैंसिल कर दिए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

श्रीमन्, ऐसी सूचना नहीं है। ये दुकानें कुछ जिला सलाहकारी समिति के प्रस्ताव के अनुसार और कुछ अनियमितताओं के कारण कैंसिल की गई हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, अनियमिततायें दो तरह की होती हैं। एक तो माल खुर्द-बुर्द हो जाए और दूसरी ब्लैक करके। अगर ब्लैक करने की वजह से दुकानें कैंसिल की गई हैं तो सिक्यूरिटी वापस हो जानी चाहिए। अगर पैसे का हेर-फेर है तो जो सरकारी रुपया ड्यू है वह सिक्योरिटी में से कट सकता है, तो क्या सरकार ड्यू रुपया काटने के बाद फालतू रुपया वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सिक्योरिटी काटने का प्रश्न तब उठता है जब उन्होंने कंडीशंस का ब्रीच किया हो। लेकिन उनकी सिक्योरिटी जब्त हुई या नहीं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

गोंडा जिले में मथुराप्रसाद पर चोर बाजारी का मुकदमा

*३--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री को यह मालूम है कि दिनांक २०/२१ जुलाई, १९६४ को श्री मथुराप्रसाद, ग्राम नगवां, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा, थाना वजीरगंज को पब्लिक ने गेंहूं ब्लैक में बेचता हुआ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है और क्या यह सही है कि उनकी दुकान सस्पेंड नहीं की गई ? क्या यह भी सही है कि यह दूकानदार गल्ला लेते भी नहीं और दुकान किसी दूसरे को भी नहीं दी जाती, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

२१-७-१९६४ को श्री राम प्रताप, पुत्र महावीर पांडे ने श्री मथुरा प्रसाद दुकानदार, के विरुद्ध धारा २२५ आई० पी० सी० तथा १२५ डी० आई० आर० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट पुलिस में लिखाई थी।

पुलिस द्वारा जांच होने पर जुर्म साबित होना नहीं पाया गया, अतः फाइनल रिपोर्ट परगनाधीश को प्रेषित की गई और वह उनके न्यायालय से ३१-५-६५ को बरी हुये।

दूकान सस्पेन्ड नहीं की गई थी क्योंकि दुकानदार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हो रही थी।

दुकानदार ने इस दौरान में गल्ला नहीं उठाया क्योंकि उनके विरुद्ध जांच पड़ताल जारी थी और इस बीच में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी गल्ला देना शासकीय आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया था।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस ने मुकदमें की जांच में श्री रामप्रताप के अलावा कितने और आदमियों की गवाही लेने की कोशिश की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पुलिस ने क्या जांच की, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मेरे पास वह सूचना है कि रामप्रताप ने मथुराप्रसाद के खिलाफ शिकायत की थी उसकी जांच पुलिस ने की।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि दूकानदार ने अपनी मर्जी से गल्ला नहीं उठाया या डी० एस० ओ० द्वारा आदेश जारी किया गया कि आपको गल्ला नहीं दिया जावगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन—

२१-७-६४ को जनता के आदमियों ने ब्लैक करते हुये उस दूकानदार को पकड़ा और पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, और लगभग एक साल के बाद ३१-५-६५ तक, दस महीने उनका मुकदमा पेंडिंग रहा। जब जनता को दूकान सस्पेंड न होने से गल्ला नहीं मिला, तो क्या माननीय मंत्री फिर से जांच करायेंगे कि फाइनल रिपोर्ट लगाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें तो कहा गया है कि परगनाधीश ने काफी जांच के बाद दिनांक ३१-५-६५ को मथुराप्रसाद को बरी कर दिया।

एक्जीक्युटिव आफिसर, बुलन्दशहर की बहाली

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ में एक्जीक्यूटिव आफिसर, बुलन्दशहर को ९०,००० रुपये के गबन में जो सस्पेंड किया गया था उसमें क्या हुआ ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं।

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि इतने भारी गबन के केस को अदालत में न भेज कर गोलमाल किया गया है, दुबारा उसी आफिसर को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो उसको कितनी तनख्वाह वगैरह दी गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस एक्जीक्यूटिव आफिसर के खिलाफ वहां के चेयरमैन, श्री कृष्णपालसिंह ने ९० हजार रुपये के गबन की चार्जशीट लगाई और उसी चार्जशीट के कारण उनके खिलाफ बोर्ड में नो कान्फीडेन्स मोशन लाया गया जो पास भी किया गया ? तो उनको हटाने के बाद फिर उन्हें दुबारा वहां पर रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो एक्जीक्यूटिव आफिसर को चेयरमैन के द्वारा निलम्बित करने का प्रश्न है, पत्रावली से मालूम हुआ है कि म्यूनिसिपल ऐक्ट की धारा ६९-ए के अनुसार उन्हें निलम्बित किया गया था, न कि नो कान्फीडेन्स मोशन के कारण।

श्री रियासत हुसैन---

जब उनके खिलाफ चार्जशीट भी थी, गबन का मामला था और उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया था, तब फिर दुबारा रिइन्स्टेट करके गाजियाबाद का एक्जीक्यूटिव आफिसर बनाने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो निलम्बन किया गया था उस चार्ज में चेयरमैन की चेकों की नामंजूरी अनियमितता आदि कारण थे। जब उनका स्पष्टीकरण आ गया तो कार्यवाहक अध्यक्ष ने उन्हें बहाल कर दिया, क्योंकि उनका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पाया गया। इसके उपरान्त बोर्ड ने भी उसे पास कर दिया। फिर बाद में यह प्रश्न नहीं उठता है।

औरैया नगरपालिका कर्मचारियों की बर्खास्तगी

*६---श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औरैया (इटावा) नगरपालिका के अध्यक्ष ने नये चुनाव के पश्चात कितने कर्मचारियों को किन किन कारणों से अनधिकृत रूप से सेवाओं से मुक्त कर दिया है और उनमें किस किस ग्रेड के मुलाजिम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

नये चुनाव के पश्चात् नगर पालिका औरैया अध्यक्ष ने आठ कर्मचारियों (चार क्लर्क, तीन अध्यापिकायें व एक अध्यापक) को सेवा से मुक्त कर दिया है। उन कर्मचारियों के ग्रेड व सेवा से मुक्त करने का कारण संलग्न तालिका में अंकित है। उन आठ कर्मचारियों को अध्यक्ष, नगर पालिका, औरैया ने अनधिकृत रूप से सेवाओं से मुक्त किया है अथवा नहीं यह उन कर्मचारियों के मामले का विस्तृत परीक्षण करके बताना संभव है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १११-११२ पर)

*७---श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने कर्मचारियों की बरखास्तगी एवं नियुक्त का अधिकार संविधान के अन्तर्गत ई० ओ० को है, क्या इन कर्मचारियों को पृथक करके अध्यक्ष ने ई० ओ० के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

संलग्न तालिका में लिखित पहले चार कर्मचारियों की नियुक्ति व बरखास्तगी (dismssial) का अधिकार अधिशासी अधिकारी (एक्जीक्यूटिव आफिसर) को है। जैसा कि प्रश्न ६ के उत्तर में कहा जा चुका है संलग्न तालिका में उल्लिखित किसी कर्मचारी के मामले का विस्तृत परीक्षण किये बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यक्ष ने ई० ओ० के अधिकार पर अतिक्रमण किया है या नहीं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १११-११२ पर)

देवरिया जिले में सीमेंट वितरण

*८---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज, देवरिया, रुद्रपुर लार, गोरीबाजार रामपुर कारखाना कसया, तमकुही रोड, फाजिलनगर (देवरिया) में कितने मकान मालिकों ने सीमेंट के वैगन के लिये आवेदन-पत्र नव-निर्माण के लिये १ जनवरी, १९६५ से ३० जून, १९६५ तक राज्य सरकार को दिए ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बरहज--शून्य, देवरिया--११, रुद्रपुरलार--शून्य, गौरी बाजार--शून्य, रामपुर कारखाना--१, कसया--शून्य, तमकुही रोड--१, फाजिल नगर--३ (देवरिया) ।

*९--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--

कितनों को सीमेंट नव-निर्माण के लिये एक वैगन या उससे अधिक मिला उसकी सूची क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३ पर)

नजरबन्द कम्युनिस्ट

*१०--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेंगी कि दिसम्बर, १९६४ में अलग-अलग जिलों में प्रतिद्वन्दी कम्यूनिस्ट पार्टी के गिरफ्तार नजरबन्द सदस्य सरकार द्वारा किन सुविधाओं को प्राप्त कर रहें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह नजरबन्द बन्दी उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी प्रिजनर्स रूल्स, १९५० में उल्लिखित सभी सुविधायें प्राप्त कर रहें हैं ।

[६ सितम्बर, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद नगरपालिका कर्मचारी, श्री जगदीशशरण, की अपील

*१--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक सचिव, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश नगरपालिका (क) विभाग, लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के नाम कोई जी० ओ० नम्बर ५३९ बी/ए०/आई०ए० ४०२-५२, दिनांक २० जुलाई, १९६१ भेजा गया ? यदि हां, तो इस जी० ओ० में क्या आदेश हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी० ओ० नम्बर ५३९बी/ए० आई० ए० ४०२-५२ नहीं बल्कि ५३९ ई०११ए०-४०२-५२, दिनांक २० जुलाई, १९६१ भेजा गया था ।

उक्त शासनादेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*२--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि गवर्नर महोदय ने चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, मुरादाबाद के किसी आदेश को दिनांक ४ मार्च, १९६२ को गैर कानूनी घोषित किया ? यदि हां, तो उस आदेशानुसार कितन रुपये की अदायगी एलाउन्सेज इत्यादि (तनख्वाह और एलाउन्स) म्युनिसिपल बोर्ड, मुरादाबाद के कर्मचारियों को दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष, नगरपालिका, मुरादाबाद के आदेश दिनांक ४-३-६२ को नहीं बल्कि दिनांक ४-३-५२ को गैर कानूनी घोषित किया था। ५८५ रु० ५० पैसे दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

*३--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उस जी० ओ० को जो गवर्नर महोदय के आदेशानुसार जारी किया गया था, कार्यान्वित करा कर जल्दी से जल्दी रुपये पैसे का हिसाब-किताब करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने प्रश्नों का जो उत्तर दिया उस से यह जाहिर होता है कि उस क्लर्क को अलग एक्जीक्यूटिव आफिसर ने नहीं किया जबकि उसे अधिकार था, चेयरमैन ने किया जिसे कोई उसके अलग करने का अधिकार नहीं था, जो गैरकानूनी था। इस कार्यवाही के खिलाफ उस क्लर्क ने गवर्नर के पास अपील की और उन्होंने उसकी अपील को मंजूर किया और यह कहा गया कि उसे गैरकानूनी ढंग से हटाया गया है इसलिये उसे हटाये जाने से लेकर रिटायरमेंट तक की पे का भुगतान किया जाय। तो क्या यह ठीक है और उसे भुगतान किया गया है या नहीं और न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल सन् ५१ में एक वर्ष के लिये उनकी अवधि बढ़ाई गई थी, यह स्थायी नहीं थे। इसलिये जब यह अस्थायी थे और केवल एक वर्ष के लिये उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई तो अवधि बढ़ाने के समय उनको यह भी बता दिया गया था कि यदि उनका कार्य इस अवधि में सन्तोषजनक रहेगा तो उनके स्थायी होने पर विचार किया जायगा किन्तु उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया, इसलिये उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन उक्त एक वर्ष की अवधि के पूर्व ही उन्हें अलग कर दिया गया था इसलिये उन्होंने अपील की और यह निर्णय अदालत और साशन ने दे दिया कि उन्हें अवधि के पूर्व ही हटा दिया गया था इसलिये उस समय तक जो पीरिएड था रखने का तब तक का पैसा दें उन्हें दे दिया जाय, लिहाजा उनका पैसा भुगतान कर दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

मैं मंत्री जी का ध्यान गवर्नर के आदेश के उन दो अल्फाज की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है--

'Till the date he would have remained in the service of the Board, had he not crossed the age of retirement.'

किन्तु इसमें यह नहीं लिखा है कि उनको सिर्फ एक महीने के लिये ही नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो अपील की थी वह तो इसलिये की थी कि उसको गैरकानूनी तरीके से हटा दिया गया था क्योंकि पावर्स एक्जीक्यूटिव आफिसर को थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि रिटायरमेंट एज तक का पेमेंट उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसकी जो अवधि बढ़ायी गयी नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा वह १ अप्रैल, १९५१ को १ वर्ष के लिये बढ़ायी गयी थी और इसका मतलब यह है कि ३१ मार्च, १९५२ तक की अवधि बढ़ाई गई थी। इसलिये इसी पीरियड का वेतन जो बढ़ाया गया था वह उनको दिया गया।

माधवगंज टाउन एरिया में तहबाजारी का ठेका

*४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की टाउन एरिया माधवगंज में तहबाजारी का ठेका वित्तीय वर्ष, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कितने रुपये में किस-किस व्यक्ति को दिया गया तथा तहबाजारी से कितना धन वसूल किया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

टाउन एरिया, माधोगंज द्वारा कथित वर्षों में तहबाजारी का ठेका नीलाम नहीं हुआ। टाउन एरिया ने तहबाजारी इन वर्षों में अपने स्टाफ द्वारा ही वसूल कराई और इन वर्षों में अलग-अलग जो आमदनी हुई उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

सन्	आमदनी रु० पैसा
१९६०-६१	१६,८२८.४९
१९६१-६२	१९,३४८.१०
१९६२-६३	१६,७५९.१३
१९६३-६४	१४,६६६.८५
१९६४-६५	१६,०२२.३७

नाथ नगर विकास क्षेत्र में गल्ला व चीनी की वितरण व्यवस्था

*५—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

दिनांक १९ अप्रैल, १९६५ ई० के अतारांकित प्रश्न सं० ९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काली जगदीशपुर सरकार सस्ते गल्ले की एलाटेड दुकान जिसके गल्ले का वितरण नाथनगर में हो रहा है, उसमें कौन-कौन सी पंचायती सेंटर अदालतों तथा ग्राम सभाओं की जनता को राशन वितरण करने की व्यवस्था है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसे ग्राम सभाओं तथा पंचायती सेंटर अदालतों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है जिनके जनता को नाथ नगर से काली जगदीशपुर सरकारी सस्ते गल्ले की एलाटेड दुकान के गल्ले के वितरण की व्यवस्था की गयी थी।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*६—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या यह सही है कि बस्ती जिले में नाथ नगर विकास खंड के अन्तर्गत काला जगदीशपुर के सरकारी चीनी के दुकानदार द्वारा जुलाई, सन् १९६४ से अब तक बराबर चीनी काली जगदीशपुर में ही लाकर जनता में वितरण की जा रही है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

दुकान का चीनी का कोटा २५ जून, ६५ से २४ जुलाई, ६५ तक स्थगित कर दिया गया था। इस अवधि को छोड़ कर काला जगदीशपुर के सरकारी चीनी के फुटकर विक्रेता ने चीनी लाकर जुलाई, १९६४ से बराबर काला जगदीशपुर में ही वितरित किया।

श्रीमती गेंदादेवी—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी दिनांक १९ अप्रैल, १९६५ ई० के अतारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकारी चीनी का दुकानदार काला जगदीशपुर में ही लाकर

चीनी सन् १९६४ से अब तक बराबर अब तक वितरण करता रहा है तो सस्ते गल्ले का दुकानदार जनता में गल्ला वहां लाकर क्यों नहीं वितरण करता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

वहां के अधिकारियों का कहना है कि गल्ला ले आने और ले जाने के स्थान पर दिक्कत है।

श्रीमती गेंदादेवी---

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब काली जगदीशपुर चीनी ले जाने का मार्ग सुगम है तो वहां गल्ला ले जाने का मार्ग सुगम क्यों नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

चीनी तो बहुत थोड़ी तादाद में जाती है और गल्ला बहुत बड़ी तादाद में जाता है इसलिये उसमें दिक्कत पड़ती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

जब दूकानदार एक ही है और गल्ले के साथ ही चीनी के वितरण की भी व्यवस्था है तो क्या दिक्कत सरकार को पड़ रही है जिसकी वजह से चीनी दूसरी जगह वितरित हो रही है और गल्ला दूसरी जगह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि अलग-अलग वितरित हो रहा है। चीनी का प्रश्न उसमें नहीं किया गया था। अगर चीनी वहां पर जाती है तो एक ही जगह बंटनी चाहिये इसमें शक नहीं है और इसको देखा जायगा कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है।

श्री श्रीराम---..

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ५० हजार से कम आबादी वाले देहातों से सस्ते गल्ले की दूकानें हटा ली हैं तो वहां पर चीनी उन दुकानों पर दी जा रही है, वहां गल्ला भेजने का नियम ही नहीं है तो फिर यह उत्तर गलत क्यों दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

गर्मी में जब फसल आ गई थी उसके बाद सस्ते गल्ले की दुकान वहां पर बन्द कर दी गई थी। अब यह देते हैं या नहीं यह मालूम नहीं। पूर्वी जिलों में कुछ जगह देते थे लेकिन वैसे बन्द कर दी गई थी। वे चीनी का वितरण करते होंगे। वहां पर गल्ले का स्केयरसिटी एरिया है और वहां पर दुकान खाली है और चीनी दी जाती है तो हम इस बात को देखेंगे कि गल्ले के लिये उसमें क्या हो सकता है।

श्रीमती गेंदादेवी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने अपने पांच परिवार के नाम से राशन कार्ड बनवा लिये हैं और अपने हरवाहे के नाम बनवा लिये हैं और उस सामान को लाकर वह ७ मील की दूरी पर बेंचा करते हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे चोर बाजार लोगों की सूची मंगाने की कृपा करेंगे कि जो अब ऐसी स्थिति में भी चोर बाजारमें चीनी निकालते हैं और उनको कठोर दण्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये कानून बना हुआ है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सूचना को सही मान कर इस चीज की जांच करने की कृपा करेंगे कि उसने अपने परिवार के लोगों के नाम कई राशन कार्ड बनवा लिये हैं और सरकार को धोखा दिया जा रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यदि माननीय सदस्य लिखित इस प्रकार की शिकायत देंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

इलाहाबाद नगर महापालिका पर ऋण

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका पर अब तक सरकार का कुल कितना कर्जा है और उसमें अब तक जल आपूर्ति योजना हेतु कितना कर्ज दिया जा चुका है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इलाहाबाद महापालिका को अब तक (३१-७-६५ तक) सरकार ने २,६४,८७,४२७ रुपया कर्जे के रूप में दिया है जिसमें से उक्त तिथि तक २,२२,२२,३६४ रुपया कर्जे का बाकी है। उक्त तिथि तक महापालिका को जल आपूर्ति योजना हेतु सरकार ने १,०७,५५,६५९ रुपया कर्ज दिया है।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महापालिका को कितना धन गंदा पानी गंगा, जमुना में न गिरा कर खेतों में दिया जाय उस योजना हेतु सीवर बनाने के लिये कर्ज अब तक सरकार ने दिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस कार्य के लिये अब तक (३१-७-६५ तक) ८०,२६,३७५ रुपये का कर्ज सरकार ने दिया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन नगरमहापालिकाओं ने २ करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया है और उसकी अदायगी ठीक से नहीं की उन नगर महापालिकाओं को सरकार जब्त करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जितनी अदायगी होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है किन्तु फिर भी अदायगी हो रही है। इसलिये अभी शासन का कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

जो धन ८० लाख के करीब सीवर के लिये दिया गया उसा उपयोग ठीक से न होने के सम्बन्ध में शिकायत इलाहाबाद से आयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सीवर के लिये या मल निकासी के लिये जो धनराशियां दी गयी हैं उसमें उन्होंने व्यय किया इसके आंकड़े मेरे पास हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में पूरी-पूरी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

जहां दो करोड़ से अधिक कर्जा दिया गया है और उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है वहां के लिये सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करेगी कि वहां का बजट बिना सरकार की स्वीकृति के पास न हो ताकि अदायगी ठीक से हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह इलाहाबाद की जो बड़ी योजनायें हैं जिनमें सरकार द्वारा बहुत अधिक धनराशि दी गयी है। इनमें भी अदायगी धीरे-धीरे हो रही है। हो सकता है कि कुछ किस्तें बकाया रह गयी हों, उन को सरकार ध्यान में रखती है और उनका पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

महापालिकाओं का सामान्य निर्वाचन

*९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महापालिकाओं के चुनाव कराने हेतु पूरी तैयारी हो चुकी है ? यदि हां, तो अगस्त तक सरकार चुनाव करायेगी ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रदेश के नगर महापालिकाओं के द्वितीय सामान्य निर्वाचन कराने हेतु तैयारी की जा रही है। अक्तूबर, १९६५ में निर्वाचन के कार्यक्रम की तिथियां निश्चित की जायेंगी तथा जनवरी, १९६६ तक निर्वाचन सम्पन्न हो जाने की आशा की जाती है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महापालिकाओं के चुनाव किस वर्ष होने थे और इतने दिन तक क्या तैयारी की जाती रही ? क्या तैयारी अब बाकी रह गयी है । और वह कब पूरी होगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

महापालिकाओं के पूर्व चुनाव ५१ की जनगणना के आधार पर हुए थे । अब ६१ की जनगणना के आधार पर होने जा रहे हैं । इसका परीक्षण कराना और वार्डों का विभाजन करना, आदि में काफी विलम्ब होता है और इसी कारण देरी हो रही है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

क्या यह वार्डों का विभाजन हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

वार्डों के विभाजन की बहुत कुछ कार्यवाही हो चुकी है पहले वार्ड डबल थे, अब सिंगिल हो गये हैं और पहले से आधी सीटें हो गयी हैं । इसका परीक्षण होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह कहा गया कि अब जो चुनाव होंगे वह सन् ६१ की जनगणना के आधार पर होंगे। असेम्बली का सन् ६२ का चुनाव सन् ६१ की जन गणना के आधार पर हुआ था, तो सूचियां तो वे तैयार ही हैं —प्रतिवर्ष उनके अन्दर ऐडीशंस और सबस्ट्रैक्सन्स होते रहते हैं। तो क्या कारण है कि साल ६४ के सितम्बर और अक्तूबर में जो सूचियां बनीं उनके आधार पर क्यों नहीं सरकार चुनाव करा रही है और नयी सूचियों का इन्तजार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

विधान सभा के चुनाव तो जनगणना से हो सकते हैं, किन्तु महापालिकाओं की सीटों का निर्धारण उस जन-गणना से नहीं हो सकता। अब तो वह सीटें भी आधी की जा रही है, जो डबुल क्षेत्र थे स्वायत्त शासन के वह सिंगिल होने जा रहे हैं। शेडयूल्ड कास्ट सीटों में भी कहीं-कहीं कमी और बढ़ोत्तरी हुई है। इन सब बातों को देख कर ये तिथियां निर्धारित होंगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जब यह मालूम था कि इलेक्शन सन् ६५ में समाप्त हो जाना चाहिये तो पहले से ही परीक्षण क्यों नहीं किया गया और वार्ड क्यों नहीं पहले से ही तैयार किये गये ? क्यों देर हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उत्तर में कह दिया गया है कि बहुत शीघ्र ही, अक्तूबर में ही तिथियां निश्चित हो जायंगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि बनारस महापालिका को सरकार जब्त करने का इरादा कर चुकी है, इसी कारण से यह चुनाव टाला जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शासन के सामने केवल वाराणसी नगरपालिका नहीं है, उसके सामने पांचों है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

कहा गया कि सीटें कुछ कम की जा रही हैं। जनगणना के मुताबिक तो आबादी बढ़ी ही है और इलाहाबाद की भी आबादी बढ़ी होगी। लेकिन कहा गया कि सीटें बढ़ाने के बजाय कम की जा रही हैं, आधी कर दी जा रही हैं। तो क्या आप इसके कारणों पर प्रकाश डालेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पांचों महापालिकाओं की सीटें आधी करने का निश्चय हुआ है, केवल इलाहाबाद का ही प्रश्न नहीं है। महापालिकाओं में जिस प्रकार से आपस में झगड़े चल रहे हैं वह सभी को मालूम है। इसलिये कार्य ज्यादा अच्छा हो सके और जन-साधारण का अच्छा हित हो सके, इन्हीं सब दृष्टियों से सीट कम की गयीं।

नैनीताल में वन विभाग कर्मचारियों के क्वार्टर पर व्यय

*१०—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल कचहरी सड़क के नीचे जो जंगलात के क्लर्क अथवा अन्य कर्मचारियों के लिये क्वार्टर १९६३–६४ में बनाये गये हैं उनके बनाने में कुल कितना व्यय हुआ और इस सारी रकम में से :

(अ) बुनियादी पुश्ता बनाने में कितना लगा ?

(आ) क्वार्टरों के बनाते वक्त ऊपर तरफ जो कचहरी सड़क टूटी उसके लिये कितना ऊंचा लम्बा-चौड़ा पुश्ता बनाना पड़ा और उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

बन उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

नैनीताल कचहरी सड़क के नीचे जो जंगलात के कर्मचारियों के क्वार्टर १९६३-६४ में बने हैं उनके बनाने में कुल ३४,९०० (चौतीस हजार नौ सौ रुपये) व्यय हुए।

(अ) बुनियादी पुश्ता बनाने में ५,५८० (पांच हजार पांच सौ अस्सी रुपये) व्यय हुए।

(आ) क्वार्टरों के बनाते समय ऊपरी जो कचहरी सड़क टूटी उसके लिये ३८ फीट ऊंचा, ५० फीट लम्बा और ४ फीट से ८ फीट तक चौड़ा पुश्ता बनाया गया और इसको बनाने में १६,१२४ रुपया खर्च हुआ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके अधिकारियों ने इन क्वार्टर्स के बनाने के लिये ऐसी जगह को क्यों छांटा कि जिसके कारण सरकार को इतना रुपया लगाकर सड़क बनाना पड़ा और २१ हजार के करीब पुश्तों पर खर्च करना पड़ा ?

कृषि उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

इस जगह के अतिरिक्त और कोई जगह इसके लिये नहीं थी। पहाड़ों पर जमीन इस तरह की होती है कि उसमें पुश्ता देना जरूरी होता है। जब यह क्वार्टर बन रहे थे तो कचहरी रोड वाली सड़क नीचे आ गयी। उसको ठीक करवाना पड़ा। जब दोनों तरफ पुश्ते बनाये जाते हैं पहाड़ों पर, तभी वहां इमारत सुरक्षित रहती है। इसलिये इनको बनवाना पड़ा। इसीलिये इतना व्यय हुआ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

आज तक वे लोग कहां रहते थे, यह क्वार्टर्स बनने से पहले और क्या दूसरी जगह की तलाश की गयी ?

बन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

माननीय मित्र इतने रोष में सवाल करते हैं कि उससे हमारी बुद्धि भी समाप्त हो जाती है और प्रश्न साफ सुनायी नहीं पड़ता। इसलिये अच्छा हो यदि वे मुझ से मिल लें, या मैं ही उनसे मिल लूंगा। मेरे पास आकर मुझे सारी स्थिति समझा दें, मैं अगर कहीं कोई गलती होगी तो उसकी जांच करा लूंगा। वैसे जैसा आर्य जी ने कहा, जो क्वार्टर बन रहे हैं, इनमें से आधे पहले बन चुके थे। अधिक वर्षा के कारण कचहरी रोड वाली सड़क टूट गयी, काफी मलवा इकट्ठा हो गया। उसको रिमूव करवाना पड़ा। उस इमारत की सुरक्षा के लिये पुश्ता जरूरी था। अब अगर कहीं कोई करप्शन आदि की शिकायत है तो माननीय सदस्य मुझे बता दें, मैं तहकीकात करा लूंगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या इस इमारत को बनाने के लिये ८ बड़े-बड़े पेड़ भी काटे गये ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

शोहरतगढ़ को टाउन एरिया बनाने की मांग

*११—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के कस्बे शोहरतगढ़ की कुल जन संख्या कितनी है तथा क्या सरकार उसको नोटीफाइड एरिया बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के कस्बे शोहरतगढ़ की जन संख्या ३,७७७ है परन्तु यहां नोटीफाइड एरिया बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संख्या के देने का आधार क्या है ? किस आधार पर यह संख्या ३,७७० बताई गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश, बस्ती से सूचना मांगी गई थी और उनके दफ्तर से आई है। यही आधार है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह तो बहुत इन्कम्पलीट जवाब है। मैं यह पूंछना चाहता हूं कि यह जो सूचना है यह १९६१ की जनगणना के आधार पर है या रजिस्टर भाग १ व २ के आधार पर ? आपने जबाब दिया कि ३,७७० उसकी कुल संख्या है, जब कि मेरी सूचना है कि उसकी संख्या डबल है ?

श्री अध्यक्ष—

वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर ने जो सूचना दी है वह संख्या किस पर आधारित है ? गांव पंचायत के रजिस्टर पर या जनगणना पर ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन शर्तों के पूरा होने पर वह नोटीफाइड एरिया शोहरतगढ़ में बनाया जा सकता है ? जब कि वह बढ़ता हुआ कस्बा है, बार्डर पर है और उसकी बड़ी इम्पारटैन्स है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कोई विचार है ? उसका उत्तर दिया गया कि इसका कोई विचार नहीं है। विचाराधीन नहीं है। तब जिलाधीश से मालूम किया। न तो जिलाधीश के पास इसका कोई प्रस्ताव आया और न शासन के पास आया। जब विचार का प्रस्ताव ही नहीं तो विचार कैसे किया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि इसको नोटिफाइड एरिया बनायें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिलाधीश से राय आई है कि यह नोटीफाइड एरिया नहीं होना चाहिये।

शाहजहांपुर जेल में रामभजन बन्दी की मृत्यु

*१२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिला जेल का एक कैदी जुलाई, १९६५ के तीसरे सप्ताह में अथवा उसके आसपास किसी दिन इसलिये मर गया, क्योंकि जेल की बिल्डिंग में बिजली की खुली वायरिंग थी और तार की बिजली उसके लग गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१८ जुलाई, १९६५ को शाहजहांपुर जिला जेल के बन्दी राम भजन की मृत्यु एक ऐसे अर्थ वायर के पकड़ने से हुई जिसमें बारिश के कारण बिजली का करेन्ट दौड़ गया था। उक्त जेल में बिजली की खुली वायरिंग नहीं थी।

*१३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार मृत्यु की जांच करा कर ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि बिजली के तारों का कुप्रबन्ध ठीक हो और मृत्यु के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों को शिक्षा मिल सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस मामले में मैजिस्ट्रेट ने भी जांच कर ली है। यह घटना आकस्मिक थी जिसका पूर्व ज्ञान जेल के किसी कर्मचारी को नहीं था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार सब जेलों में अब पहिले से ही ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐसी अर्थ वायरिंग से ऐसी घटना न हो और जो आदमी मर गया है उसके परिवार के लिये उचित कम्पैन्सेशन की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस समय राम भजन की मृत्यु हुई उसी समय पांच मिनट बाद डिस्पेन्सरी डाक्टर आ गया। उस अर्थ वायरिंग में वर्षा होने की वजह से करेन्ट आ गया था। जब यह पैरेड करके आया डिस्पेन्सरी के पास तो वहां फिसल गया और फिसलने पर उसका हाथ अर्थ वायरिंग पर पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस समय डाक्टर भी आया, सुपरिन्टैन्डेन्ट भी आया। उनकी जो वायरिंग की है उसकी भी जांच कराई गई। वायरिंग में कोई खराबी नहीं थी। जो वायरिंग नीचे से खराब हो गई थी उसके ठीक कराने की व्यवस्था की गई। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि कोई मुआवजा दिया जा सके।

*१४—१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[स्थगित किये गये।]

सस्ते गल्ले की दूकानें

*१६—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें थीं, औसतन क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितनी दूकानें काम कर रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कुल १२,६१८ सस्ते गल्ले की दूकानें १९६४-६५ में थीं। इस समय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रदेश से सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या ६,५४२ है।

*१७--श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)--

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है पुनः सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

७ जिलों को अगस्त, १९६५ में तथा २५ जिलों को सितम्बर, १९६५ में तदर्थ अतिरिक्त अन्न का कोटा दिया गया है। इस गल्ले को वितरण के लिये सस्ते गल्ले की जितनी नई दूकानों की आवश्यकता होगी वे या तो जिलाधीशों ने खोल दी होंगी या खोल रहे होंगे।

झांसी वन क्षेत्र कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१८--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बाबीवर बीट एवं चकबीट जिला झांसी के सरकारी जंगलों की लकड़ी व बांस को वन विभाग के बमरखा तथा तालबेहट रेंज के रेंजर द्वारा चोरी से कटवा कर बेचे जाने तथा जानवरों को कांजी हाउस में बन्द करने और लोगों को मारने पीटने के बारे में लिखित शिकायत जिलाधीश, झांसी को दिनांक १८ जून, १९६५, १३ जुलाई, १९६५, १९ जुलाई, १९६५ और २१ जुलाई, १९६५ को तार द्वारा तथा २२ जुलाई, १९६५ को जनता द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और जांच अधिकारी कौन थे व आरोप किस प्रकार के हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां, यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों तथा ग्राम पारा एवं गुनेदा की जनता द्वारा दिनांक १३ जुलाई, १९६५, १९ जुलाई, १९६५ एवं २१ जुलाई, १९६५ को तार द्वारा तथा दिनांक १८ जून, १९६५ और २२जुलाई, १९६५ को प्रार्थना पत्र द्वारा वन विभाग के बमरखा तथा रेंज आफिसर तालबेहट के विरुद्ध लिखित शिकायतें जिलाधीश झांसी को की गई थीं। जिलाधीश झांसी ने उप-अरण्यपाल, झांसी को इन शिकायतों पर जांच करने को लिखा। शिकायतों की जांच उप-अरण्यपाल झांसी की आज्ञानुसार सब डिवीजनल आफिसर (वन विभाग), ललितपुर द्वारा की गई।

इन शिकायती-पत्रों में आरोप वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी सुरक्षित जंगल से अनधिकृत ढंग से लकड़ी व बांस कटवाने तथा अन्य अनियमितताओं के विषय में थे। मुख्यतः ये आरोप निम्न प्रकार के थे :--

(अ) वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वृक्षों और बांसों का अवैधानिक कटान।

(ब) ठेकेदार, श्री बूटा सिंह द्वारा नाजायज लकड़ी की बिक्री और उसका कोयला बनाया जाना।

(स) तालबेहट रेंज के चकबीट में १,२०० ठूठों को पाया जाना।

(द) वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कल्चर क्षेत्रों अन्दर बांसों का अवैधानिक कटान।

(य) बांसों के कल्चर क्षेत्र के बाड़ी का काम पूरा न होते हुये भी पूरा दिखाया जाना।

(र) सब डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, वन विभाग, ललितपुर द्वारा जांच करने के विषय में आपत्ति ।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रथम शिकायत १३-७-६५ को दी गई थी और जिसमें इस प्रकार के गंभीर आरोप वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध थे कि वे बहुत बड़ी तादाद में सरकारी जंगलों की लकड़ी कटवा रहे हैं, तो जांच अधिकारी की जांच में क्या-क्या आरोप साबित हुये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में बताया सब-डिवीजनल आफिसर, वन-विभाग, ललितपुर ने यह जांच की और उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष ढंग से जांच की । यह जो शिकायत करने वाले महानुभाव हैं जिन्होंने जिलाधीश को शिकायत की है और वन विभाग को शिकायत की है उनके विरुद्ध भी जांच में पाया गया कि उन्होंने अवैधानिक ढंग से वन के पेड़ों को काटा है और जबरदस्ती उसे वे बाहर ले गये हैं, यहां तक कि वन विभाग के उप-अरण्यपाल को वहां जाकर पुलिस की मदद से उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा । तो यह जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खुद इस अपराध में हिस्सा लिया है । वन विभाग के कर्मचारियों ने कोई ऐसा अवैधानिक काम नहीं किया है और जिनकी कुछ उपेक्षा पाई गई है उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री नौने राजा ने जो जंगल के काटने के सिलसिले में स्वयं बयान दिये उसके सिलसिले में जांच के अन्दर कितने हजार कीमत की लकड़ी वन विभाग की काटी हुई पायी गई और यदि उन्होंने कोई झूठी शिकायत की थी तो उनके खिलाफ १८२ में या किसी और धारा में मुकदमा चलाया गया या नहीं और नहीं तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह माननीय बलदेव सिंह ने जो बतलाया है उसकी जरा-सी तफसील अगर हाउस को मालूम हो जाय तो मालूम होगा कि माननीय लखपत राम जी को कितनी गलत इत्तिला है । जिन लोगों ने शिकायत की है २३ जानवर उनके वन विभाग के अन्दर चरते हुये पहले ही पाये गये, उनका चालान हो चुका था और उन्होंने कम्पेन्सेशन देकर उन्हें छुड़ाया और जिन व्यक्तियों ने शिकायत की थी उसके पहले ही उन लोगों के खिलाफ वन काटने के सिलसिले में कार्यवाही हो रही थी । मसलन नौने राजा और उसके भाई श्री प्रीतिपाल सिंह और दूसरे लोगों ने जून सन् १९६५ के प्रथम सप्ताह में १७८ वृक्ष अवैधानिक रूप से काटे । इन अभियुक्तों पर सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ललितपुर के न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है । लिहाजा १८२ का मुकदमा चलाने का सवाल नहीं उठता है ।

दूसरे श्री वीरसिंह गुजेंडा के सभापति और दूसरे लोगों ने बिजरौठा ब्लाक में जुलाई, सन् १९६४ में २०० वृक्ष अवैधानिक रूप से काटे । श्री वीरसिंह के अतिरिक्त सभी अभियुक्त इस मामले को वन विभाग से तय करने को राजी हो गये और उनके मामले तय कर दिये गये । श्री वीरसिंह के विरुद्ध सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ।

इसके अलावा श्री साकूलाल एक फारेस्ट गार्ड हैं, वह वहां के लीडर हो गये हैं । श्री साकूलाल भूतपूर्व बनरखा तथा अन्य ५० ग्रामीणों ने बन्दूकों आदि से सुसज्जित होकर १७-७-६५ को अवैधानिक रूप से कटान किया और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर धमकी दी

कि इसका परिणाम अति भयानक होगा। उप अरण्यपाल अपने कर्मचारियों और आर्म्ड गार्ड के साथ घटनास्थल पर रात्रि के २ बजे अवैधानिक कटान को रोकने के लिये पहुंचे। अपराधी लोग ०–४ और ४ से ८ इंच तक के ३५० वृक्ष काट चुके थे। गिरोह का नेता, श्री साकू लाल और उसके भाई श्री वीर भान और अन्य अपराधी जो मिल सके गिरफ्तार कर लिये गये। तत्पश्चात् उनको जमानत पर छोड़ दिया। सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, ललितपुर के न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है। ये सब जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, स्वयं गैर कानूनी कार्यवाही करते रहे हैं और उन्हीं के जरिये शिकायत की गई है।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी लकड़ी कटी और कितने रुपये का सरकारी नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह--

सवाल तो नुकसान का नहीं है। नोटिस चाहिये।

कानपुर जेल में वार्डरों की मुअत्तली

*१९--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि जिला जेल कानपुर में सन् १९६४–६५ में कौन-कौन से वार्डर मुअत्तल किये गये ? वे कितनी अवधि तक मुअत्तल रहे तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११६–११७ पर)

*२०--श्री दयाराम शाक्य--

[हटा दिया गया]

कुक्कुट पालन

*२१--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुक्कुट पालन हेतु विशेष क्या कदम वह उठाने जा रही है ?

श्री बलवदेवसिंह आर्य--

प्रदेश में कुक्कुट पालन हेतु जो विशेष कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११८–११९ पर)

श्री चन्द्रबली सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी देवरिया के मदनपुर स्थान पर कुक्कुट पालन की योजना विशेष रूप से चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

पूर्वी जिलों में इस योजना में आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर और गाजीपुर है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

बलिया में किस स्थान पर खोला गया है और अब तक उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

नोटिस की जरूरत है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

पहाड़ी जिलों में कितनी नयी योजनायें इसकी चलाई गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पर्वतीय क्षेत्रों में यह काम चल रहा है और चौथी योजना में अधिक बढ़ाने का विचार है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कुक्कुट पालन के अनुदान का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार को दुरुपयोग की सूचना नहीं है। आम तौर से इसमें ऋण दिया जाता है, अनुदान की व्यवस्था तो बहुत कम है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरी स्पैसिफिक शिकायत है कि जौनपुर में मड़ियाहूं तहसील में कुक्कुट पालन का एक सरकारी अस्पताल सा खोला हुआ है, जहां न कोई जानवर और न कोई आदमी रहता है। वीरान जंगल में वह है। क्या इसकी जांच कराके सदन में रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ठीक है, मालूम करा लिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी हमसे यह सूचना ग्रहण करेंगे कि प्रति व्यक्ति २५० और संस्था की ३,००० रुपये का अनुदान दिया जाता है, यह अनुदान लेने की फर्जी योजना सी बन गई है, और इसके दुरुपयोग की जांच करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर माननीय सदस्य किसी खास जगह की शिकायत लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून)—

किन पहाड़ी जिलों में यह योजना चल रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

नोटिस चाहिये।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या देवरिया जिले के मदनपुर कस्बे में यह योजना खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की आई थी, जिसकी सिफारिश पर पूरब के इन ४ जिलों में यह प्रोग्राम चल रहा है।

नगरपालिका, झांसी पर ऋण

*२२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी नगर पालिका सन् ६५ तक कितने लाख रुपया कर्ज के रूप में सरकार का बाकी है। सन् ६४—६५ में कितना रुपया सड़कों के लिये सरकार द्वारा दिया गया और क्या यह भी सत्य है कि बोर्ड की आर्थिक दशा खराब होने के कारण सरकार द्वारा दिया गया और क्या यह भी सत्य है कि बोर्ड की आर्थिक दशा खराब होने के कारण सरकार द्वारा दिये सड़कों के अनुदान में से कर्मचारियों की तनखवाहें बांटी गयीं ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष नगरपालिका में खर्चे का बजट क्या है और १५ जुलाई, सन् १९६५ तक कितना रुपया पालिका के खजाने में था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका, झांसी पर ३१ मार्च, १९६५ को सरकारी कर्जे का २२,२०,००० मूलधन तथा ७,७३,५०९ रु० ब्याज बकाया था। सन् १९६४—६५ में सरकार द्वारा कुल १,८६,८०० रु० की धनराशि नगरपालिका को सड़क अनुदान के रूप में दी गई थी। यह सही है कि नगरपालिका ने राजकीय अनुदानों की धनराशि से नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन दिया था। नगरपालिका के (वर्ष के प्रारम्भ का बकाया छोड़कर) वर्ष १९६३—६४ तथा ६४—६५ तथा १ अप्रैल, १९६५ से १५ जुलाई, १९६५ तक के आय-व्यय के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हैं। दिनांक १५ जुलाई, १९६५ को नगरपालिका के खजाने में ९४,२३५ रु० की धनराशि थी।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२० पर)

श्री लखपतराम शर्मा—

नगरपालिका के विरुद्ध सरकार के अनुदान का दुरुपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका झांसी के अध्यक्ष का निर्वाचन सन् ६४ में हुआ। उसके बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने के शासन का एक जी० ओ० हुआ। सन् ६४ में इस बढ़े हुये महंगाई भत्ते में कर्मचारियों को ७०,००० रु० खर्चा देना पड़ा।

उसके बाद सन् ६५ में एक दूसरा जी० ओ० जिसके अनुसार २०० से ऊपर पाने वाले कर्मचारियों को करीब ५५ हजार रुपया अतिरिक्त देना पड़ा, दसरा असेसमेंट २० हजार का हुआ, इसके अतिरिक्त जल वितरण योजना पर ३८ हजार और बिजली पर २५ हजार रुपया व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त मौजूदा नगरपालिका, झांसी के मौजूदा अध्यक्ष के द्वारा जो रुपये की अदायगी हुई है, जो कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया गया है, उससे ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती जिससे यह मालूम होता हो कि रुपये का दुरुपयोग हुआ है। अथवा जिसकी वजह से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। जहां तक सड़कों के अनुदान का सवाल है, यह ठीक है कि वह सड़कों पर व्यय नहीं हुआ है, शासन उसका ध्यान रख रहा है। इस संबंध में उनका ध्यान आकर्षित कर दिया जायगा।

श्री लखपत राम शर्मा—

जो कुछ माननीय मंत्री जी ने बताया है, उनकी मौजूदा रिपोर्ट से म इत्तफाक करता हूं, बाद में मुझे भी यही मालूम हुआ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद में सहायक लिपिक तथा फारेस्टर का चुनाव

*२३—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या वन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद में जनवरी, १९६३ के चुनाव में कितने सहायक लिपिक तथा फारेस्टर चुने गये थे ? उनके नाम तथा पता क्या हैं तथा किस सेवायोजन कार्यालय से किस पोस्ट के लिये भेजे गये थे ?

श्री चरणसिंह—

दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद में जनवरी, १९६३ में ली गई संयुक्त प्रतियोगिता के आधार पर ६ अभ्यर्थी फारेस्टर के पद पर और २ अभ्यर्थी सहायक लिपिक के पद पर चुने गये। इनके संबंध में वांछित सूचना सूची में संलग्न है।

(देखिये नत्वी 'ञ' आगे पृष्ठ १२१–१२२ पर)

*२४—श्री बृज बिहारी—

क्या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कि सेवायोजन कार्यालय द्वारा फारेस्टर की जगह के लिये भेजे गये थे उन्हें फारेस्टर की जगह न देकर सहायक लिपिक बनाया गया जबकि वे फारेस्टर का चुनाव पास किये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसे आजमगढ़ सेवा योजन कार्यालय ने फारेस्टर के पद के लिये भेजा था तथा जिसने कथित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ९वां स्थान प्राप्त किया था। चूंकि प्रथम ६ योग्यतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फारेस्टर के रिक्त पद पर नियुक्त कर लिया गया जिससे उपर्युक्त अभ्यर्थी को फारेस्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका। अतः उपयुक्त परिस्थिति में उसे सहायक लिपिक का पद दिया गया जिसे उसने स्वीकार कर लिया।

डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर

*२५—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर जिसके संबंध में कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई उसका स्थानान्तरण दो बार गोरखपुर को कर दिया गया और यदि यह सत्य है तो फिर यह किन किन कारणों से रोका गया था ? इस बार गोरखपुर के बजाय शाहजहांपुर कर दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर जांच कराई गई, किन्तु आरोप निराधार निकले। उनका गोरखपुर को एक ही बार स्थानान्तरण किया गया था, आदेश जारी हो जाने के बाद उन्होंने प्रार्थना की कि गोरखपुर की जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पड़ती अतः उन्हें कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें शाहजहांपुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

पूर्ति आफिस, आजमगढ़ के सेवायुक्त कर्मचारी

*२६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जिले के पूर्ति आफिस से कितने लिपिक तथा निरीक्षक जुलाई, सन् १९६५ तक सेवायुक्त किये गये और उनके स्थान पर कौन-कौन रखे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस अवधि में पूर्ति आफिसर, आजमगढ़ से तीन लिपिक सेवा मुक्त किये गये। उनके स्थान पर रखे गये कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार हैं :--

१--श्री राम सुभग लाल,

२--श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्त,

३--श्री रवीन्द्र नाथ सिन्हा।

*२७--श्री उमाशंकर--

क्या खाद्य मंत्री यह बता सकते हैं कि उक्त लिपिक तथा निरीक्षक किन कारणों से सेवा-मुक्त किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी ने इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं समझी।

*२८--श्री उमाशंकर--

क्या यह सत्य है कि पूर्ति आफिस, आजमगढ़ से उक्त लिपिक तथा निरीक्षकों को सेवामुक्त करके उनके स्थान पर नई नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, तीन लिपिकों के स्थान पर नई नियुक्तियां की गईं, जैसा कि प्रश्न २६ के उत्तर से विदित होगा।

गाजीपुर जिले में सस्ता गल्ला देने की व्यवस्था

*२९--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार पटेल आयोग के चार पूर्वी जिलों में गाजीपुर जिले की दयनीय स्थिति देखते हुये शीघ्रातिशीघ्र चीप फूड ग्रेन अधिक मात्रा में देहात में भजन की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

गाजीपुर जिले के देहाती क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनकी दशा अत्यन्त दयनीय थी सस्ता गल्ला वितरण कराने हेतु प्रबन्ध कर दिया गया है।

झांसी में अनाज बिकवाने का सुझाव

*३०--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिलाधीश, झांसी द्वारा सरकार को इस आशय का कोई सुझाव दिनांक १५ जुलाई, १९६५ से २७ जुलाई, १९६५ के बीच विचार विमर्श के पश्चात् दिया गया है कि जो गल्ला झांसी के आढ़तियों के यहां आता है उसका २५ प्रतिशत फुटकर बिक्रेताओं को गल्ले की कमी देखते हुये झाँसी में बिकवाया जाये ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, जिलाधीश, झांसी, ने ऐसा सुझाव दिया था परन्तु सरकार ने थोक व्यापारियों पर अपने स्टाक का २५ प्रतिशत गल्ला स्थानीय फुटकर व्यापारियों के हाथ बेचने का प्रतिबन्ध लगाना उचित या सम्भव नहीं समझा।

बुन्देलखंड में कांस उत्पाटन योजना

*३१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कांस इरैडिकेशन स्कीम, बुन्देलखंड तथा जालौन में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य हो रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

जिला जालौन एवं बुन्देलखंड में कांस उत्पाटन योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ।

*३२—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कांस योजना के अन्तर्गत कांस जिन स्थानों पर नष्ट किया गया था पुनः अपनी स्थिति में आ गया ? यदि हां, तो जनता का इतना धन क्यों खर्च किया गया है ?

श्री गेंदासिंह—

कुछ स्थानों में कांस पुनः अपनी स्थिति में आया है । जब कांस उत्पाटन कार्य प्रारम्भ किया गया था तब यह आशा नहीं की जाती थी कि कांस अपनी पूर्व स्थिति में पुनः उग आयेगा ।

*३३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कांस योजना में कितना रुपया जनता के जिम्मे बाकी है और नियम न बनने के कारण क्या सरकार यह धन छोड़ने पर विचार कर रही है ?

श्री गेंदासिंह—

लगभग ८२,३९,१८१ रुपया किसानों के जिम्मे बाकी है । किसी नियम के न बनाये जाने के कारण इस धन को छोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में पशु चिकित्सालय

*३४—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के ऐसे कितने और कौन-कौन विकास क्षेत्रों के मवेशी अस्पताल हैं, जिनमें एक वर्ष से अधिक हुआ, डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार कब तक उसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री गेंदासिंह—

कोई नहीं ।

प्रश्न के अन्य भाग नहीं उठते ।

कृषि विश्वविद्यालय

*३५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि यूनिवर्सिटीज और कृषि मुहकमों को एक में मिलाने की योजना उत्तर प्रदेश में रखने का विचार है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है अतएव उसे राजकीय कृषि विभाग में मिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लीसा

*३६—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४–६५ और १९६५–६६ का लीसा (रेजिन) कुमायूं डिवीजन का इस शर्त्त पर नीलाम करेगी या बेचेगी कि उक्त रेजिन का डिस्टीलेशन यू० पी० के अन्दर हो और लीसा यू० पी० के बाहर न जाने पाये ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान

*३७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर जो सेंटर प्लान बनाये गये हैं, उन्हें स्वीकृत करते समय जनता को एतराज का समय दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या उन सेंटर प्लान पर जनता चलने को बाध्य है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । सेक्टर प्लान पर जनता को एतराज करने का अवसर देना कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है । किन्तु कन्ट्रोलिंग अथारिटी, गाजियाबाद ने २२ मार्च, १९६५ की मीटिंग में यह तय किया है कि सेक्टर प्लानों को जनता के सुझावों तथा आपत्तियों के लिये प्रकाशित कर दिया जाय ।

*३८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया ।]

बांदा जिले में कांस उत्पाटन योजना चलाने की प्रार्थना

*३९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कितने वर्ग मील कृषि योग्य भूमि कुसा तथा कांस के कारण अनुपयुक्त तथा बेकार पड़ी हुई है ?

श्री गेंदासिंह—

बांदा जिले में कोई भी कृषि योग्य भूमि कुसा तथा कांस के कारण अनुपयुक्त तथा बेकार नहीं पड़ी है ।

*४०—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार इस दिशा में कोई योजना कार्यान्वित करने जा रही है जिससे उस भूमि से अन्न उत्पादन कार्य किया जा सके ?

श्री गेंदासिंह—

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बृजमोहन लाल गुप्त—

क्या सरकार केन्द्रीय सरकार की कांस विनाश स्कीम योजना के द्वारा इस जमीन को खेती योग्य जमीन बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गेंदासिंह--

प्रश्न नहीं उठता है ।

*४२--४४--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

[स्थगित किये गये]

सेंटर जेल अधिकारी

*४५--श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंटर जेल पर कौन-कौन से जेल अधिकारी ऐसे हैं जो ३ साल से अधिक और ५ साल तक एक ही सेंटर स्थान (कारागार) पर हैं ? जितने जेल अधीक्षक हैं उनका नाम और सेंटर का नाम दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२३ पर)

वन विभाग में फारेस्ट रेंजरों तथा प्रधान लिपिकों की पदोन्नति

*४६--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन विभाग में फारेस्ट रेंजरों तथा प्रधान लिपिकों के पदों के लिये प्रमोशन कभी सर्किल बेसिस पर व कभी स्टेट बेसिस पर दी जाती है ? यदि हां, तो यह क्यों किया जाता है ?

श्री चरणसिंह--

उत्तर प्रदेश वन विभाग में रेंजरों के पदों के लिये प्रदोन्नति (प्रमोशन) स्टेट बेसिस पर दी जाती है । प्रधान लिपिकों के पदों के लिये प्रोन्नति (प्रमोशन) साधारणतया सर्किल आधार पर मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश के परामर्श पर होती है। परन्तु असामान्य स्थितियों में मुख्य अरण्यपाल (अरण्यपालों से परामर्श करने के उपरान्त) सम्बन्धित वृत्त के अरण्यपाल को वृत्त के संवर्ग के बाहर के सहायक लिपिकों अथवा आशुलिपिकों में से, प्रधान लिपिकों के पद पर मौलिक नियुक्ति की सलाह दे सकते हैं । ऐसा नियमों के अनुसार किया जाता है ।

कम्युनिस्ट नजरबन्दों के आश्रितों को भत्ता

*४७--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने कम्युनिस्ट नजरबन्दों को प० पी० सिक्यूरिटी प्रिजनर्स रूल्स के रूल ५२ के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सत्रह नजरबन्द बन्दियों के आश्रितों को यह भत्ता दिया जा रहा है ।

पूर्ण राशनिंग

*४८--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मन्त्रियों के गत सम्मेलन में बड़े आबादी वाले शहरों में पूर्ण राशनिंग व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक लागू होगी और किन-किन शहरों में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने यह संस्तुति की कि १० लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तथा सघन औद्योगिक केन्द्र जहां पर मजदूर अधिक संख्या में काम करते हैं, उनमें सम्पूर्ण राशनिंग व्यवस्था की जावे ।

यह प्रश्न अब शासन के विचाराधीन है तथा यह निर्णय अभी नहीं लिया गया है कि कहां-कहां और कब से लागू किया जावे ।

गोरखपुर मंडल में जिला पूर्ति कार्यालय कर्मचारी

*४९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) तथा श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य तथा पूर्ति मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ५६, दिनांक २ अगस्त, १९६५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वे नियम कब तक बन जावेंगे ? इस समय जिलापूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, छटनी तथा निष्कासन किस आधार के अनुसार होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सेवा नियम बनाने का शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न किया जा रहा है। इस समय जिला पूर्ति कार्यालय के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर बाहर से तथा विभागीय पदोन्नति देकर नियुक्तियां की जाती हैं। छटनी का आधार यह है कि जो बाद में आयेगा वह पहले जायेगा। जब किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं समझी जाती है तो उसे एक माह का नोटिस या वेतन देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता है।

*५०—श्री रतीपाल तथा श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

[हटा दिया गया ।]

देहातों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की मांग

*५१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में सूखा और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए देहातों में भी वे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सात पूर्वी जिलों को अगस्त, १९६५ में तथा २५ जिलों को सितम्बर में तदर्थ अतिरिक्त अन्न का कोटा दिया गया है और जिलाधीश अपने जिले के अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार दूकानें खोल दिये होंगे या खोल रहे होंगे।

खीरी उपनिवेशन योजना में शिक्षित उद्योगहीन व्यक्तियों से विकास शुल्क

*५२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री पूरनलाल (जिला हरदोई) तथा श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी उपनिवेशन योजना में बसे शिक्षित उद्योगहीन व्यक्तियों से जो एक हजार रुपया विकास शुल्क के रूप में वसूल किया जा रहा है वह किस प्रकार के विशेष विकास से संबंधित है जो भूमिहीन मजदूरों को जिन्हें १० एकड़ भूमि एलाट की गई। है से नहीं लिया जा रहा है, परन्तु शिक्षित उद्योगहीन पुनर्वासियों से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है जब कि दोनों तरह के लोगों को एक ही प्रकार की भूमि अनुदानित की गई है ?

श्री गेंदासिंह—

जिस क्षेत्र में खीरी उपनिवेशन योजना चालू की गई वह बंजर तथा अविकसित था। सरकार द्वारा इसको ट्रैक्टर से तोड़ कर खेती योग्य बनाया गया। वहां सड़कें तथा नल कूप भी बनाये गये तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की गईं। इस पर जो धन व्यय हुआ उसका कुछ अंश शिक्षित उद्योगहीनों से इसलिये लिया जा रहा है कि उनको २० एकड़ भूमि दी गई है जब कि भूमिहीन मजदूरों को केवल १० एकड़ भूमि इसके अतिरिक्त शिक्षित उद्योगहीनों को कृषि विकास संबंधी ऋण भी भूमिहीन मजदूरों की तुलना में दूना दिया गया है।

इसलिये यह कहना सही नहीं है कि शिक्षित उद्योगहीनों से विकास शुल्क जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है।

*५३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री पूरनलाल तथा श्री परमाईलाल—

क्या सरकार को मालूम है कि उपनिवेशन क्षेत्र में बसे शिक्षित उद्योगहीनों से एक हजार रुपये प्रति पुनर्वास जो विकास शुल्क वसूल किया जा रहा है वह एक बांड के आधार पर वसूल किया जा रहा है जो पुनर्वासियों से भराया गया था? यह भी बताने की कृपा की जाय कि क्या उपरोक्त बाण्ड बिना रजिस्टर्ड हुए ही वैध मान लिया गया है? यदि हां, तो क्यों और कैसे?

श्री गेंदासिंह—

शिक्षित उद्योगहीन पुनर्वासियों ने योजना में भूमि इस शर्त को मान कर ली थी कि वह विकास शुल्क भी देंगे। जो अनुदान लेख्य शिक्षित उद्योगहीन पुनर्वासितों ने भरा है उसके वैध अथवा अवैध होने का प्रश्न सरकार के सम्मुख नहीं आया है। शुल्क की वसूली वैध है।

*५४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री पूरनलाल तथा श्री परमाईलाल—

यदि उपरोक्त बाण्ड वैध नहीं है, तो उपरोक्त विकास शुल्क की वसूली हेतु पुनर्वासियों की कुड़कियां तथा गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और सरकार क्या उन्हें रोकने के आदेश प्रदान करेगी?

श्री गेंदासिंह—

यद्यपि विकास शुल्क की वसूली वैध है, फिर भी इस समय इस वसूली के सिलसिले में पुनर्वासितों की कुड़कियां और गिरफ्तारियां वारंट की कमी के कारण नहीं की जा रही हैं। जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में बतलाया जा चुका है, पुनर्वासितों द्वारा भरे हुए अनुदान लेख्य के वैध अथवा अवैध होने का प्रश्न सरकार के सम्मुख नहीं आया है।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में मलिन बस्ती निपातन

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में गन्दी बस्ती हटाने की योजना के अनुसार कितने स्थानों से गन्दी बस्ती खत्म की गई तथा कितनी बस्ती को खत्म करने की योजना थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद नगर में गन्दी बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत कोई भी गन्दी बस्ती अभी तक समाप्त नहीं की जा सकी है, यद्यपि फारल टैंक क्षेत्र की गन्दी बस्ती को समाप्त करने की योजना स्वीकृत हुई थी।

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में बाघम्बरी बाग में मकान बनाने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना की पूर्ति कब तक होने की संभावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बाघम्बरी बाग में मकान बनाने की योजना नगर महापालिका तैयार कर रही है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस योजना के प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने में कितना समय लगेगा।

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के मुहल्ला अटाला गुलाबबाड़ी, मकान सरकार की ओर से बनाये गये हैं तथा उनमें से कितने मकान लोगों को दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद के मुहल्ला अटाला गुलाबबाड़ी में सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से नगरमहापालिका द्वारा १२० मकान बनवाये गये हैं। इनमें से कोई भी मकान किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि यह मकान उन व्यक्तियों को देने के लिये हैं जो फाउल टैंक गन्दी बस्ती सुधार योजना से निष्कासित किये जायेंगे। चूंकि संशोधित योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है और भूमि अर्जन की कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं हुई है, अतः इन क्वार्टरों का आबंटन नहीं हो सका है।

गृह मंत्री तथा राजस्व मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की जो शिकायतें मेरे पास आयी हैं उनमें माननीय रामचन्द्र विकल, माननीय कमला सिंह यादव, माननीय चन्द्रजीत यादव की हैं। इन तीनों के संबंध में मैंने उन पर आदेश लिख दिये हैं। मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है। अपनी सम्मति नहीं दी है।

माननीय चन्द्रजीत यादव ने यह शिकायत की थी कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने तथ्यों को छिपाया है और तथ्यों के विरुद्ध बयान दिया है। माननीय हर गोविन्द सिंह का कहना यह है कि जो सूचना उनके पास आयी थी, उसके अनुसार ही उन्होंने बयान दिया है। यही नहीं, माननीय चन्द्रजीत यादव के आक्षेप पर उन्होंने पुनः जिलाधिकारियों से पूछा, उसके उत्तर में उन्होंने अपने पहले बयान की पुष्टि ही की है। ऐसी अवस्था में म समझता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस प्रकार की सूचनायें सदा ही सदन को दिया करते हैं जो अक्सर गलत होती हैं, विशेष कर माननीय गृह मंत्री जी। माननीय सालिगराम जी के वक्तव्य पर उन्होंने खेद प्रकाश किया। वहां भी उन्होंने डी० एम० और एस० पी० की सूचना पर कहा था। जब आपसे कहा गया तो आपने कहा कि माननीय नेता, सदन और नेता, विरोधी दल के लोगों को बुला कर आपस म इस मसले पर विचार

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

कर लें और कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अब आप ऐसी व्यवस्था दें जिससे माननीय मंत्री सही जवाब दें और अधिकारियों की आड़ लेकर यहां कोई गलत बात न कहा करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा—यह चीज बड़ी गंभीर है। आपके अनुभव में भी आया होगा। एक मर्तबा माफी मांगी ठीक। दूसरी मर्तबा मांगी ठीक। तीसरी मतबा भी माफ कर दिया जाय लेकिन वह कौन सा अवसर आयेगा जब उनको उनके अनुसार ही दण्ड दिया जायगा। आगे के लिये वे ऐसी बात न करें इसके लिये उनको कुछ डर तो होना ही चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस स्थिति के अनुसार आप कोई व्यवस्था जरूर दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय गृह मंत्री जी के विरुद्ध जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसमें मैंने एक तथ्य दिया है कि गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर जो फायरिंग हुई, उसमें माननीय मंत्री जी ने तथ्य को छिपाया और यहां सदन में अपने बयान में उन लोगों की संख्या को जिनको गोली लगी छिपाया गया। एक श्रीमती सहदइया, जिसे गोली लगी, जिलाधीश से अनुरोध किया गया कि उसका फोटो ले लिया जाय मगर नहीं लिया गया। महन्त दिग्विजय नाथ ने उसको फोटो ऑन दी स्पाट लिया। मैं भगवान सहाय, नरसिंहनारायण पांडेय, श्री जगन्नाथ राव और दूसरे लोग ऑन दी स्पाट गये और हम लोगों ने वहां पर वस्तुस्थिति को देखा। दूसरा तथ्य जो इन्होंने अपने बयान में छिपाया वह यह था कि इन्होंने अपने बयान में कैटेगोरिकली यह कहा था कि किसानों के केवल ४०,००० रुपये मुआविजे के बाकी हैं लेकिन हमने देखा कि यह मुआविजा लगभग १ लाख ४३ हजार रुपया बकाया है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो रुपया बाकी है वह विवाद के कारण बाकी है। तीसरा तथ्य जो उन्होंने छिपाया वह यह है कि उन्होंने कहा कि वहां पर केवल २५ सिपाही थे जबकि वहां पर १०० पी० ए० सी० और १९० फैक्ट्री के गार्ड थे। कुल मिलाकर जितनी उनकी संख्या थी वह जितने प्रदर्शनकारी थे उनसे भी ज्यादा थी। चौथा तथ्य जो छिपाया गया वह यह था कि कहा गया कि पी० ए० सी० के लोगों ने गोली नहीं चलाई। हम लोगों ने सिविल हास्पिटल में जाकर देखा कि सैकड़ों के बक शाट्स लगे तो वे कैसे चोटें लगीं। पांचवां तथ्य यह बताया गया कि वहां पर चूंकि फैक्टरी बन रही है इसलिये प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे। हम लोगों ने जाकर देखा कि वहां पर चहारदिवारी नहीं बन रही थी। वहां पर काम भी पूरा हो चुका था। यह बात सही है कि वहां से रेलवे लाइन ५०० गज पर थी। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कांग्रेस दल और हम लोगों ने सभी ने ऑन दी स्पाट देखा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी, जो सूचना आपने दी है यदि उस तक ही आप अपने को कन्फाइन कर तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों को हम सब ने स्वयं देखा है और उस तरफ के लोगों ने भी देखा है। तो जब गृह मंत्री जी को जबकि उनके खिलाफ मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था तो उन्हें चाहिये था कि या तो वे स्वयं वहां जाते या अपने उपमंत्री या और किसी अधिकारी को यहां से भेजते पर उन्होंने फिर भी अपने अधिकारियों का सहारा

लिया और, जैसा कि माननीय पाण्डेय और माधव प्रसाद जी ने कहा जिन अधिकारियों की ही सूचना पर माननीय मंत्री जी ने सदन में माफी मांगी, उन्हीं जैसे अधिकारियों की सूचना को वे आधार मान रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। अतः मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप इसे अस्वीकार न करें। यदि गृह मंत्री चलने को तैयार हों तो हम चलने को तैयार हैं। जिन तथ्यों को मने कहा अगर वे तथ्य सही हों तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह किसी सरकारी अधिकारी की सूचना के ऊपर आधारित है, जसा कि आपको भी अनुभव होगा; और दूसरी तरफ सभी दलों के माननीय सदस्यों जो वहां पर गये हैं और जिन्होंने, जैसे माननीय चन्द्रजीत यादव और श्री जगन्नाथ राव आदि ने, अपनी आंख से देखा उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्रीमन्, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है और इस पर आपको बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक तरफ तो माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो स्वयं देखा है वह बताया है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है वह अधिकारियों की दी हुई सूचना पर आधारित है, तो यह मौलिक प्रश्न आपक सामन है। एक तरफ अधिकारियों की बात है जो हर चीज पर परदा डालते हैं; दूसरी तरफ माननीय सदस्यों की जानकारी है। इस सिलसिले में जैसा चन्द्रजीत यादव जी न कहा, हरगोविन्दसिंह जी उनके साथ जांय और जानकारी हासिल करें तभी सदन में आप व्यवस्था दे सकेंगे।

श्री रामायण राय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन आपसे यह है कि विशेषाधिकार के जिस प्रश्न को आपने मान्यता नहीं दी मैं समझता हूं कि इस प्रकार आपने सदन क साथ न्याय नहीं किया है। आप उस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह उचित नहीं है कि आप मेरे निर्णय के ऊपर आक्षेप करें। कोई नियम ऐसा नहीं है। आप मेरे कक्ष में आकर बतला दीजियेगा कि मैंने कौन-सी बात पर ध्यान नहीं दिया है। मैं उसे लिख कर ले आया हूं और आप उसे सुन लें। वह इस प्रकार है :—

माननीय रामचन्द्र विकल की शिकायत है कि श्री रामायण राय, सचेतक, कांग्रेस दल, ने उन्हें किसी एक विशिष्ट विषय पर बोलने से यह कह कर रोका कि "मुख्य सचतक का आदेश" है कि आप इस विषय पर न बोलिये।

प्रायः सचेतक का कार्य बड़ा कठिन होता है। दल को संगठित व सुव्यवस्थित रखने के अतिरिक्त उसका कर्त्तव्य यह होता है कि दल के नेतृत्व के विचारों से सदस्यों को अवगत कराता रहे तथा सदन प्रस्तुत विषयों के सम्बन्ध में दल के नेता की नीति से परिचित कराता रहे।

[श्री अध्यक्ष]

इस संदर्भ में जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक "पार्लियामेंट" द्वितीय संस्करण, पृ० ३५६–३५७, में कहा है कि—

"But there is no doubt that some time members are asked to speak by the Whips and that on other occasions members are asked not to speak".

इसी प्रकार से हरवर्ड मोरिस ने भी अपनी पुस्तक "गवर्नमेंट एण्ड पार्लियामेंट", संस्करण १९५४, क पृ० १०५ पर कहा है :

"There are extreme cases from time to time which may justify and indeed necessitte straight speaking but peaceful persuation friendly reasoning and argument based on the need for keeping party together are far more normal and effective."

दोनों उद्धरणों से सिद्ध है कि सचेतक अपने दल के हित मे सदस्यों को परामर्श दे सकते हैं कि वह किस अवसर पर बोलें और किस अवसर पर न बोलें। चूंकि यह कार्य उनके कर्तव्यों में निहित है, अतः उनके सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता। यदि श्री रामायण राय के किसी व्यवहार से माननीय रामचन्द्र विकल को असन्तोष हुआ है तो उसके लिये माननीय रामायण राय ने सदन में खेद भी प्रकट कर दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जिन पुस्तकों का उद्धरण आप दे रहे हैं यह अध्यक्ष रहे ह हाउस आफ कामन्स के ?

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष का सवाल नहीं है।

संसदीय परम्पराओं में दलों द्वारा कार्य करना सर्वसम्मत पद्धति है, जिसमें प्रत्येक दल अपनी आचार संहिता का निर्माण करता है और उसके अन्तर्गत निदेश जारी होते हैं। यह निदेश केवल परामर्श या सलाह ही माने जाते हैं और ऐसे परामर्श से वाक् स्वातंत्र्य पर कोई आघात नहीं पड़ता है। ऐसा मत अन्य सभाध्यक्षों द्वारा दिया जा चुका है। उदाहरण के लिये देखा जाय पृ० ३३८, निर्णय ६०, संकलन १९५२-(६२)। अतः मैं माननीय विकल जी के विशेषाधिकार सूचना पर अपनी सम्मति देना उचित नहीं समझता।

अब आप अगर चाहें तो श्री खेर की रूलिंग भी पढ़ दूं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

खेर साहब का भी मैं पढ़ कर सुना दूं ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जाय कि यह हमारी परम्परा है, कोई आज की चीज नहीं है, बल्कि सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को सचेतक माननीय मुख्य मंत्री के विचारों से अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

पार्लियामेंटरी पद्धति में पार्टी सिस्टम के अन्दर यह है और हर पार्टी अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासन रखती है। इस कारण कोई मदाखलत समझा जाय इस आदरणीय सदन के कार्य में, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को ही तोड़ देना पड़ेगा और भी सभी सदस्यों की स्वतंत्रता कायम रख सकगे, नहीं तो रोजाना सदन में पार्टी द्वारा व्हिप इश्यू होता है

और रोजाना केन्द्रीय संस्था से प्रान्तीय संस्थाओं को हिदायतें आती हैं और उसी के अनुसार सभी पार्टीज कार्य करती हैं। प्रस्तुत परिस्थिति में उनके लिये यह एक तरह से ऐडवाइस या सलाह हो सकती है जिसे हर आदमी को मानना चाहिये। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई जब्र नहीं है। अगर कोई इसको न माने तो यह नहीं है कि इसके लिये उसको फांसी चढ़ा दी जायगी या उसे जेलखाना भेज दिया जायगा, बल्कि सिर्फ यह हो सकता है कि उसको पार्टी छोड़ना पड़े। ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, यह मर्ज इतना बड़ा नहीं था जितनी आपने दवा कर दी। व्हिप आदि की बातें लाकर सारी चीजों को आपने इसमें लपेटने की कोशिश की है। यहां पर सवाल यह था कि एक सदस्य किसी सदस्य को सदन में बोलने से रोकता है तो यह कहां तक उचित है? मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि इस तरह से अगर एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य को बोलने से रोकता रहे और उसकी व्यवस्था आपकी तरफ से न हो तो आगे चल कर आपके लिये ही इस सदन का काम चलाना मुश्किल पड़ेगा। इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करके फिर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

जितना मैं विचार कर सकता था, वह मैंने आपको बतला दिया।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, अपनी व्यवस्था पर आप पुनर्विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी बात है।

गृह मंत्री तथा राजस्व मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय चन्द्रजीत जी का प्रश्न आया है, इसके ऊपर मैं निवेदन कर दूं। इस प्रकार के प्रश्न इस सदन में पहले भी आये हैं और आज भी आ रहे हैं। हमारे जो निर्णय हो चुके हैं उन निर्णयों के अनुसार यह निश्चित हो चुका है कि अगर अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई मंत्री इस सदन में सूचना देता है तो उस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है कि जानबूझ कर असत्य बात कही गयी है। सूचना जो उन्हें मिलती है वह जिला अधिकारियों से मिलती है और उस सूचना के ऊपर आधारित सूचना उन्होंने इस आदरणीय सदन को दी है। इसको भी आप शायद ध्यान में रखें कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आदरणीय सदस्य सरकार से करते हैं यह कहा कि इस प्रकार की सूचनायें जो उन्हें दूसरों से प्राप्त होती हैं, वे ठीक नहीं होती हैं। तो जब किसी प्राप्त सूचना के आधार पर कोई आदरणीय सदस्य यह बात कहे जो ठीक न हो, तो हम उसके ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि जानबूझ कर उसने झूठ बात कही है, जब तक कि यह जानबूझ कर गलतबयानी का आरोप सिद्ध न हो जाय, तब तक मैं समझता हूं कि जो हमारा निर्णय है वह ठीक है कि किसी भी मंत्री के ऊपर जिसने प्राप्त सूचना के आधार पर यहां वक्तव्य दिया हो, उस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

अब इस समय हमारे सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि जो जिलाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर अर्द्धसत्य या पूर्णतया असत्य सूचनायें दी जाती हैं

[श्री अध्यक्ष]

जिनके कारण सदस्यों में भी असन्तोष होता है, उनका उपचार क्या है ? ऐसी सूचनायें कदाचित सदन में नहीं दी जातीं तो ज्यादा अच्छा था। अब इस सम्बन्ध में हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिये ? इस पर हमने माननीय नेताओं को बुलाया था और इस पर विचार विमर्श किया लेकिन मैं किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाया कि किस प्रकार से इन बातों पर अन्वेषण हो जिससे हम सत्यासत्य का निश्चय कर सकें और जिस अधिकारी ने झूठ या असत्य सूचना दी, उसको सजा दे सकें।

अब केवल प्रश्न यह है कि हमारे यहां यह निर्णय हो चुका है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने मंत्री को गलत सूचना देता है या असत्य सूचना देता है तो उस कर्मचारी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो अब हमारे पास दो निर्णय हैं। एक तो यह कि मंत्री जो अपनी प्राप्त सूचना के अनुसार वक्तव्य दे, तो उस पर विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता और दूसरा यह कि जो अधिकारी जिसका हम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है गलत सूचना या असत्य सूचना दे उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अब प्रश्न होता है कि क्या किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि विभिन्न दलों के आदरणीय नेता और आदरणीय सदस्य कृपया विचार करें और हम बैठ कर निर्णय करें कि कौन सी प्रक्रिया अंगीकार की जाय जिससे हमें सन्तोष हो सके।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक साल के करीब हुआ कि मध्य प्रदेश में किसी अधिकारी ने मंत्री को गलत सूचना दी और उस विभाग के मंत्री ने उस गलत सूचना को हाउस में दे दिया। जब माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया और मंत्री जी को पता चल गया कि हमने सदन में गलत बयान दिया तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसलिये मैं, श्रीमन्, चाहता हूं कि आप भी इसी तरह की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, एक प्रश्न है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि इस विषय पर इस पीठ से कोई व्यवस्था निश्चित रूप से नहीं हो सकती। इस पर आदरणीय सदन को विचार करना होगा कि किस प्रकार की पद्धति और परम्परा हम अंगीकार करें। जहां तक आज के प्रश्न का सम्बन्ध है इसमें दो सूचनायें आई थीं माननीय राजस्व मंत्री और माननीय हरगोविन्द-सिंह के सम्बन्ध में। उनके उत्तर यह हैं कि, जो सूचनायें हमारे पास आई थीं, और जिनकी हमने फिर पुष्टि कर ली है जिला अधिकारियों से प्राप्त हुई थीं। हमने जो बयान दिया वह सूचना के अनुरूप और परिपुष्ट सूचना के आधार पर दिया। ऐसी हालत में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। अब रहा दूसरा प्रश्न कि गलत सूचना पर कि हमें कौन सी प्रक्रिया या कौन सी पद्धति अंगीकार करना है, यह एक अलग विषय है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आप जो कहते हैं उसका बड़ा मिसयूज हो सकता है, वह यह है कि कोई मंत्री गलत जवाब देना चाहते हैं मसहलतन या अपनी पार्टी को बचाने के लिये तो वह इस बात की आड़ ले सकते हैं और वे गलत सूचना दे देंगे। इसलिये ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे गड़बड़ी करने का मौका न हो। आपके सामने पार्लियामेंटरी पद्धति को सामने रखते हुये और कोई चारा नहीं है कि आप मंत्री को रेस्पांसीबिल ठहरायें। यही हाउस आफ कामंस, लोक सभा और तमाम जिम्मेदार पार्लियामेंटरी इंस्टीटयूशंस में है कि मंत्री हाउस के लिये रेस्पांसीबिल हैं। मंत्री जी कहेंगे कि हम जांच करवा रहे हैं। और कौन अफसर जिम्मेदार है, पटवारी जिम्मेदार है, या तहसीलदार जिम्मेदार है, डिप्टी कलेक्टर जिम्मेदार है या कलेक्टर जिम्मेदार है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जिम्मेदार है या सेक्रेटरी जिम्मेदार है, यह मसला कभी तय नहीं होगा। तो इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा और हो रहा है। गोरखपुर कांड में

आप यह व्यु नहीं ले सकते कि माननीय मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। वह हमेशा यही आड़ ले सकते ह। इसलिए पार्लियामेंटरी परम्पराओं को सही तरीके से लेना चाहिए। खेर साहब की रूलिंग को रिवाइज कीजिये। लोक सभा के ट्रेडीशंस, हाउस आफ कामंस के ट्रेडीशन्स के हिसाब से माननीय चन्द्रजीत जी के विशेषाधिकार के प्रश्न को पेंडिंग रखिये।

श्री अध्यक्ष—

कोई रूलिंग दे दीजिये।

श्री भगवानसहाय—

हाउस आफ कामंस की बीस रूलिंग दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

उनको देख तो लूं। फिर विचार हो सकता है।

श्री भगवानसहाय—

आप ओपेन रखिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अभी आपने विचार प्रकट किया कि किन्हीं परिस्थितियों में अधिकारी को रेस्पांसिबिल होल्ड नहीं कर सकते हैं, प्रिविलेज का मोशन नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

हमारा उनका साक्षात् सम्बन्ध नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कारण मैंने सुन लिये। और उन्हीं कुछ कारणों से मंत्री को मुक्त करना चाहते हैं क्योंकि वह किसी के आधार पर सूचना देता है, मैं समझता हूं कि एक सिद्धान्त को आप सामने रखें। मंत्री कहता है कि हाउस को हम रेस्पांसिबिल हैं। मंत्री अपने सबार्डिनेट्स के लिए हाउस को रेस्पांसिबिल है, जैसे इंगलैण्ड में किसी ने कहा था कि अगर हमारे किसी नीचे के अधिकारी ने गड़बड़ किया हो तो उसके लिए हम रेस्पांसिबिल हैं। यह सिद्धान्त यहां पर भी लागू है। हम मंत्री को ही रेस्पांसिबिल होल्ड कर सकते हैं। आपने मंत्री को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि वह किसी दूसरे की सूचना के आधार पर यहां बयान देता है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ है इसको उठाकर देख ल। जिन मंत्रियों ने एक से अधिक बार माफी मांगी है, उनके रेकार्ड को उठा कर देखिये। जिस अधिकारी की गलत सूचना के आधार पर उन्होंने सूचना दी उसके खिलाफ उन्होंने क्या ऐक्शन लिया? क्या उसको सस्पेंड किया? अगर आप इसको रोकने के लिए कोई स्टैप नहीं लेते हैं तो, जैसा माननीय चन्द्रजीत यादव ने रखा है, उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए। माननीय खेर साहब की रूलिंग हो या पार्लियामेंट की रूलिंग हो, हम मानते हैं कि किसी-किसी परिस्थिति में आपकी बुद्धि कहीं अच्छी होगी। आप पुनर्विचार करें और विरोधी दल के हितों की रक्षा करें। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे तो मंत्रिगण गलत बातें कहते रहेंगे और हम लोग बैठे रह जायेंगे और उनकी भर्त्सना भी नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि तीन बार से ज्यादा अगर कोई मिनिस्टर मांफी मांगें तो सदन में उसकी भर्त्सना होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप हमसे मिल लीजिये।

श्री झारखण्डे राय—

मान्यवर, आपने अपने बयान में "जानबूझ कर" शब्द का इस्तेमाल किया। कौन जानबूझ कर बयान देता है और कौन नहीं इसकी नापतौल कैसे होगी? नीयत को अध्ययन करना मुश्किल

[श्री झारखण्डेराय]

है सिवा इसके कि किसी बयान को 'आब्जेक्टिवली' देख कर उसका मूल्य आंकें। जो घटना गोरखपुर में हुई है और जो मामूली बयानों में गलतियां हो जाती हैं दोनों को दो स्तर पर रख कर देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, अगर रेवेन्यू अथवा सिंचाई विभाग के मामले में कोई बयान हो और उसमें कोई गलती हो जाय तो उसका स्तर दूसरा है और इस विशेष घटना का स्तर दूसरा है। इस मसले को लेकर पूरे प्रदेश में एक क्षोभ पैदा हुआ था, जिसको लेकर तमाम विरोधी पार्टियों की न्यायिक जांच की मांग आ रही थी। जिस विषय पर सरकार और गोरखपुर के अधिकारियों से टेलीफून और वायरलेस से बातें हुईं, उसके ऊपर जब बयान गलत दिया जाता है तो उसको गम्भीरता से देखना होगा और इस पर मंत्री जी की जिम्मेदारी ठहरानी होगी। अधिकारियों ने इस मामले में क्या रिपोर्ट भेजी है यह सदन को तनिक भी पता नहीं है। अधिकारियों की कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने कभी रखी ही नहीं जाती है। कुछ रिपोर्टों को कह दिया जाता है कि गोपनीय और जनहित में न होने के कारण नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार किसी न किसी कारण से जो अधिकारियों के यहां से जो रिपोर्ट आती है वह हमारे सामने कभी नहीं आती है, जिनके आधार पर मंत्रियों द्वारा यहां पर हाउस में बयान दिया जाता है। हो सकता है रिपोर्ट कुछ आती हो, लेकिन मंत्री जी राजनीतिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से या अन्य किसी कारण से उसे न बताकर अपनी तरफ से बना कर उलटा बयान ही दे दिया करते हों। मैं समझता हूं, ऐसी परिस्थिति में पूरे मामले को देखा जाए और आपको अपनी रूलिंग को बदलना चाहिये और मंत्री जी ने जो गलत बयान दिये हैं, उसके लिये उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिये और जो प्रस्ताव श्री चन्द्रजीत जी ने पेश किया है, उस पर विचार करके आप उस पर अवश्य उचित आज्ञा प्रदान करें नहीं तो हर जिम्मेदारी से, चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण हो, मंत्री जी इसी तरह से बचते रहेंगे और अपने अधिकारियों को बचाते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अभी यह कहा गया कि "हम इस सम्बन्ध में रूलिंग दिखाएंगे" और मैंने कहा कि रूलिंग दिखा दीजियेगा, तो हम पुनः विचार करेंगे। इस समय जो रूलिंग है, वह हमारे यहां की है। आगे यदि दिखाई जायेगी रूलिंग तो विचार किया जाएगा। इस समय अब इसको समाप्त कीजिये।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री रामसुन्दर जी, आप मेरे यहां आये नहीं जब बुलाया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपके यहां गया तो था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में आपको व्यवस्था देना आवश्यक है कि जहां पर ३–३ बार हो जाए और माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख आएं . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आपका, श्रीमन् ध्यान नेताओं की बैठक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें तय यह हुआ था कि इस नियमावली में कोई ऐसा नियम संशोधन होना चाहिये, जिससे अधिकारी, जो गलत बयान मंत्रियों के जरिये दिला देते हैं, उन्हें सजा दी जा सके। यह बात सर्वसम्मति से तय हुई कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये और उसमें आपने यह भी कहा कि नियम समिति के सदस्य रामसुन्दर को इस प्रकार का नियम लाकर सदन से पास कराना चाहिये कि इस प्रकार का अंकुश अधिकारियों पर रहना चाहिये। इस विषय पर दूसरे दिन भी इसी प्रकार का विचार करने के लिये विचार स्थगित हुआ कि अन्य प्रान्तों में क्या होता है, उनके यहां इस बारे में क्या

और कैसी व्यवस्था है। तो यह बात नहीं है कि हमने उस दिन विचार नहीं किया और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि जो अधिकारी इस तरह की गलत सूचना देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय। हमने यह तय कर लिया था कि ऐसे अधिकारी को सजा अवश्य मिलनी चाहिये, अब उस सजा देने के रास्ते को हमको ढूंढ़ने की बात है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि यह मानी हुई बात है कि संविधान में आपने नागरिकों को अधिकार दे रखा है कि हर एक नागरिक, जब उसके मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हो, अपनी बात अहिंसा के द्वारा मनवा सकता है, यह उसका अधिकार है। माननीय हरगोविन्दसिंह कहते हैं कि केवल २४ हजार रुपया मुआवजे का कृषकों को देना बाकी था और हमारी जो जानकारी है, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग वहां जाकर देखकर आये हैं, अथवा जो अन्य स्रोतों से विदित हुआ है १ लाख ४४/४५ हजार रुपया का मुआवजा कृषकों को देना बाकी है। इसी तरह से सरकार के अनुसार केवल २ व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये, जबकि हम लोगों की जानकारी के अनुसार ४ या ज्यादा आदमी मारे गये। तो श्रीमन्, इन बातों में बड़ा अन्तर है और जब सरकार के बयान से अन्तर पड़ जाये और जो गैरसरकारी पक्ष है,जिसके लोगों ने जाकर देखा है, यह बड़ी गम्भीर स्थिति हो जाती है। श्रीमन्, मेरा खयाल है आपने भी रूलिंग दे रखी है और शायद खेर साहब ने भी यह रूलिंग दी है कि सरकार और सदस्यों की सूचना में अन्तर पड़ता है और मंत्रियों ने घटना और घटनास्थल को अपनी आंखों से नहीं देखा है, जबकि सदस्यों ने स्वयं देखा है, तो जो सदस्य आंखों से देख आते हैं वह मान्य होता है। मेरा खयाल है कि माननीय खेर साहब का कोई निर्णय है.....

श्री अध्यक्ष—

निर्णय कृपा करके आप दिखला दीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

निर्णय की बात दूर भी रख दी जाय तब भी जो परिस्थिति इस प्रदेश की है उसमें आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि उपनेता सदन अवश्य मानेंगे कि जब कि प्रदेश के लोग ईमानदारी से कानून के जरिये से अपने हकों को लेना चाहते हैं, उस वक्त सरकारी पक्ष और उसके अधिकारी अगर उनपर गोली चलावें....

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी, विषयान्तर हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं विषयान्तर कहां कह रहा हूं? हम और जनता वहां क्या करें जब अहिंसा से अपनी मांग पूरी कराने वालों के ऊपर आप गोली चलाकर उनको हिंसा की ओर अग्रसर करना चाहें, लोगों के दिलों के अरमानों को तोड़ना चाहें तो अब हम और जनता क्या करे? एसे मौलिक अधिकार के प्रश्न पर जब सरकारी और गैर सरकारी पक्षों में मौलिक मतभेद है तो उस वक्त आपको और सरकार को संजीदगी से विचार करना चाहिये और माननीय सुचेता कृपालानी और उपनेता सदन को तो विशेष कर इसे सोचना चाहिये। मैंने अखबार में पढ़ा कि आप कल भैयाजी को देखने गये।

श्री अध्यक्ष—

विषयान्तर हो रहा है। व्यवस्था के प्रश्न पर तो बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहिये। आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, आप तो वकील हैं, मैं तो कोई वकील नहीं हूं। विषयान्तर केवल इतना है कि माननीय हरगोविन्दसिंह ने इधर दो तीन महीने के अन्दर जो गलत काम किये हैं वह सारे के सारे इकट्ठा होकर यह प्रकट करते हैं कि अगर ऐसे मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा और आप उसकी छानबीन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि पुलिस के अधिकारी ऐसे कुकृत्यों को करेंगे और मंत्री की आड़ में अहिंसा और लोकतंत्र को दबायेंगे। हम सब का सदन में निर्भीकतापूर्वक बैठकर काम करना असंभव हो जायगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय चन्द्रजीत जी यादव के विशेषाधिकार के प्रश्न पर फिर से रूलिंग देने के पहले आप हम लोगों को सुनकर तब फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं वायदा करता हूं कि आप लोगों को मैं सुनूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मुझे आपसे केवल तो बातें कहनी हैं। रूल्स आफ प्रोसीजर और कंडक्ट जो इस सदन के हैं, उनको जहां तक मैं समझ पाया हूं वे अल्पमत के अधिकारों को ही रक्षित करते हैं। आज जो समस्या खड़ी हो गयी है, आप जरा उस पर विचार करें। सरकार का बहुमत है। अब एक सूचना माननीय सदस्यों ने इधर से दी और माननीय गृहमंत्री ने उधर से दूसरी सूचना दी। माननीय सदस्यों का इधर के यह कहना है कि उनकी सूचना गलत है और वह कहते हैं कि इधर की सूचना गलत है। अब आपने जो रूलिंग कोट की है उन दोनों ही रूलिंग से बहुमत की रक्षा होती है।

श्री अध्यक्ष--

कैसे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त--

वह इसलिये कि माननीय मंत्री तो अधिकारियों यानी दूसरों की सूचना पर सूचना देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो माननीय सदस्यों पर भी उतना ही लागू है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

इसमें टेक्नीकल आप कृपा करके मत हो जाइये, बल्कि जो व्यावहारिक बात है उसे कृपा करके देखिये। मंत्री महोदय सूचना देते हैं अधिकारियों की सूचना पर और अगर वह सूचना गलत है तो मंत्री महोदय कह देते हैं कि उन्हें जो सूचना मिली है उन्होंने बता दी उसमें उनका दोष नहीं है। अधिकारियों को आपकी रूलिंग के अनुसार हम यहां बुला नहीं सकते। तो सरकार हमको गलत सूचना देती है तो अल्पमत क्या कर सकते हैं ? आप हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और इन दोनों रूलिंग में वह अहीं नहीं हो सकते और हमारे अधिकारों की रक्षा श्रीमान् जी रूलिंग से होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि रूल्स आफ प्रोसीजर में जहां इस प्रकार की गलतियां हैं उन पर अध्यक्ष के नाते आपका कर्तव्य हो जाता है कि अल्पमत के अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से आप विचार करें। इस संबंध में, जहां तक मुझे याद है, तो रूलिंग हो चुकी है। लायब्रेरी से हैंसर्ड अगर मिल गया तो मैं श्रीमान की सेवा में भेजने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार की दो रूलिंग हाउस आफ कामन्स में हो चुकी हैं। उस पर लेबर गवर्नमेंट ने जांच की। वहां पर मिस्टर सैमुअल जो कोल मिनिस्टर थे उन्होंने हाउस आफ कामन्स में संभवतः, मुझे पूरा इस समय

याद नहीं है, उन्होंने अपने सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार यह सूचना दे दी कि इंग्लैंड में कोल की पोजीशन बहुत अच्छी है। परन्तु उसके बाद विन्टर में वहां पर कोल फेमिन हुआ। उस पर कंजरवेटिव दल ने प्रश्न उठाया कि मंत्री जी ने जानबूझ कर हाउस को मिसलीड किया। उस पर रूलिंग हुई।

दूसरी रूलिंग नाइजेरिया के संबंध में है जो अब अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया है। वहां मूमफली पैदा करने की स्कीम थी तो उसके विषय में लेबर गवर्नमेंट के किसी मंत्री ने गलत रिपोर्ट हाउस आफ कामन्स को दी। इस बात पर प्रश्न उठाया गया तो तब यह रूलिंग हुई। अगर लायब्रेरी से मुझको हंसर्ड मिल गया तो मैं बतलाऊंगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूल्स आफ प्रोसीजर से अल्पमत के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। अगर आपकी इन दोनों रूलिंग को मान लिया जाय तो फिर इधर के हर एक सदस्य के ऊपर प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जायगा। इसलिये इस प्रकार की रूलिंग के ऊपर आप विचार करें और उनको बदलने की सोचें।

एक निवेदन मुझे यह भी करना है कि मुझे ७, ८ वर्ष से लगातार इस सदन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बराबर मेरे अनुभव में यह आया है कि सरकारी सूचनायें जो मंत्रियों को मिलती हैं वे अधिकांश गलत होती हैं और जिस समय वे कारनर होते हैं तो उस समय खेद प्रकाश कर देते हैं। अब खेद प्रकाश हो गया, बड़ा अच्छा है, कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन यह आदत सी बन गई है इस सरकार की। आप इस आदत को रोकें अन्यथा फिर हमारे प्रश्नों का, या कामरोको प्रस्ताव का, या दफा ५२ का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। एक और निवेदन आपसे यह है कि इस समय यह विषय यहां पर उठ गया है तो कृपया गृह मंत्रीजी को भी बुलवा लिया जाय और वह भी अपनी राय इस सदन को दे दें। यह तीनों निवेदन श्रीमान् जी के सामने हैं और आप इन पर विचार करें। इस समय आप अपनी निश्चित रूलिंग इस पर न देकर पुनः विचार करने की कृपा करें।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय-समय पर नियम व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत पड़ती है। जिन व्यवस्थाओं से समाज की उन्नति होती है, उसके अनुसार ही नियम बनाये जाते हैं। जो आपने व्यवस्था दी है वह मैं मान सकता हूं कि यदि मंत्रिगण अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक पूरा आदर्श उपस्थित करें तो वह व्यवस्था जो आपने दी है वह ठीक है, लेकिन जो रवइया यहां पर हो गया है और विशेषकर गृह मंत्री का उसको देखते हुये इस प्रकार की व्यवस्था को देने से मैं समझता हूं हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा। मैं फिर कहता हूं कि यदि इस प्रकार का आदर्श उपस्थित किया जाय जैसा कि लालबहादुर जी शास्त्री ने उपस्थित किया था। ट्रेन लड़ गई, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी और वे मौजूदाद भी नहीं थे फिर भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, परन्तु हमारे यह उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का स्तर इतने नीचे गिरता चला जाता है कि ये अपने अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करते हैं। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि यदि आप अपनी व्यवस्थाओं को बदलेंगे नहीं तो फिर हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा और जो प्रश्नों को उठाने का उद्देश्य है वह समाप्त हो जायगा। यहां पर झूठे उत्तर दिये जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सन् १९६२ में बस्ती में गोली चल गई। उस समय जो उप मंत्री पुलिस के थे उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। उस समय उन्होंने खेद प्रकाश कर दिया और यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को दंड दिया जायगा। आप यह पता लगायें कि उन्होंने क्या दंड दिया? इस प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं और उन्हें पलट दिया जाता है। यह मंत्रियों के लिये आये दिन की बात हो गयी है। इसलिये आप इस प्रश्न को ओपेन रखें और हम को अवसर दें और इस पर बाद में निर्णय दें। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री जी गोरखपुर के बारे में बतलायेंगे कि वहां की स्थिति कुछ बदली है अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि जो सूचना मैंने सदन में दी हैं उन सूचनाओं को फिर मैंने संपुष्ट कर लिया है अधिकारियों को पुनः भेज कर । तो उनके अनुसार उनकी सूचनायें सही हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैंने यह कहा था कि उन्हीं अधिकारियों से जांच न करायी जाय, दूसरे अधिकारियों से जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये मैंने तो कहा कि हम लोग बैठ जायेंगे और फिर मैं देखूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने निवेदन किया था कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर उनके लिये कुछ दिखलाइयेगा तो संभव हो सकेगा । आप उसके विरुद्ध कुछ दिखलाइये ।

श्री रामचन्द्र विकल—

इसके माने तो यह है कि ह्विप चाहें तो बोलने दें, न चाहें न बोलने दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्रियों के पास जो इन्फार्मेशन आती है वह दो तरह की होती है. . .

श्री अध्यक्ष—

मुझे मालूम है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है । उस पर आप पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा तो कि अगर आप कुछ और दिखलाइयेगा तो मैं विचार करूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक प्रश्न विशेषाधिकार का मैंने भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

उसे मैं स्टडी कर रहा हूं ।

श्री झारखण्डेराय—

माननीय हरगोविन्दसिंह जी ने आपको जो बातें कहीं हैं अथवा लिख कर दी हैं उनके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिन बातों अथवा जिन सूचनाओं के आधार पर वह वक्तव्य दिये गये हैं उन सभी बयानों अथवा सूचनाओं की कापियां यहां मेज पर आप रखवाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सरकार से पूछिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इसके लिये तो यदि आप आज्ञा देंगे तो वे देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह का कोई नियम दिखला दीजियेगा तो मैं देखूंगा ।

मथुरा तथा देवरिया जिलों में बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ में एक सूचना माननीय चन्द्रबली सिंह तथा माननीय राधेश्याम की है बाढ़ के संबंध में और दूसरी है माननीय चन्द्रबलीसिंह, माननीय बांकेलाल, माननीय उग्रसेन, माननीय शिवचरन लाल, माननीय लखी सिंह की। यह भी बाढ़ के संबंध में है। पहले सूखा थी, अब बाढ़ आ गयी है—

"मथुरा जिला की तहसील छाता व मथुरा तहसील में अधिक मूसलाधार वर्षा ता० २ व ३ सितम्बर को होने से आगरा, देहली सड़क, गोबरधन, बरसाना कोसी सड़क सैकड़ों जगह से टूट गयी है। [× × ×] बहुत से गांवों के नाम दिये हुये हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भरा है। खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। लोग अपने खाने पीने के सामान को भी नहीं निकाल सके, मवेशियों को चारा खाने को अनाज तक नहीं बचा सके, हजारों मकान गिरकर पानी में डूब गये हैं। जनता में असन्तोष है ।

इसी तरह से श्री चन्द्रबलीसिंह का प्रस्ताव है : देवरिया जिले में राप्ती की बाढ़ से कुछ गांवों की अरहर, मक्का, धान, कोदों आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गांव पानी से घिरे हैं। आवागमन रुका हुआ है। इस पर मंत्री जी बयान कब दीजियेगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

सोमवार को बयान दे देंगे ।

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के प्राइवेट परीक्षार्थियों को फार्म उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री तो यहां पर नहीं हैं परन्तु मैं आदरणीय उपनेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शुकदेवप्रसाद तथा शिक्षक जी एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी है वह

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

मैंने स्वीकार नहीं की लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह यों है--"बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, की परीक्षाओं के लिये प्राइवेट परीक्षार्थियों के फार्म भरने की अन्तिम तिथि ७ सितम्बर, १९६५, तक ही है परन्तु अभी हजारों छात्र ऐसे रह गये हैं जिन्हें कि अभी तक फार्म भी नहीं प्राप्त हो सके हैं। गोंडा जिले के बलरामपुर नगर में प्रचार्यों द्वारा परीक्षार्थियों को फार्म देने तथा उन का फार्म अग्रसारित करने से साफ मना कर दिया गया है। केन्द्र व्यवस्थापक स्थान का अभाव बता रहे हैं।" ये फार्म मिल जाने चाहियें। क्या बात है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

बयान सोमवार को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

बयान का सवाल नहीं है। सात तारीख आखिरी है इसलिये आपको शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि फार्म नहीं मिल रहे हैं तो आप तिथि बढ़ाइये वरना वे परीक्षार्थी बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। बयान पर मैं बल नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इन विद्यार्थियों के फार्म भर जायं और उनके इम्तिहान आदि में कोई कठिनाई नहीं आये। इस पर विशेष ध्यान देना है।

व्यापारियों के जब्त किये गये गल्ले को उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

गत सितम्बर, १९६४, में ही जबकि छापे मारे गये और गल्ला पकड़ा गया, जिलाधीशों को यह आदेश दे दिये गये थे कि ऐसे गल्ले के बारे में जिसके खराब होने की आशंका हो, तुरन्त अदालत से आज्ञा लेकर निस्तारण करवा दें। जनवरी, १९६५ में जब सरकार के पास इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ मामलों में अब भी गल्ले का निस्तारण नहीं हो पाया है तो फिर जिलाधीशों को आदेश दिये गये कि वे गल्ले का निस्तारण उस समय के बाजार मूल्य पर बिकवा कर, नीलाम कराकर अथवा किसी अन्य प्रकार से अदालत की आज्ञानुसार करवा दें। फरवरी, १९६५ में सरकार ने पुनः आदेश दिये कि उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यापारियों आदि ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर कर दी है और स्टे आदेश (स्टे आर्डर) जारी कर दिये हों, अन्य सभी मामलों में संबंधित अदालतों से आज्ञा लेकर गल्ले का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करवा दें जिससे वह खराब न होने पावे और गल्ले की उपलब्धता भी बढ़ सके। जिलाधीशों को यह भी आदेश दे दिये गये कि ऐसे मामलों में जो इस समय तक अदालत में नहीं भेजे गये, गल्ला, फौरन छोड़ दिया जावे जिससे वह खराब न होने पावे। मार्च, १९६५ में जिलाधीशों को यह भी निदेश दिया गया कि अदालत द्वारा गल्ले का निस्तारण इस प्रार्थना के साथ किया जाय कि गल्ला व्यापारियों के पक्ष में भी छूट जाय और सरकारी हिसाब में न लेना पड़े। वर्ष १९६४ के अन्त में ही प्राप्त सूचना के अनुसार एक लाख चालीस हजार क्वीन्टल के लगभग पकड़ गये गल्ले में से ५८ हजार क्वीन्टल से कुछ अधिक गल्ला निस्तारण हो चुका था और मार्च/अप्रैल, १९६५ में ३४ जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार १५ हजार क्वीन्टल गल्ला अदालत की आज्ञानुसार निस्तारण करा दिया गया था। इस प्रकार से अधिकांश गल्ले का निस्तारण हो चुका है और केवल १३,००० क्वीन्टल के लगभग गल्ला जो हाईकोर्ट के आदेश के कारण और करीब ४ हजार क्वीन्टल गल्ला जो जिला अदालतों के आदेश के कारण निस्तारण नहीं हो पाया था, इन ३४ जिलों में रुका हुआ था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाई कोर्ट के आदेशों के कारण जो गल्ला रुका हुआ पड़ा था, उसके संबंध में भी स्टैंडिंग कौन्सिल को यह निदेश दिये गये कि वे हाईकोर्ट से प्रार्थना करके गल्ले का निस्तारण शीघ्र करवाने का प्रयत्न करें जिसे कि गल्ला खराब न हो। जिलाधीश कानपुर ने इसमें कुछ कठिनाईयां बताई और उनको तथा अन्य जिलाधीशों को न्याय विभाग की राय के अनुसार निदेश भेज दिये गये कि मैजिस्ट्रेटों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत पकड़े गये गल्ले का निस्तारण करने का परा अधिकार है और इस विषय में शीघ्र कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त तथ्यों से यह विदित होगा कि सरकार द्वारा गल्ले के निस्तारण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की गई और शुरू से ही इस संबंध में समुचित आदेश जा चुके हैं। जहां तक सरकार की जानकारी है गल्ले का अधिकाधिक निस्तारण हो चुका है। कहीं से यह शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि गल्ला सड़ रहा है। और उसके निस्तारण का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना गल्ला पकड़ा गया था और इस वक्त तक कितने गल्ले का निस्तारण हो चुका है और कितना बाकी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पष्टीकरण में ही कह चुका हूं कि १ लाख ४० हजार क्विन्टल के लगभग पकड़ा गया था और जिसमें से ज्यादातर का निस्तारण हो चुका है। १७ हजार क्वीन्टल की सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है कि हो गया या नहीं, लेकिन उसका भी आदेश किया जा चका है कि उसका निस्तारण जल्दी हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, कानपुर को तथा अन्य जिलाधीशों को कब आदेश भेजा गया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मार्च १९६५ में यह आदेश दे दिया गया था। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को स्पेसिफिकली किस तारीख को दिया गया, इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा है---जिलाधीश, कानपुर ने कुछ कठिनाई बतायीं, और उनको तथा अन्य जिलाधीशों को न्याय विभाग के अनुसार आदेश भेज दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के आदेश के आदेश कब गये ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

कई पत्र भेजे गये। उनमें से एक मेरे सामने है, वह ३१ मार्च सन् १९६५ को गया था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि कानपुर में अब भी ७५ हजार मन गल्ला बाकी है, जिसका निस्तारण नहीं हो सका है ? उसके निस्तारण के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

स्टेटमेंट में बताया गया है कि १७ हजार क्विन्टल्स हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

पूरे उत्तर प्रदेश में जखीरे बाजों का गल्ला पकड़ा गया था, लेकिन कानपुर वालों ने हाईकोर्ट में रिट कर दी, इसलिये उनका गल्ला पड़ा हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिलों में जिला अदालतों और हाई कोर्ट में भी लोग गये। लेकिन गवर्नमेंट ने यह मूव किया कि गल्ला खराब हो जायगा, इसलिये उसके बेचने दिया जाय। उनकी आज्ञा के अनुसार आदेश दे दिये गये हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि कुल कितने केसेज पकड़े गये, कितनों पर मुकदमें चलाये गये और जिन पर मुकदमें नहीं चलाये गये, उनका गल्ला छोड़ा गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

नम्बर आफ रेड्स हुये १९२५, प्रासीक्यूशन हुये ६४८, टोटल कनविक्शन हुये १०२, एविक्टेड ५४ और जो गल्ला डिसपोज आफ हुआ वह ५८,१७४.६८ रुपये का हुआ।

श्री अध्यक्ष--

उनका मुख्य प्रश्न है कि जिन पर मुकदमें नहीं चलाये गये, उनका गल्ला छोड़ा गया या नहीं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिनके मुकदमें अदालतों में नहीं गये, उनके बारे में तो पहले ही जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये थे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस समय इतनी महंगाई है और बाजार में गल्ला नहीं मिल रहा है और इतने मन गल्ले का निस्तारण अभी नहीं हुआ है तो उस गल्ले को सरकार जल्दी से जल्दी बाजार में भिजवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने अभी बताया कि कुल १,४१ हजार क्विंटल गल्ला पकड़ा गया था जिसमें से ५८ हजार और ३४ हजार क्विंटल बेच दिया गया है, केवल १७ हजार क्विंटल बाकी है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो ५० हजार मन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेरी जानकारी है कि १ लाख मन गल्ला बाजार में आना बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

इस समय माननीय मंत्री जी १७ हजार क्विंटल बता रहे हैं, उसको ठीक मानकर कोई प्रश्न आप करना चाहें तो करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह ५० हजार मन गल्ला मंत्रीजी कब तक बाजार में भिजवा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये तो पहले ही सरक्यूलर गया हुआ है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गल्ला पेरिशेबिल आर्टिकिल है, जब रिट हो गयी तो तुरन्त होई कोर्ट में क्यों दरख्वास्तें नहीं दी गयी ? और जिन अधिकारियों ने दरख्वास्तें नहीं दीं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने ३-४ स्टेटमेंट में बता दिया है । उनको आदेश दे दिये गये थे कि वे हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दें । अगर हाई कोर्ट ने नहीं रिलीज किया तो क्या किया जा सकता है ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जिन व्यापारियों का गल्ला हाई कोर्ट में रिट होने की वजह से सरकार के पास रखा है क्या वह सरकारी गोदामों में है या उन्हीं व्यापारियों के गोदामों में और उसकी हालत जो बिगड़ती जा रही है, क्या सरकार पूरा करने के लिये तैयार है ? यदि नहीं, तो सरकार हाई कोर्ट में तुरन्त एप्लीकेशन देने की इजाजत दे दे ताकि वह बिक सके और खराब होने से बच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पहले ही रोज जब यह प्रश्न उठा तो बता दिया गयाथा कि कोर्ट के संरक्षण में है । इसका मेरे पास ब्योरा नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जब सारा अनाज नष्ट हो जायगा तो फिर कैसे काम चलेगा ? लोग भूखों मर रहे हैं । उनके पास खाने को अनाज नहीं है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि १७ हजार क्विंटल गल्ला ऐसा है जिसका निस्तारण नहीं हो पाया है और वह पड़ा हुआ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इतनी विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभी कोर्ट से नहीं छूटा है । सब कोर्ट के संरक्षण में है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

अगर कोर्ट के संरक्षण में है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अदालत के कमरे में है, या गोदाम में है और कहां रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कन्ट्रोल में लिया हुआ गल्ला किस जगह पर इकठा है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह अलग-अलग जिलों में अलग-अलग बाजारों में सुपुर्दगी में दिया हुआ है । अगर माननीय सदस्य कही की कोई स्पैसिफिक बात पूछेंगे तो मैं बता दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के आदेश जिलाधीशों के पास जाने के बाद आज भी कोई गल्ला बाकी है, जिसका निस्तारण नहीं हो सका है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इस समय हमारे पास गल्ला है वह १७,००० क्विंटल बाकी रहता है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कहां कहां दरख्वास्तें दी गयीं और कितना बाकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो दफा ५२ के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है, उसमें पुराने जो उनके आदेश थे उनके आधार पर आयी हुयी सूचना दी है। उन्हें नवीन सूचना के आधार पर तथ्य देने चाहियें। यह सूचना इनके पास नहीं है। हमने जो सवाल किये हैं वे इस वक्त की सूचना जानने के लिये किये हैं जिसे वे बताने में असमर्थ हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गवर्नमेंट प्राफ इण्डिया से पूछा कि क्या डी०आई०आर० इसमें लागू कर सकते हैं और इसको डिस्पोज आफ कर सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि डिस्पोज आफ करा सकते हैं। डी० एम्स० को ये आदेश दे दिये गये हैं। उनकी रिपोर्ट की इन्तजार है कि कहां-कहां पर कितना डिस्पोज आफ कर दिया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्तव्य की प्रतिलिपि हमें मिलती है जरा उसको अच्छा छपा हुआ होना चाहिये, यह मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम वह पढ़ने के लायक तो हो !

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजियेगा, मैं देख लूंगा।

साप्ताहिक कार्य-क्रम की सूचना

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्य-क्रम इस प्रकार है--

६ सितम्बर, अर्थात् आज, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५, पर विचार तथा इसका पारण।

७ और ८ सितम्बर, मंत्री परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार।

९ तारीख को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य विवाद, यदि आवश्यक हुआ। मांगों पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

उत्तर प्रदेश पशुरोग विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारण।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

तारीख १०--असरकारी दिवस ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

९ तारीख को अनन्त चौदस है और अनन्त चौदस की हमेशा छुट्टी हुआ करती है तो यह जो परम्परा चली आती है, उससे क्यों सरकार हट रही है ?

श्री अध्यक्ष--

अनन्त चौदस की शायद छुट्टी नहीं होती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

बंशीधर पांडेय जी को अविश्वास के प्रस्ताव पर स्वयं फैसला नहीं कर लेना चाहिये था । ४ दिन से कम इस पर बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

कल मैं कार्य मंत्रणा समिति को बुला रहा हूं । वहां पर बातचीत हो जायगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

सरकार ने अपने मन से ही ७ और ८ दो दिन निश्चित कर लिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कल सबेरे साढ़े ९ बजे कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग बुला रहा हूं ।

श्री बृजबिहारी--

मैंने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

अनन्त चौदस की छुट्टी के बारे में आप लोग बैठ कर तय कर लें । सरकार से कहिये, मुझ से न कहिये । छुट्टी देना मेरे अधिकार की चीज नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

एजेंडे में ६ बजे के बाद श्री रक्षपाल सिंह का नियम ५३ के अन्तर्गत प्रश्न है, तो ५ से ६ बजे तक क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

६ बजे तक तो यह तय कर लिया है कि बिल चलेगा और उसके बाद माननीय रक्षपाल सिंह द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत सोमवार को लिया जाय, यह तय हुआ था ।

कतिपय विषय

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या यह सत्य है कि हमारी फौजों ने लाहौर के ऊपर हमला बोल दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

पता नहीं, इस समय मुंह से क्या बात निकल जाय । जो बात पुष्ट होगी वह बतला दी जायगी और वही ठीक रहेगा ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

बात सच है ।

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिनांक तक बढ़ा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिनांक तक बढ़ा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, आगामी सत्र के लिये जो इस विधेयक के ऊपर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ायी जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आगामी सत्र कब होगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें आपको क्या परेशानी है ? वह मालूम हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, दिक्कत यह है कि इस हाउस के सामने जो बातें कही गयी हैं, उसके लिये आवश्यक है कि आप जरा बतला दें कि आगामी सत्र के लिये कौन सा समय आपने निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह गवर्नमेंट बिल है, गवर्नमेंट अपना बिल ले आयी लेकिन कुछ कारण वश अभी वह उसे पास नहीं कराना चाहती है । जब आवश्यक होगा तब वह उसे पास करायेगी । तो उसमें हमारा कोई दखल नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

यह परम्परा रही है, श्रीमन्, कि आगामी सत्र कब होगा, उसकी जानकारी सदन को हो दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो होगा ही, जब यह सदन स्थगित होगा तब उसकी घोषणा होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-१९५८ में अभिसूचित संशोधन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मद १० को मैं ले रहा हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह द्वारा अल्पसूचित संशोधन का प्रस्ताव सचिव, विधान सभा पढ़कर सुनायेंगे ।

सचिव, विधान सभा--

नियम २७० की तीसरी चौथी पंक्तियों के पदसमूह "कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक" के स्थान पर "किसी संकल्प के तब तक प्रस्तावित करने की सदन से अनुज्ञा न मांगी जायगी, जब तक उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की" रख दिया जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, इसके पहले कि आप इसके लिये सदन से अनुज्ञा लेने को रखें, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नियमानुसार १५ दिन पहले इसका ड्राफ्ट आपको प्राप्त हो गया था ?

श्री अध्यक्ष--

हां, प्राप्त हुआ था, वह हमारे पास है ।

अब यह नियम समिति को जायेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष--

तो यह नियम समिति को जायेगा ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५†

श्री अध्यक्ष--

उस दिन माननीय हिम्मत सिंह जी इस पर बोल रहे थे ।

(इस समय १ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री कमलासिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध करने के लिए और माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक में दो तीन वधाराओं में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । इसमें जो खास बात रखी गयी है वह यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख में अविश्वास के प्रस्ताव का समय १ वर्ष से २ वर्ष निश्चित किया गया है । विरोधी दल की तरफ से यह सुझाव आया और यह कहा गया कि दो साल नहीं करना चाहिये, एक ही साल रहने दिया जाय क्योंकि अध्यक्ष या ब्लाक प्रमुख जो हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं रख सकेगा । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार विकास के कार्य सुचा रूप से संचालन कराना चाहती है न कि उसमें बाधा उत्पन्न करना चाहती है । विकास के जितने कार्य होते हैं वे जिला परिषद् के अध्यक्षों द्वारा होते हैं, उनका एक्जीक्यूशन ब्लाक प्रमुखों द्वारा होता है । यह आवश्यक है कि उन कार्यों को कराने के लिये उनको अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रहे । उनको अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने रास्ते पर थोड़ा सा विश्वास रहे इसी विश्वास के साथ वे कार्य कर सकते हैं । अगर उनके ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव की तलवार टंगी रहती है तो वे उस प्रकार से कार्य करने में क्षम्य नहीं रह सकते हैं जैसा कि रहना चाहिये । दूसरे यह देखा गया है कि अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर ब्लाक समितियों में और जिला परिषदों में

---

†२ सितम्बर, १९६५ की कार्यवाही से ।

[श्री कन्हैयालाल]

अक्सर सदस्य लोग पार्टीबन्दी में फंस जाते हैं और न वे स्वयं काम करते हैं और न जिला परिषद् के अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को काम करने देते हैं। इसलिये आवश्यकता है कि इस बात का प्राविधान हो कि अविश्वास का प्रस्ताव जल्दी-जल्दी न आ सके। दो साल का जो सवाल इसमें रखा गया है यह स्वागत करने के योग्य है। इसमें कम से कम जिला परिषद् के अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख को काम करने को दो साल का मौका मिल जायगा। यह इसलिये किया गया है जिससे विकास के काम आगे बढ़ सकें। जहां तक अंकुश की बात है हम अंकुश लगाना चाहते हैं लेकिन हम उनके कामों में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। इस संशोधन का मैं स्वागत करता हूं।

दूसरी बात यह कही गई है कि जिला परिषद् और ब्लाक समिति का कार्यालय बिना सरकार की स्वीकृति के न बदला जाय। यह बहुत अच्छा संशोधन है। बहुत से ब्लाकों के कार्यालय ऐसी जगह पर बने हुये हैं जिनको देख कर हंसी आती है। परसंडा ब्लाक हमारे यहां मथुरा जिले में है जिसका कार्यालय सादाबाद में है जो कुरसण्डा से ५ मील है और राया का कार्यालय माट ब्लाक के गांव में बना है। इस प्रकार से मैजोरिटी के आधार पर जहां चाहे वहां कार्यालय बना लिये जाते हैं जिससे जनता को बड़ी असुविधा होती है और यह अंकुश जो लगाया गया है बिलकुल ठीक है। इससे कार्य में सुचारुता आयेगी और बाधायें दूर होंगी।

तीसरी बात यह है कि शिक्षक चुनाव समिति का इसमें प्राविधान किया गया है। वैसे यह सही है कि चुनाव समिति मौजूदा अधिनियम के मातहत है उसका यह कार्य है लेकिन एक आध मास्टर नहीं चुना जाता है बल्कि १००-१५० मास्टर चुने जाते हैं जिसके लिये कम से कम २-३ हजार दरख्वास्तें आती हैं। आप समझ लीजिये कि इस चुनाव समिति के ऊपर कितना कार्य बढ़ जायेगा। इसीलिये इस समिति का प्राविधान किया गया है। यह संशोधन भी स्वागत करने योग्य है।

इसके अतिरिक्त धारा ४३ में जो संशोधन किया गया है कि यदि अध्यक्ष का मत हो कि शिक्षक चुनाव समिति या चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मंडल के आयुक्त के पास भेज सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा। यह बात समझ में नहीं आती, यह अव्यवहारिक है। शिक्षक चुनाव समिति को एक आध उम्मीदवार तो चुनना नहीं होगा बल्कि उसको सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार चुनने होंगे। यह सम्भव हो सकता है शिक्षा चुनाव समिति में १०० आदमियों में से ५० आदमियों को अध्यक्ष मंजूर करे और ५० को नामंजूर करे। यह कम परिस्थितियों में सम्भव है कि अध्यक्ष अक्षरशः चुनाव समिति की राय मान लें। ऐसी परिस्थितियों में आये दिन कमिश्नर को अपील जाय, यह ठीक नहीं है। म्युनिसिपैलिटी अधिनियम में कमिश्नर के कुछ अधिकार हैं। लेकिन वह अधिकार उनकी सीनियारिटी, जूनियारिटी या जहां पर उनकी हकतलफी हुई हो, उसी के सम्बन्ध में कमिश्नर को अधिकार देना चाहिये। अप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में कमिश्नर को अपील का अधिकार देने से झगड़े उत्पन्न होंगे। मंत्री जी इस पर विचार करें और आवश्यक समझें तो इसको संशोधित करें।

एक दफा मैंने कहा था कि प्रान्तीय लेविल पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि उनके लिये जो १२ प्रतिशत का प्राविधान है, उसको देख सकें, उसी प्रकार मेरी मांग है जिला लेविल पर इसी चुनाव समिति में हरिजनों का भी एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। जिला परिषद् के अन्तर्गत जिले के बहुत से विभाग हैं, एक अच्छे खासे परसेंटेज का चुनाव समिति प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि चुनाव समिति में हरिजनों का एक प्रतिनिधि अवश्य रखें ताकि वह हरिजनों के प्रतिनिधित्व को देखता रहे। यह देखने में आया है कि बहुत से परिषदों में जिनमें मथुरा भी है मीनियल स्टाफ, क्लर्क और इंस्पेक्टर, जितने भी पद हैं उनमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया। इसलिये हरिजनों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

प्रस्तुत अधिनियम के सम्बन्ध में मुझे कुछ सुझाव देना है। क्षेत्र समिति व जिला परिषद् अधिनियम ऐसे हैं जैसे कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। जिला परिषद् में ब्लाक के प्रमुख है, क्षेत्र समिति प्रतिनिधि हैं, कुछ एम० एल ०एज० हैं, कुछ एम०एल०सीज० हैं, कुछ बैंक के प्रतिनिधि हैं कुछ डी० सी० एफ० के प्रतिनिधि हैं, और कुछ सरकार के नामांकित व्यक्ति थे इस प्रकार यह संगठन बनाया गया है। यह जिला परिषद् की बाडी एग्जिक्युटिव बाडी है लेकिन उसके सदस्य जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। वह डाइरेक्ट चुनाव से नहीं आते, चाहे क्षेत्र समिति के प्रतिनिधि हों या ब्लाक के प्रमुख हों, चाहे सोसाइटी के प्रतिनिधि हों। उसमें डाइरेक्ट चुनाव से कोई नहीं आता। अनुभव के आधार पर यह देखा गया है जिला परिषद् के सदस्य जो इनडाइरेक्ट चुनाव से आते हैं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। जिस बाडी में एक्जीक्यूटिव पावर्स हों उसके सदस्यों का इनडाइरेक्ट चुनाव करना उचित नहीं मालूम पड़ता। एक बात बड़ी हास्यास्पद यह है कि इनडाइरेक्ट चुनाव से बी०डी०सी० का प्रमुख आता है और इनडाइरेक्ट चुनाव से ही बी०डी०सी० का प्रतिनिधि भी आता है। जब इनडाइरेक्ट चुनाव से जितने आदमी आते हैं, जैसे ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष व चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड इत्यादि, उनके ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव का प्राविधान है। ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन जो उन्हीं वोटर्स से चुनकर ब्लाकों के प्रतिनिधि जिला परिषद् में आते हैं, उन पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता है तो या तो इनके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविधान होना चाहिए या फिर इन्हें इनडाइरेक्ट चुनाव से न लेकर डाइरेक्ट चुनाव से लें ताकि जनता के द्वारा चुनाव कुछ सदस्य तो उसमें, जिला परिषद् में पब्लिक के प्रतिनिधि पहुंचे। यह मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि इस पर विचार करें और इस व्यवस्था का प्राविधान करें।

एक बात मैं, अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा मौजूदा विधेयक है, जिसके अनुसार काम हो रहा है, उससे हरिजनों को राजनीतिक दृष्टि से पचास साल पीछे फेंक दिया गया है यानी उसमें उनके लिये अनुमेलन (कोआप्शन) का प्राविधान रखा गया है जो गलत है। हरिजन एम०पी० हो सकता है, विधानसभा का सदस्य हो सकता है, म्युनिसिपल बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है चुनाव के जरिये से, लेकिन वह चुनाव से जिला परिषद् का मेम्बर नहीं बन सकता। यदि उसे जिला परिषद् का मेम्बर बनना है तो उसे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी जिला परिषदों में कोई आवाज नहीं है, बल्कि वह तो कुछ सम्पन्न लोगों की पाकेट की चीज बना हुआ है, जिन्हें वे अपने मतलब से मौके पर प्रयोग करता है। इस प्रकार से हरिजनों के अच्छे योग्य व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाते हैं तथा जिला परिषद् में हरिजनों की आवाज उठाने वाले बहुत कम सदस्य हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रतिनिधत्व का प्रश्न जो हरिजनों को नौकरियों में लेने का है, वह नगण्य होता जा रहा है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें। इस प्रकार की एक कमजोरी की भावना जो हरिजनों में आ रही है, उसको विचार कर उनको संशोधन के द्वारा आप दूर करने की कृपा करें।

एक चीज, श्रीमन्, ऐसी देखने में आयी, जैसा कि भीखालाल जी ने कहा प्रोग्रेसिव असिस्टेंट के बारे में। कुछ मुझे भी इस बात को देखकर बड़ा ताज्जुब है। हर ब्लाक में प्रोग्रेसिव असिस्टेंट रखे गये हैं उनका कार्य यह है कि जो आंकड़े प्रमुख या बी० डी० ओ० न भेज सकें, उन्हें ये प्रोग्रेसिव असिस्टेंट सरकार को भेजें। लेकिन उसमें एक बात यह भी है कि जो प्रोग्रेसिव असिस्टेन्ट के चाल चलन की किताब है, उसमें एन्ट्री करेगा बी०डी०ओ०। यह कितनी हास्यास्पद बात है। इस तरह से उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती है। वह कभी भी, ऐसी परिस्थिति में बी० डी० ओ० के खिलाफ जाने का साहस नहीं कर सकता है। जो बी० डी० ओ० आंकड़े देगा उसी के अनुसार वह भी करेगा। इस पर आप विचार करें और अगर हो सके तो प्रोग्रेसिव असिस्टेट के करेक्टर रोल में एन्ट्री देने के लिये या तो आप जिला परिषद् के अध्यक्ष को अथोराइज करें या फिर डी० पी० ओ० को करें, लेकिन यह चीज बी० डी० ओ० के हाथ से अवश्य निकाल लेनी चाहिए।

एक और बात है, धारा ४३ के अन्दर जहां पर चुनाव समिति बनी हुई है, उसकी उपधारा २ और ३ में यह है कि ४०रुपये या उससे कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों का अप्वाइंन्टमेंट विभाग का अध्यक्ष करेगा।

[श्री कन्हैयालाल]

श्रीमन्, अभी जो वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट आयी है, मैंने उसे पढ़ा नहीं है किन्तु उसमें निम्न कर्मचारियों के लिये प्राविधान अवश्य होगा, मेरा भी व्यक्तिगत विचार है कि आज के युग में ४० रुपये के कर्मचारी रखने की बात समझ में नहीं आती, जो मीनियल स्टाफ भी होगा उस की भी तनख्वाह ४० रुपये से ऊपर ही होगी। तो विभागाध्यक्ष के पास ४० रुपये से ऊपर के अप्वाइन्टमेन्ट का अधिकार होना चाहिये कि वे मीनियल स्टाफ की नियुक्ति करगे, क्लास के नाम से हो, रुपये पर न हो और यह हो कि उस क्लास से ऊपर की नियुक्ति सेलेक्शन कमेटी द्वारा होगी। यह मेरे चन्द सुझाव थे जिन पर मुझे विश्वास है मंत्री जी विचार करेंगे और आवश्यक संशोधन इसमें लायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय कमला सिंह और भीखालाल जी ने जो अनुमोदन का प्रस्ताव किया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय....

श्री अधिष्ठाता—

प्रेमसिंह जी, आप तो इस पर बोल चुके हैं दो बार नहीं बोला जाता।

श्री सुखदेवप्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बोलना इसलिये पड़ रहा है कि हमारे यहां जिला गोंडा में जो कार्य जिला परिषद् का इस समय चल रहा है, वह इस समय ही नहीं बल्कि शुरू से इतना खराब है कि कांग्रेस के १३ तटस्थ लोग हट गये हैं और काफी गड़बड़ घोटाला वहां हो चुका है और कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं। हमारे यहां जो विकास खण्ड है उनके सुधार के लिये यह विधेयक आया है लेकिन जो कर्मचारी वहां पर नियुक्त हैं हमारे जिले में विकास खन्ड अधिकारी, सहायक विकास खंड अधिकारी, ग्राम सेवक मंत्री, हर किस्म के अधिकारी जिनके प्रभाव का लाभ होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। मैं तराई और नैपाल राज्य से मिले क्षेत्र से, जो सारे देश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, चुनकर आया हूं, मैं सरकारी नौकरी में भी रह चुका हूं, मैं हर प्रकार से जानता हूं हर माने में क्या हो रहा है। मैंने देखा है १६ तारीख को दिल्ली में विकास की कोठी खड़ी है सात मंजिल की, उसे देखकर मैं हैरत में आ गया, लेकिन मैं जब नियोजन कार्य गांवों में देखता हूं तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अन्तर लगता है। यहां कहा जाता है सीमेन्ट नहीं है, सैकड़ों और हजारों बोरी सीमेन्ट दिल्ली में पड़ा सड़ रहा है, दिल्ली की बात भी छोड़िये, अपने जिले की कहता हूं जिन्हें सीमेन्ट की जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है, जो जानवर पालना चाहते हैं उनके लिये जानवर नहीं है इसी प्रकार से अच्छे खाद, अच्छे बैल, अच्छे बीज, अच्छी नालियां, अच्छे पुल बने अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो, मैंने पंचपेड़का और बलरामपुर तहसील में देखा है तो हैरत होती है कि नियोजन के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपया लिया गया और उसको मिट्टी में मिला दिया गया और कोई तरक्की वहां नहीं हुई है। सरकार ने एक हाई स्कूल भी वहां पर नहीं खोला है। वहां पर बरसात में आने जाने में बहुत समय लग जाता है और २२ नाले पार करके जाना पड़ता है। लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर एक पुल भी नहीं बनाया जा सका है। और वहां पर स्कूल हैं भी तो मैं बतलाऊं कि महीने में ३० दिन अध्यापक वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। बरसात के दिनों में यह हाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहता है। ४ महीने यही हालत रहती है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यह नियोजन कार्य बिलकुल अनियोजित ही हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं हमारी जनता से गाढी कमाई का पैसा लेकर और टैक्स लगाकर पैसा वसूल करके जो तरक्की के कार्य में लगाना चाहिये उससे हमारे गांवों का और हमारे गरीबों का कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, उस पंचायत मंत्री की हालत यह है कि सरकार उसको आज तक सरकारी कर्मचारी नहीं बना सकी है। उसके लिये हम लोगों ने बारबार आग्रह किया। सरकार अगर यह समझती है कि वह उपयोगी आदमी है तो उसको सरकार को सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिये। यह नहीं, जो अभी वेतन अभिनवीकरण समिति के अवसर वेतन बढाया गया है उसके अनुसार उसका वेतन भी बढ़ाना चाहिये।

(इस समय १ बजकर ५० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

मैं यह समझता हूं कि पंचायत सेक्रेटरी का काम ब्लाक में सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरे काम तो जो हुए हैं वे नहीं के बराबर ही हुए हैं। उसका काम इतना महत्व का है कि जो भी रिपोर्ट मंगानी होती है चाहे बी० डी० ओ० मंगाये या और कोई वह सब उसी पंचायत सेक्रेटरी से मंगाते हैं। उसको महीने में १४, १५ दिन नक्शा बनाने में लग जाते हैं। कम से कम वह इतना काम तो करता है कि नक्शा बनाकर सरकार की मदद करता है। सरकार के और कर्मचारी या योजना का जो काम होता है वह तो पुस्तक छपवाकर जनता के सामने रखती है लेकिन पंचायत सेक्रेटरी अगर बहुत महत्व का काम करना चाहता है तो वह अवश्य कर सकता है।

जिला परिषद में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जैसे सैनीटेरी इन्सपेक्टर। जब से ये ब्लाक्स में गये हैं जहां पर मिलावट की बात नहीं थी वे भी मिलावट करने लगे हैं। कोई एक छोटा आदमी कहीं जाकर अपनी दूकान करके या रोजगार करके छोटे छोटे मेलों में या प्रदर्शिनियों में जाकर अपना माल बेचकर अपने बच्चों का पेट पालन करता था वह भी अब इन सनीटेरी इन्सपैक्टरों ने दूभर कर दिया। गोंडा जिले में एक सैनीटेरी इन्सपैक्टर था। वहां कोई घी ले जा रहा था। इन्सपैक्टर ने उससे कहा कि ९ छटांक घी दो। उसने कहा कि हमने तीन छटांक का खरीदा है। उसने उससे जबरन उसका पीपा छीन लिया। वह केस अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया और उसको नहीं मिल पाया इस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है इनके द्वारा। मेरा यह कहना है कि ऐसे भी बहुत से कर्मचारी हैं जो ब्लाकों में हैं जिनसे कोई भी कार्य नहीं होता है। जो डब्ल्यू० २ हैं वे क्या काम करती हैं? औरतों के बीच जाकर नंगे सिर घूमती हैं चूड़ियां भी नहीं पहनती। हमारी माताओं और बहिनों में क्या प्रचार करती हैं? मैं आपसे बताऊं कि मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि वहां क्या-क्या नहीं होता और ब्लाकों के हैडक्वार्टर्स में क्या क्या नहीं होता। इस बात को मैं नहीं कहना चाहता। इसलिये ऐसे किस्म के जो पद रक्खे गये हैं उन पदों को खत्म करना चाहिये। हमारा पैसा जाता है और हमारा काम भी नहीं होता है। श्रीमन्, ये जो ब्लाक्स बने हैं ये गांवों के उत्थान के लिये बने हैं लेकिन मैं देखता हूं कि जितने जिले के अन्दर ब्लाक्स बने हैं ज्यादातर शहरों में बने हैं या जो कस्बे हैं वहां बने हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ब्लाक्स निरे गांवों में होने चाहिये ताकि उनसे गांवों को कुछ लाभ हो और सरकार का भी मन्तव्य पूरा हो सके। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो ब्लाक प्रमुख हैं उनमें खास तौर से कांग्रेसी लोग चुने गये हैं और उनको इतना अधिकार दे रक्खा है आपने कि वह बी० डी० ओ० की चरित्र पुस्तिका लिखता है। बी० डी० ओ० उसकी कठपुतली बनकर घूमता है। जब भी कांग्रेस का इलैक्शन आया, चाहे वह ब्लाक प्रमुख का हो, चाहे वह कोआपरेटिव का हो, चाहे वह केन डेवलपमेन्ट का हो वह जीप का दुरुपयोग करता है

[श्री सुखदेव प्रसाद]

और कहता यह है कि वह स्पाट का निरीक्षण करने जा रहा है। बी० डी० ओ० उससे डरता है क्योंकि वह उसका चरित्र ही खराब कर सकता है ब्लाक में प्रमुख, बी० डी० ओ० को कठपुतली बनाने के नाते जो भी चाहता है उसी तरह से करा लेता है। जिसको चाहता है जमीन दिलवाता है जिसको चाहता है हरिजनों को दी जाने वाली कुएं की तकावी या जो बकरियां दी जाती हैं या जो मुर्गीपालन होता है, सुअर पालन होता है अपने आदमी को ले जाकर अपने लिये उनको प्रयोग करता है। ये सब हरिजनों के नाम से लिया जा रहा है। यह सारे प्रदेश की हालत है। यह हालत सारे उत्तर प्रदेश की है केवल गोंडा जिले की ही नहीं है। यदि सरकार उन जिलों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है, गरीबी को मिटाना चाहती है, कुछ सुधार करना चाहती है तो इसके लिये आप एक जांच कमेटी बिठाइये जो इस बात की जांच करे कि कितने कुए बने, कितना धन सही तरीके से सही आदमियों को बांटा गया, लोगों का कितना उत्थान हुआ आदि। आपको जांच से यह पता लगेगा कि जितना रुपया दिया गया है वह कांग्रेस समर्थकों को ही ९९ फीसदी दिया गया है। यही कारण है कि उत्थान ब्लाकों का होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। यह जो संशोधन अब दो वर्ष का समय करने के लिये आया है यह अवैधानिक है, इसका बुरा परिणाम होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बुरा काम करता है, तो उसको ६ महीने के बाद ही हटाने का अधिकार होना चाहिये। यह जो २ साल की छूट आप दे रहे हैं यह बहुत ज्यादा है। अगर ६ माह आप रखते तो ज्यादा अच्छा होता। आगे हो सकता है किसी दूसरी पार्टी का शासन हो, इसलिये आप इसे कम करें।

जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों में जो कोआप्शन होता है, उस विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कांग्रेसी लोग हैं वे अपने हरवाहे चरवाहे तथा अपनी नौकरानियों को उनमें कोआप्ट कर लेते हैं जो वहां कुछ बोल तक नहीं पाते, केवल वोट ही देते हैं। उनको इसीलिये कोआप्ट किया जाता है कि वे उनको वोट दे पायें। इसका नतीजा यह होता है कि जो तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। आपके शासन चलाने का यह तरीका ठीक नहीं है। आपको उसमें ऐसे हरिजनों को जो योग्य हों, कोआप्ट करना चाहिये ताकि वे अपनी दिक्कतों को वहां रख सकें और उन पर कुछ विचार हो सके। मैं तो दो तीन जिला परिषदों में गया और मैंने देखा कि वहां कभी किसी हरिजन ने कोई बात कही ही नहीं। जब कांग्रेस के नेतागण हाथ उठाते थे, वे भी अपना हाथ उठा देते थे। आपको ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि योग्य हरिजन उसमें आयें जो अपने विचार वहां रख सकें।

थोड़ी सी बात मैं अपने जिला परिषद् के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं। पहले वे एम० एल० ए० थे, जब इस बार यहां नहीं आसके तो उनको अध्यक्ष, जिला परिषद् बना दिया गया। उनकी स्थिति पहले मामूली थी। जो भी वहां का रहने वाला है वह उनको जानता है। मैं तो बहुत छोटा वहां का व्यक्ति हूं। आज उनके पास कोठियां हो गयी हैं। अभी अपनी एक लड़की की शादी में उन्होंने करीब एक लाख रुपया खर्च किया। पता नहीं वह पैसा कहां से आया। आप अगर उस जिले में जायं तो आपको पता चलेगा कि वहां क्या स्थिति है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से, जिनको ४५–५० रुपया माहवार वेतन मिलता है, हर माह ५ रुपये काट लिये जाते हैं, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी और किसी चीज के नाम पर, कहीं शिक्षा दिवस मनाया जायेगा। यह कहा जाता है कहीं कोई स्मारक आदि के लिये पैसा लिया जाता है। कोई रसीद भी नहीं दी जाती है। उन्हीं अध्यापकों ने आपसे प्रार्थना भी की है कि उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाय। वहां पर श्रीमन्, एक लिस्ट बनायी गयी है कि किन-किन को निलम्बित करना है, किन किन को ५०–६० मील की दूरी पर स्थानान्तरित करना है। मनकापुर के

चुनाव में जिन लोगों ने भाग नहीं लिया उनको काफी दूर पटक दिया गया। आप अगर इसकी जांच करायेंगे तो आपको यह पता चल जायेगा। आप सी० आई० डी० से इसकी जांच करायें। हालांकि कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं। अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आयी है। इस प्रकार लाखों प्रकार के आरोप वहां पर हैं। यही नहीं अभी जो कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य बनाये गये, उनमें ६ हजार से ऊपर प्राइमरी स्कूल के सदस्य हैं। उनसे ५-५ रुपया दाखिल करा लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया है उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। ३ रुपये का ४ रुपया, ४ का ६ रुपया और ६ रुपये का सवा छै रुपया लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें और सी० आई० डी० से जांच करायें कि जिला परिषद् अध्यक्ष गोंडा ने क्या-क्या गलत कार्यवाही की है। जिला परिषद् अध्यक्ष का क्लार्क और पर्सनल असिस्टेन्ट एक मुहम्मद यूसुफ है उसने तीन बिल्डिंग गोंडा में बनवाई हैं। उससे पूछा जाय कि वह रुपया कहां से आया। मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाय और इस सदन के सामने उस जांच को रखा जाय। वहां पर जनता को अनेक प्रकार से परेशान किया जाता है, जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

देखिये, माननीय मंत्री जी में से किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। अगर उनको नहीं सुनना है तो सदन की कार्यवाही बन्द कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

सही बात तो यह है कि अभी जो घोषणा हुई है, उस समाचार से सब लोग प्रसन्न हैं और आप भी उतने ही प्रसन्न हैं। अगर ऐसा न होता तो आप यह प्रश्न ही न उठाते।

श्री सुखदेवप्रसाद—

जिस समय उस मुहम्मद यूसुफ के खिलाफ और जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध कमिश्नर जांच कर रहे थे तो जिन फाइल्स को अध्यक्ष के यहां होना चाहिये था वे श्री मुहम्मद यूसुफ के यहां पायी गयीं। इससे यह पता चलता है कि यह सब जो गड़बड़ी हुई वह किस वजह से हुई है। वर्तमान डिप्टी कमिश्नर को भी उसकी जानकारी थी और श्री उपाध्यक्ष, जिला नियोजन अधिकारी को भी इसकी जानकारी है, वे भी पुरी के बंगले में रहते थे। चेयरमैन साहब जब चाहे जिस अध्यापक को दण्ड दे देते हैं, जब चाहते हैं नये अध्यापकों का चुनाव करते हैं और जिसको चाहते हैं रख लेते हैं। किसी भी अध्यापक की नियुक्ति के लिये २००-३०० रुपया उनका बंधा हुआ है। १०० रुपया देकर स्थानान्तरण और २००, ३०० रुपया देकर नियुक्ति जो चाहे करा सकता है। एक गरीब आदमी या गरीब किसान का लड़का ऐसी स्थिति में कैसे अध्यापक हो सकता है? इस तरह से हमारे जिला परिषद् गोंडा की हालत बहुत बदतर है और मैं समझता हूं कि इस बीच प्रदेश के तमाम जिलों से यह खबरें आयी हैं कि जिला परिषदों के अध्यक्ष तमाम गड़बड़ घोटाला किये हुए हैं। एटा में तो जनता ने उसको हटा ही दिया। इसी तरह से और भी जो ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके संबंध में गंभीर आरोप हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनको तुरन्त निलम्बित करे और उनको हमेशा इसमें आने के लिये रोके ताकि ऐसी बातें आगे न हो सकें। अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा कि जो जिला परिषद् की यह गाड़ियां होती हैं वह जैसे कि ब्लाकों में बी० डी० ओ० उनका दुरुपयोग करते हैं, वैसे ही जिला परिषद् की जीप का भी दुरुपयोग होता है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

यह भाषण समाप्त हो जाने दीजिये ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न दिया था जिला परिषद् गोंडा की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके पहले कि जिला परिषद् के एक सदस्य जो कि कांग्रेसी थे, उनके लड़के की शादी में ट्रक गयी और बीच में पड़ी रह गई। उसका उत्तर मुझको नहीं मिला। जिला परिषद् के अध्यक्ष सारे जिले में जीप लेकर घूमते हैं चुनाव में अपने सदस्य बनाने के लिये, इस प्रकार से उसका दुरुपयोग होता है। मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इसमें इन सब चीजों का समावेश हो।

श्री प्रेमसिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद बन्द किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अब विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं दोनों तरफ के सदस्यों का जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। दो बातें हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है करप्शन के बारे में कि जो सामान ब्लाकों या जिला परिषदों में खरीदा जाता है उस पर जो कमीशन मिलता है उसको माननीय मंत्री जी को चेक करना चाहिए, क्योंकि यही लूपहोल है जिसके जरिये आमदनी होती है। जो सामान खरीदा जाता है उसका सैम्पुल अच्छे किस्म का होता है लेकिन सामान सब इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। इस से काफी दिक्कत होती है और हर जिले में देखा जा रहा है कि कुर्सियां और मेजें जो खरीदी जाती हैं, वह मुश्किल से छै या आठ महीने चल पाती हैं इसलिये सरकार इस पर कोई न कोई प्रतिबन्ध लगावे ताकि जो कमीशन के रूप में पैसा मिले वह ब्लाक या जिला परिषद् के ही हाथमें जाय, किसी अधिकारी के हाथ में न जाय।

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता हूं कि आप भी बहुत संक्षेप में ही बोल रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

कन्हैया लाल जी ने जहां यह कहा कि ब्लाक का कार्यालय केन्द्र में ही होना चाहिये वहां यह भी कहा कि अगर अविश्वास की अवधि २ साल से १ साल कर दी जाय तो वे ठीक तरह से काम नहीं कर पावेंगे। हमारे जिले में भी प्रमुख और अध्यक्ष के बारे में अविश्वास का प्रस्ताव आने की कई बार बात थी। उसमें मैंने देखा कि ज्यादातर सदस्यों को डिटेन करने की बात थी। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अविश्वास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रस्ताव के समय जितने सदस्य हों वे सब ब्लाक में उपस्थित होने चाहिये चाहे वे वोट किधर भी दें।

किसी भी जिले में हमें कोई गांव ऐसा नहीं मिला जिसे आदर्श बनाया गया हो। कुछ गांव आदर्श अवश्य बनाने चाहिये ताकि उससे दूसरे गांव प्रभावित होकर, आपस म एक कम्पीटीशन-सा होकर, हर गांव आदर्श बनने की कोशिश करे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, इस वादविवाद में १८ सदस्यों ने हिस्सा लिया है--डेढ़ दर्जन ने। उनके भाषणों से इतना तो निश्चित लगा कि इस विधेयक पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। कई माननीय सदस्यों ने और कुरील जी ने भी कहा कि अविश्वास क लिये १ साल ही ठीक था, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। अध्यापकों के चुनाव के लिये समिति बनने की बात आई, उसका स्वागत किया गया। परन्तु एक आशंका सब सदस्यों को जरूर है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि निर्वाचित लोगों के हाथ से अधिकार सरकारी कर्मचारियों के पास चले जावें। यह ठीक है कि नियुक्ति की बात अध्यक्ष के द्वारा है। परन्तु यदि कहीं राय में अन्तर हो तो उसे आयुक्त के पास भेजना होगा। इस प्रकार समिति में अध्यक्ष को अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। यह अनुचित है।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को पहले ही घोषणा करनी चाहिये कि इस समिति में किस प्रकार के लोग होंगे और अध्यक्ष जैसे चाहेगा वैसे करेगा। इसके बारे में साफ होने की बहुत आवश्यकता है कि अध्यक्ष के कहां तक अधिकार होंगे।

पंचायत मंत्रियों के बारे में चर्चा हुई। वैसे तो कुछ ही दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उनको विभाग के द्वारा वेतन देने की बात स्वीकार कर ली है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। चाहिये तो यह कि उनको ग्राम सेवक के समान विभाग का कर्मचारी माना जाय। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह १०० रुपये होने की नीति सरकार ने अपनाई है इसी प्रकार पंचायत मंत्रियों के लिये भी होना चाहिये।

जिला परिषद् कार्यालय बनाने के लिये तो आर्डिनेन्स आ गया कि कार्यालय कहां रहेगा। मैं जिला परिषद् के कार्यालय कर्मचारियों की बात कहता हूं कि वहां क कर्मचारियों के बारे में अगर इस आर्डिनेन्स में दो लाइन कहीं बढ़ गई होतीं तो अच्छा होता। माननीय पाण्डेय जी को तो जिला परिषदों का विशेष ज्ञान है क्योंकि वहां के कर्मचारी इनको प्रतिवेदन इत्यादि देते रहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जिला परिषद् के कार्यालय के कर्मचारियों को भी सारी सुविधायें प्लानिंग विभाग के अन्य कर्मचारियों की तरह से होनी चाहिये। अभी तक उनके वेतन सन् ४७ क ही हैं। अगर किसी जिला परिषद् ने २, ४ रुपये बढ़ाने की बात कही तो सरकार ने कह दिया कि जब तक हमारी नीति घोषित न हो जाय तब तक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। यह जरूर है कि अभी कुछ दिन पहले सरकार का आदेश गया है कि जिला परिषद् ५ रुपये तक बढ़ा सकती हैं परन्तु इन सबकी हालत को देखते हुए पंचायती राज्य विभाग को भी सारी सुविधायें होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

पंचायत मंत्रियों के वेतन के संबंध में मैं माननीय सभा सचिव के ५ मार्च, सन् ६५ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न यह था कि मैं एक चीज सभा सचिव जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि अब पंचायत मंत्रियों की सेवायें जिला परिषद् में आ गई हैं तो जिस तरह से जिला परिषद् के अन्य कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि की सुविधायें दी जाती हैं वही सुविधायें पंचायत के मंत्रियों को भी देने की व्यवस्था की जा रही है या नहीं। इस पर सभा सचिव जी ने कहा कि पंचायत मंत्रियों के लिये एप्वाइंटिंग अथारिटी तो जिला परिषद् हो गई है। सरकार उनके वेतन आदि पर पूरा विचार कर रही है और संशोधन ऐक्ट जो आ रहा है उसमें यह व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाकर आशा करता हूं कि वह इस आश्वासन पर विचार करने की शीघ्र कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विधेयक से सम्बन्धित भाषण दिए, उन्हें मैंने बहुत गौर से सुना। जब मैंने अध्यादेश के लाने के उद्देश्यों का जिक्र किया था तो मैंने विस्तार में कहा था पर ऐसा मालूम होता है कि उसके बावजूद भी या तो मैं समझा नहीं सका हूं या कुछ माननीय सदस्यों को गलत फहमी रही। मैंने यह अर्ज किया था कि अध्यादेश इसलिए निकाला गया था कि जुलाई के महीने में जब स्कूल खुलते हैं तो जिला परिषदों के स्कूलों में टीचर्स की भर्ती के लिए इन्तजामात हुआ करते हैं। वैसे तो जिला परिषदों में २ अक्तूबर को नए प्राथमिक स्कूल खुलते हैं लेकिन टीचर्स की भर्ती के सिलसिले में पहले से ही इन्तजाम होता है। हमने सोचा कि अगर पुरानी पद्धति के मुताबिक ही चुनाव हो जायेंगे तो जैसी अनियमितताएं होती रहती हैं, वे फिर भी हो सकती हैं और जब एक टीचर को चुन लिया जाता है तो उसको हटाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जिला परिषद् वाले भी इसे अपने प्रैक्टिज और इज्जत का सवाल बना लेते हैं जो मुनासिब भी नहीं है इसीलिए यह अध्यादेश निकाला गया था ताकि भर्ती न हो और जैसे ही हमारा विधेयक बन जायगा तो हम एक शिक्षा विभाग के जो एक्सपर्ट होंगे उनकी एक कमेटी बना देंगे। वे एक लिस्ट बना लेंगे। हम इस बात की कोशिश भी करेंगे कि टीचर्स के चुनावों में कोई अनुचित बात न होने पाये। इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित बात अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरी बात चीत इस सम्बन्ध में अभी तक शिक्षा मन्त्री से नहीं हो पायी है। लेकिन हम ऐसी राय के हामी हैं कि टीचर्स को चुनते समय हम सब की दर्खास्त ले लें और एप्लीकेशन्स के साथ-साथ उनके रिजल्ट शीट भी ले लें ताकि देखा जा सके कि उन्होंने इम्तिहानों में कितने-कितने नम्बर पाये। पहले सबसे ज्यादा पाने वाले को और फिर उससे कम पाने वाले को लिया जाय। तो यह बहुत ही सरल काम हो जायगा और किसी को शुबहा नहीं रहेगा, किसी को फेवरिटिज्म की शिकायत भी नहीं रहेगी। हां, अगर जिला परिषद् कोई नियम भी बनावे कि हरिजनों और पोलिटिकल सफरर को सामान्यता प्राथमिकता दी जाय, तो यह भी ध्यान में रखा जाय। हम को करना चाहिए कि जो १०० नम्बर पाये वह पहले लिया जाय और जो ९९ पाये, उसको उसके बाद और फिर इसी तरह से अगर कोई ९८ नम्बर पाता है तो उसको उसके बाद। इस क्रम में लेते चले जायेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मेरा अपना विचार यह है कि पंचायत राज की संस्थाओं को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं और पब्लिक की आस्था उनमें कायम करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा तरीका यह है कि जो सबसे योग्य हों उनको सबसे पहले लें और फिर यह कार्य सिलसिलेवार करते रहें। तो इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्देश्य से यह अध्यादेश निकाला गया था और मुझे आशा है माननीय रक्षपाल सिंह जी की मंशा है, वह उससे पूरी हो जायगी ।

दूसरी बात इसमें जिक्र किया गया क्षेत्र समितियों क हेडक्वार्टर के बनाने के बारे में है। सामान्यतया हम यह करते हैं कि क्षेत्र समिति की जो सिफारिश आती है बहुत मत से, उसी जगह को हम मानते हैं और अभी तक ऐसा नियम रहा है। बहुत कम मौका रहा है जब कि सरकार को हम मानते हैं और अभी तक ऐसा ही नियम रहा है। बहुत कम मौका रहा है जब कि सरकार ने क्षेत्र समिति, या जिला परिषद् की राय के खिलाफ अपनी जगह कोई कायम की हो। अगर पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर या हेल्थ आफिसर किसी जगह को अनुचित या उपयोगी न समझें और सीरियस डिफरेन्सेज हों तो तब ही जगह बदली जाती है वरना जिस जगह को क्षेत्र समिति अपना सेन्टर बनाना चाहती है, उसी को हम मान लेते ह। अगर किसी ब्लाक में १२ मील का क्षेत्र है और अगर क्षेत्र समिति का हेडक्वार्टर एक कोने में बन जाता है तो यह गलत बात होगी। लोग परेशान होंगे। एक कोने से दूसरे कोने में जायंगे। जिला परिषदों को हमारे आदेश भी हैं कि जो इमारत बने तो यह देखा जाय कि यातायात के साधन वहां कैसे हैं, स्थान ऐसा है जहां सुरक्षा है, जलवायु अच्छी है और इमारत आसानी से बन सकती है। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा। फिर ब्लाक सेन्टर्स काफी तो बन गये हैं। थोड़े से रह गये हैं और उन्होंने अपनी जगह पास कर रखी है। अगर कोई शिकायत आयेगी तो उसी नजरिए से देखी जायगी जिसका मैंने अभी जिक्र किया है।

एक बात का फिर जिक्र कर दूं। हाई कोर्ट में रिट हुई थी और हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी कि जिस जगह चाहें अपनी सीमा में वहां ब्लाक कायम कर लिए जायं। सरकार उस लेकुना को दूर करने के लिए यह प्राविजन इस विधेयक में रख रही है।

तीसरी चीज नो कांफिडेन्स मोशन की है। माननीय सदस्यों के भाषण से मेरे दिल में यह खयाल पदा हुआ कि शायद माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि सरकार कोई चीज चुपचाप ऐसा रखना चाहती है विधेयक के अन्दर जिससे नो कांफिडेन्स मोशन न आने पाये। होता यह है कि जब कोई तारीख लगाई जाती है तो जो प्रीसाइडिंग अफसर है तथा सदस्य हैं उनको आना चाहिए मेम्बर्स चाहे न भी पहुंचें लेकिन प्रीसाइडिंग आफिसर को जरूर पहुंचना चाहिए। ६० नो कांफिडेन्स मोशन्स आए बी० डी० सीज० पर उनमें से ५९ में प्रीसाइडिंग आफिसर वक्त से पहुंचे और केवल १ में समय से नहीं पहुंच सके किसी दिक्कत की वजह से। नतीजा क्या हुआ ? मीटिंग समाप्त । फिर प्रस्ताव लाया जाय, दस्तखत कराइए। फिर जिलाधीश के पास जाइए और वह तारीख लगावे । अब अगर इतफाक से प्रीसाइडिंग आफिसर नहीं आए जो कि होना नहीं चाहिए तो फिर उसी मीटिंग को आगे के लिए एडजर्न किया जायगा और फिर मीटिंग की तारीख लगेगी और अगली सार्यवाही होगी । शायद माननीय कमलासिंह जी ने यह कहा था कि कोई ऐसा नियम बनाया जाय जिससे सब लोग वहां कम्पलसरी जायं तथा उनको वोट देना ही चाहिए। वोट देने की बात यह है कि एक आस्ट्रेलिया में ऐसा नियम है जहां वोटर्स को कम्पलसरी जाना पड़ता है लेकिन बड़ी दिक्कत है उसमें। फर्ज कीजिए, हमने यह नियम बनाया कि सब को वोट देने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर यह सवाल पैदा हो सकता है कि वहां तक जाने के लिए सरकार सवारी दे या इस काम के लिए हमको टी० ए० दिया जाय । आप इस पर विचार कर लें कि इससे कितने कम्पलिकेशन्स पैदा हो सकते हैं। यह तो स्वेच्छा की चीज है, प्रजातांत्रिक राज्य है....

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी विचारधारा यह है कि गाजीपुर जिले में जितने अविश्वास के प्रस्ताव आए उनमें ४–४ और ५–५ मेम्बर कमरे में बन्द कर दिए गए जिससे वे बेचारे न आ सके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसमें जितने भी मेम्बर हैं वहां अवश्य आ जायं।

श्री राममूर्ति—

जहां तक मेम्बरों के बन्द होने का ताल्लुक है, इसके लिए इलेक्शन सम्बन्धी कानून बना हुआ है जिसके अन्तर्गत इस बात का प्राविजन है कि अगर कोई आदमी किसी मेम्बर को बन्द कर दे तो उसके लिए अलग से रिपोर्ट होगी, उसके ऊपर केस चल जायगा और अगर साबित हो गया तो बन्द करने वाले को बड़ी सख्त सजा मिलेगी। तो यह उसका इलाज नहीं है। अगर कोई आदमी किसी को जबरदस्ती पकड़ कर लावे भी तो क्या कर सकता है। इसीलिए तो बहुतों की ख्वाहिश होने के बावजूद भी कि सीक्रेट बैलेट न रखा जाय इसे रखा गया। अगर किसी को भले ही कोई जबरदस्ती पकड़ कर लावे लेकिन वोट तो वह अपनी इच्छा के अनुसार ही देगा। अब तो किसी की श्रीमती भी अपने आदमी की मर्जी के खिलाफ वोट दे सकती हैं। यह तो हमारे सीक्रेट बैलेट की खूबी है।

जहां तक किसी मेम्बर को बन्द करने कीबात है, श्रीमन्, मैंने तो अपने ४० वर्ष के राजनीतिक जीवन में देखा है कि अक्सर मेम्बर स्वेच्छा से ही यह सब करते हैं, पैसे लकर या और किसी वजह से। यह तो एक उनका एक बहाना होता है कि मुझे पकड़ कर जबरदस्ती बन्द कर दिया गया। आज के जमाने में कोई किसी को आसानी से बन्द नहीं कर सकता है। आज किसी औरत को तो कोई पकड़ कर ले ही नहीं जा सकता है, वह हल्ला गुल्ला करके सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेगी, फिर आदमी की बात ही क्या है? आज हमारे यहां प्रजातांत्रिक राज्य है। सरकार चाहती है कि पंचायत राज्य की जो संस्थाएं हैं वे अपने पैरों पर खड़ी हों और उनके बचाव के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे ताकि लोगों की शक्ति बढ़े। इसी लिए हमने सीक्रेट बैलेट का प्राविजन किया है जब कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और यह कहा था इससे तो हमारी नैतिकता गिरेगी, हाथ उठा कर ही वोटों की गणना होनी चाहिए। बात यह है कि पहले हम पुलिस स्टेट में थे, यहां राजा, महाराजाओं की शक्तिशाली शक्तियां ही थीं, अभी १५–१८ वर्ष ही तो हमें स्वराज्य मिले हुए, इस लिए आज भी यहां फ्युडलिज्म की भावनाएं ही समाज के ऊपर हावी हैं....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

आज फ्युडलिस्टों से तो ज्यादा कोटा परमिट वालों का असर है।

श्री राममूर्ति—

मुझे बड़ी परेशानी होती है कि बार-बार कोटा का और परमिट का जिक्र होता है। मैं समझता हूं कि बसेज के परमिट के लिए एक आर० टी० ओ० कमेटी है। पहले कोयले की कमी थी उसके लिए कोल डिपो खोले गये। कौन सी ऐसी चीज हमारे पास है जिसके कोटे देने का सवाल हो।

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में मैंने अपनी बात कही। जिला परिषदों के अध्यक्ष और क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के कार्यकाल का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले इनका टर्म एक साल था उसको बढ़ाकर हम दो साल का करना चाहते हैं। इसलिए इसको करना चाहते हैं जिससे थोड़ा सा स्थायित्व आये और हम चाहते हैं कि जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के लिए जो इतने बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाये जाते हैं और विशेषकर जहां तक खेती बाड़ी की उन्नति का सवाल है, उसकी प्रगति हो और हमारे कार्यक्रम पूरे हों। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग दलगत बातों में फंस जाते हैं और असल चीज पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अगर अध्यक्ष को या प्रमुख को स्थायित्व मिले और वे समझ लें कि हमें यहां पर दो साल तक रहना है और मेम्बर भी सोचेंगे कि दो साल तक हम इनको हटा नहीं सकते हैं तो उन्हें काम करने का मौका मिलेगा और वे बड़ी दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। हम यहीं ऐसा नहीं करने जा रहे हैं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसा है। इसी बात को खयाल करके हमने प्राविधान किया है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष और क्षेत्र समिति के प्रमुख का कार्यकाल बजाय एक साल के दो साल हो। कुछ लोगों ने कहा था कि दो तिहाई कर दिया जाय लेकिन उसकी राय नहीं हुई। इसलिए वह नहीं हो सका। लेकिन इस तरीके से स्थायित्व आता है और रचना के काम करने के लिए थोड़ा सा मौका मिल जाता है।

यहां चुनाव समितियों के बारे में जिक्र किया गया है। इसके सम्बन्ध में यह हो सकता है कि जो शिक्षा के एक्सपर्टस् हैं, उनकी राय में और जिला परिषद् के अध्यक्ष की राय में मतभेद हो सकता है। इसलिए हमने समझा कि इनमें मतभेद होने पर मामले को कमिश्नर के पास भेज दिया जाय। इस समय भी उनकी अपीलें कमिश्नरी में रहती हैं। अगर शिक्षा संचालक के पास कर देते तो उलझन हो जाती क्योंकि उनके पास वैसे ही काम बहुत रहता है। इसलिए कमिश्नरी चूंकि एक बनी हुई चैनल थी इसीलिए उसी के पास हमने रख दिया है। इस बात का भी जिक्र हुआ कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जिला परिषदों की जिनको प्राविंशलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो नियम बनते हैं उनको कमीशन के पास भेजना पड़ता है और पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसी जमात है जिस पर हम कोई असर भी नहीं दे पाते हैं। तो खासा वक्त लग गया। वैसे आ गया है। ला डिपार्टमेन्ट में वेटिंग हो रही है। ज्यादा से ज्यादा दिसम्बर तक पूरा कर देंगे ताकि नयी पद्धति चल जाय।

इस बात का भी जिक्र किया गया कि छोटे-मोटे बिल लाये जाते हैं एग्जास्टिव बिल लाया जाय। इस बात को सोच रहे हैं पर जल्दी नहीं लाया जा सकता। यह एक ऐसी संस्था है जिसका विकास हो रहा है। इतनी लियाकत है नहीं कि पचास साल तक क्या होगा सारी बातें कलमबन्द कर दी जायं। यह विचार है कि आग चलकर एक एग्जास्टिव बिल लायें। इस तरह के भी विचार आए हैं कि पंचायत राज्य और न्याय पंचायत यह सब एक ही में कर दी जायं। इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह हम नहीं कह सकते कि सारी चीजें जिला परिषद् बिल में आ जायंगी जितना पुराना तजुर्बा है उसकी बिना पर सबका संकलन ले आयें। मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस विधेयक पर अच्छे विचार प्रकट किए गये। क्लाजवाइज डिस्कशन में जो अच्छी बातें होंगी उनको सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अननुमोदन और प्रवर समिति के प्रस्तावों की मुखालिफत करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण चाहा था सेक्रेटरीज के बारे में?

श्री राममूर्ति—

इसके बारे में अभी निश्चित मत बना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ५ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) क्षेत्र समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाय, तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां पर वह उत्तर प्रदेश समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था।"

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ में धारा ५ को प्रस्तावित उपधारा (३) के स्थान पर "(३) क्षेत्र समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे परन्तु वह उस विकास क्षेत्र के अन्तर्गत यथासम्भव मध्य म ही रखा जावे।" जो हमारे विकास मन्त्री जी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार जिस स्थान पर निश्चित करेगी, उसी स्थान पर क्षेत्र समिति का कार्यालय होगा। उसकी जो सरकार की रखने की मंशा है वह कुछ समझ में नहीं आई। ऐसा लगता है कि कहीं पर उच्च न्यायालय में इस तरह का विवाद प्रस्तुत हुआ और यह निर्णय हुआ कि यह क्षेत्र समिति अपने कार्यालय का स्थान नियत करेगी। लेकिन उन्होंने यहां पर यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जहां पर सरकार चाहेगी, वहां पर क्षेत्र समिति का कार्यालय रख लेगी। मैं चाहता हूं कि यह जो कार्यालय स्थापित हों वह क्षेत्र समिति की सीमा के अन्दर और सुविधाजनक स्थान पर ही हों। कारण यह है कि मुझे शक है कि सरकार अपने हाथ में कार्यालय का स्थान नियत करने का अधिकार लेकर वह उसे जिले में किसी भी स्थान पर रख सकती है और मेरी यह शंका स्पष्ट

ही है। हो सकता है कार्यालय कहीं पर भी एक कोने में रख दिया जाय। अब ब्लाक क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होने वाला है और यदि आपने इसे रख दिया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्षेत्र समिति के जो सदस्य हैं वहां बहुत दूर-दूर से आकर एकत्र होंगे और एकत्र होने में उन्हें कठिनाई होगी। जो कि विकास क्षेत्र हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनका निर्धारण बहुत गलत ढंग से हुआ है। कहीं-कहीं किसी ब्लाक में तो लम्बी-लम्बी पट्टी चली गयी हैं, नदी आदि का भी कोई खयाल नहीं रखा गया है। कुछ इस प्रकार के विकास क्षेत्रों का निर्धारण हुआ है, जिसके कारण से उस समिति के जो सदस्य हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। जब आप क्षेत्र समितियों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं तो इसके कार्यालय का जो स्थान हो वह क्षेत्र समिति के मध्य में हो, जहां पर सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मन्त्री जी ने कहा कि क्षेत्र समिति जहां पर चाहती है वहां पर कार्यालय रख लेती है, उसके समीप अस्पताल, स्कूल और आवागमन के साधनों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे वहां के कर्मचारियों को बड़ी परेशानी होती है। यह बात सही है, इस बात को रखते हुए कि उनके जो विकास क्षेत्र में कर्मचारी रहते हैं, उनके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था भी हो। फिर भी आप हर विकास क्षेत्र में अब स्कूल खोलने जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण भी होने जा रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य है कि आप जहां चाहें विकास कार्यालय रख लें। तो मैं चाहता हूं कि यह सदन हमारे विचारों को माने और मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन का अनुमोदन करेगा कि क्षेत्र समिति का कार्यालय उसके अन्दर हो और हो सके तो मध्य में ही हो अथवा ऐसे स्थान में हो जो चारों तरफ से बीच में पड़ता हो।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जैसा अभी जगन्नाथ राव जी ने कहा, मैं उसे जानता हूं कभी क्षेत्र समितियों में ऐसा होता है कि बहुमत मान लीजिए किसी ऐसे आदमी का हो जाता है, जो क्षेत्र समिति के कोने में कार्यालय स्थापित करना चाहती हैं। कुछ ऐसी भी क्षेत्र समितियां हैं, जिनके नाम तो इस समय नहीं याद हैं, जिन्होंने विकास क्षेत्र के बाहर क्षेत्र समिति के कार्यालय का स्थान निर्धारित कर दिया है।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसे ही संशोधन एक से पांच तक हैं, तो मेरा विचार है कि पांचों संशोधन एक ही साथ ले लिए जायं तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद मन्त्री जी जवाब दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

ठीक है, ऐसा ही कर दिया जाय।

*श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ में दी गयी उपधारा (३) की प्रथम पंक्ति में "ऐसे" तथा "स्थान" के बीच में "मध्य" शब्द जोड़ दिया जाय।

जैसा कि माननीय जगन्नाथ राव जी ने कहा उसमें मैंने एक शब्द में सारी बात जोड़ने का प्रयास किया है। भवन में जो भावना व्यक्त है वह भी माननीय मंत्री जी के पास है कि किसी क्षेत्र समिति का कार्यालय उस क्षेत्र के मध्य में रहना चाहिये। उनकी भावना भी इसी प्रकार है। लेकिन अभी तक हमारे अधिकारियों में प्रजातंत्र की भावना प्रसार का नहीं है। मंत्री जी अधिकारियों की सूचना के आधार पर यहां सूचना दे देते हैं और अधिकारी लोग गलत रिपोर्ट देते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि जब विकास क्षेत्रों का परिसीमन हुआ जब केन्द्रीय स्थान उनका रखा गया तो अधिकारियों द्वारा हुआ। कुछ ब्लाक क्षेत्रों के बाहर दिये गये और कुछ कहीं एक कोने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्रसिंह

पर। इन ब्लाकों को घटाया भी गया, वह भी सब अधिकारियों द्वारा हुआ और हम लोगों से कतई सलाह नहीं ली गयी। अभी तक यह पता नहीं है कि कौन कौन से ब्लाक घटे हैं और कौन कौन गांव किस ब्लाक में अब जायेंगे। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि जब ब्लाक का परिसीमन का प्रारूप आवे या केन्द्रीय कार्यालय की बात आवे तो उसको ६ महीने के लिये जनता में, विकास क्षेत्रों में, जिला परिषदों में घुमाया जावे जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन कौन गांव किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं उसके बाद ही व्यापक रूप से परिसीमन हो अन्यथा हानि होगी। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि कार्यालय का क्षेत्र मध्य में ही रखा जावे।

*श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की प्रस्तावित नई उपधारा (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार" और "द्वारा निर्धारित" के बीच निम्नलिखित शब्द रख दिया जाय :--

"की स्वीकृति से क्षेत्र समिति के प्रस्ताव" तथा

खंड २ की नई प्रस्तावित उपधारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :--

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक संभव हो कार्यालय का स्थान क्षेत्र समिति के मध्य में होगा।"

मेरा कहना यह है कि जो भी ब्लाक हो उसके कार्यालय का स्थान निश्चित करने का अधिकार ब्लाक को ही होना चाहिये। जो भी कार्यालय स्थापित हो वह जहां तक संभव हो सकेगा मध्य में रखेगा। जहां आवागमन के साधन उपयुक्त हों वहां रखा जाय। उसके लिये भी मंत्री जी इसमें प्राविधान कर सकते हैं, नियमों में इसका प्रविधान किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार के हाथ में यह रहेगा कि वह जहां चाहे कार्यालय का स्थान रहे तो राज्य सरकार के अधिकारी जो चाहें करेंगे। मैं वह नहीं चाहता। आप जाकारण का रूप देना चाहते हैं तो फिर पब्लिक स्वेच्छा से काम कर सके उसके लिये पूरी सुविधा भी उनको देनी होगी। अभी तक यह देखा जा रहा है कि कहीं कोने में यदि कार्यालय हो जाते हैं तो दूसरे कोने से आदमियों को १०-१०, १५-१५ मील से आना पड़ता है। जब तक आवागमन की समस्या हम हल नहीं कर पाते तब तक उनकी स्वेच्छा पर ही छोड़ना चाहिये कि वे अपना कार्यालय स्थापित कर सकें।

अगर पार्टीबन्दी के नाते केन्द्र से बाहर रहते हैं तो मंत्री जी को देखना चाहिये कि बाहर रखने का क्या कारण है। उस पर चैक लगाना चाहिये और उसका निरीक्षण करना चाहिये। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जहां तक संभव हो अगर केन्द्र में यह कार्यालय स्थापित करें तो ज्यादा सुन्दर होगा। हर आदमी उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक भत्ता या सवारी का सवाल है जब आप उसको नजदीक रखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। उसको नजदीक रखना चाहिये ताकि सुविधा से आदमी पहुंच सके। इससे ब्लाकों का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकती है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र समिति का कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर नहीं होगा जो उस खंड, जिसकी वह क्षेत्र समिति है, की सीमा के बाहर हो।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मूल अधिनियम की धारा ५ में सरकार यह संशोधन कर रही है कि क्षेत्र समिति का कार्यालय वही होगा जो राज्य सरकार निश्चित करे। अभी तक ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। जसा मंत्री जी स्वयम् कहते हैं कि बहुत से स्थानों पर क्षेत्र समिति का कार्यालय क्षेत्र समिति की सीमा के बाहर रखा गया इससे बड़ी असुविधा पड़ी। इस संशोधन के जरिये से सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि सरकार जो विज्ञप्ति में घोषित करे उसी स्थान पर क्षत्र समिति का कार्यालय होगा लेकिन मैं अपने संशोधन के जरिये से यह प्रतिबन्ध रखना चाहता हूं कि जहां पर क्षेत्र समिति का कार्यालय सरकार घोषित करे वह स्थान क्षेत्र समिति की सीमा के अन्दर ही होगा, बाहर नहीं होगा। अभी तक कोई प्रतिबन्ध नहीं था तो कुछ कार्यालय क्षेत्र समिति के बाहर भी हो गये। इस संशोधन में भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है कि वह क्षेत्र समिति की सीमा के बाहर नहीं हो सकता। मंत्री जी कह सकते हैं कि अब कार्यालय का स्थान सरकारी निर्णय के अनुसार होगा और इस स्थान का चुनाव करने में इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वह बीच में रहे और वहां पर यातायात के साधन भी हों लेकिन क्या गारन्टी है कि वे क्षेत्र समिति के बाहर नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस धारा में कोई प्राविधान ऐसा होना चाहिये जिससे सरकार के लिये यह जरूरी हो कि वह कार्यालय क्षेत्र समिति के अन्दर ही होगा, बाहर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्षेत्र समिति का निर्माण सत्ता विकेन्द्रीकरण के आधार पर हुआ था और इस सिलसिले में बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्षेत्र समिति या जिला परिषद् गलती के बिना अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर सकती। इसलिये उनको गलती करने का मौका दिया कि वे गलती करें अर्थात् गलती करें और फिर सही हों। इस उपक्रम में वह ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है यदि उनको उत्तरदायित्व पूरा करने का मौका दिया जाय। लेकिन इस विधेयक से एसा प्रतीत होता है कि सरकार सत्ता विकेन्द्रीकरण के कुछ सिद्धान्तों से विचलित हो रही है। मैं यह देखता हूं कि इस सत्र में जितने भी विधेयक आये हैं उन सब में नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित करने की बात कही गई है। इस विधेयक में भी यही स्थिति है, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के अधिकार छीनने की बात की और समिति के अधिकार कम करने की बात की है और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं और स्थिति ऐसी मालूम होती है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की तरफ से ये मुंह मोड़ चुके हैं। क्षेत्रीय समिति विधि निकाय हैं और उन के जो भी कार्य और प्रस्ताव हैं वे विधि सम्मत हैं। तो यह जो छोटा सा अधिकार है वह भी राज्य सरकार छीनने का प्रक्रम कर रही है, यह मैं समझता हूं अनुचित है। बहुमत की अवहेलना करके जनतंत्र नहीं चल सकता। जनतंत्र में सहनशीलता बहुत आवश्यक है इतना हमें नहीं भूलना चाहिये। हमें निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना चाहिये और बहुमत की राय को कार्यान्वित करना चाहिये। यह सही है कि क्षेत्र समिति के कार्यालय बहुत बार ऐसी जगहों पर बने हैं कि जो कुछ स्थानों से दस दस मील की दूरी पर हैं। हमारे यहां ही मछली शहर में वहां का कार्यालय मीरगंज से ११ मील की दूरी पर है। यह इसलिये हुआ कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वे एम० एल० ए० हों अथवा स्थानीय अधिकारी उनके प्रभाव में आकर सरकार ने वैसा निर्णय कर दिया। सरकार के इस तरह का कानून पास कर देने के बाद उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह बार बार अपना प्रभाव डालेंगे। मेरा सुझाव है कि इन विधि सम्मत निकायों पर इस प्रकार का कुठाराघात न किया जाय। क्षेत्र समिति का कार्यालय नवं सेंटर होगा उस क्षेत्र का और उसी पर सार क्षेत्र की कार्य सम्पन्नता निर्भर करेगी। वे लोग उस स्थान पर ही कार्यालय का निर्माण करगे जहां से कार्य होने में सुविधा होगी। उसमें राज्य सरकार अपनी इच्छा उन पर लादे, यह उचित नहीं मालूम देता। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विधि सम्मत निकाय के अधिकारी को वह अक्षुण्य रखें और उन को ही यह अधिकार दें। अब तो केवल दस बीस कार्यालय ऐसे होंगे जिनका बनना बाकी होगा। आम बहुमत पर भरोसा रखें और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामअधार कनौजिया--

श्रीमन्, यह विषय बहुत छोटा है, लेकिन इससे जनता की मनोभावना को एक आघात पहुंच रहा है। अभी तक विकास खंडों के कार्यालय ही क्षेत्र समिति के कार्यालय होते रहे हैं और अधिकतर उन की इमारतें बन चुकी हैं। उन्हीं के आधार पर क्षेत्र समिति ने अपने कार्यालय के स्थान भी निश्चित किये हैं। कहीं कहीं यह हो सकता है कि बिल्डिंग न बनी हों, उनके संबंध में यह विधेयक लागू किया जा सकता है। जो इस प्रकार के शेष हैं उन के संबंध में विचार हो सकता है। जिस क्षेत्र में क्षेत्र समिति कार्य करती है उसके लिये ही उसको अधिकार दिया जा रहा है और उन से इस छोटे से अधिकार को छीनना, मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण के स्थान पर केन्द्रीयकरण करना ही है। इसलिये मेरा भी मत है कि विकास कार्यालय क्षेत्र समिति के मध्य में ही हो और क्षेत्र समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत हो और जो वह निर्णय करे, उसी को स्वीकार करना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं सब माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। भीखालाल जी के संशोधन को इस अधिनियम के अन्तर्गत तो नहीं लेकिन रूल्स के अन्तर्गत प्राविधान करने के लिये हम तैयार हैं।

जहां तक यह कहा गया है कि मध्य में हो और यह भी नहीं है, आपने कहा है कि थोड़ी सी समितियां रह गयी हैं। आप देखें कि रिआर्गेनाइजेशन क्लाक्स का रखा गया है। तो इसका भी निर्देशन होगा कि क्षेत्रसमितियों, जिला परिषदों से, टेक्निकल आदमियों से राय करके तब राज्य सरकार करेगी। इसमें राज्य सरकार का कोई इन्टरेस्ट नहीं है कहीं कोने पर ले जाकर रखे जिससे लोगों को असुविधा हो। कहीं कहीं तो बल्कि क्षेत्र समिति में बहुमत बन जाने से कार्यालय कोने पर रख दिया जाता था जहां न यातायात की सुविधा हो, न पुलिस स्टेशन हो, न डाक-तार की की सुविधा हो। तो डायरक्शन इस में करलेंगे। इसमें संशोधन की कोई चीज नहीं है क्योंकि मध्य में कर देंगे तो यह एक मेंडेटरी प्रावीजन हो जायगा कि मध्य में स्थापित करे ही। अपको कठिनाई भी आ जायगी अगर कहीं पर स्थान नहीं मिला तो। तो डायरेक्शन हो जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह--

"मेंडेटरी" शब्द की बात कही गयी। अगर "मध्य" न करके "यथासंभव मध्य" कर देंगे तो मेंडेटरी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन रहेगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

डायरेक्शन जो होता है वह कैसे ट्रीट होता है, यह तो आप जानते ही हैं। रूल्स में रख देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री जगन्नाथ राव--

उपाध्यक्ष महोदय, जो कठिनाइयां अभी हमारे सामने हैं वह यह हैं कि मंत्री जी जो बने हैं और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने निश्चय किया है कि कार्यालय कहां होगा तो उन्होंने ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर उनको स्वंय को सुविधा हो, उसी का ध्यान रखा गया है। उनको शिकायत है कि कार्यालय ऐसी जगह पहुंच गया है कि जहां पर सब्जी और सामान नहीं मिलता। विकास क्षेत्र का बी० डी० ओ० है उसको ८ मील दूर सब्जी के लिये जाना पड़ता है, कोई मसजिद नहीं है शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिये। तो उसने इस प्रकार का आग्रह किया कि ऐसी जगह रखो जहां सब चीजों के लिये आसानी हो। कहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, केन्द्र में कार्यालय न रखो। अगर आप भावनाओं का आदर करते हैं, तो क्या कठिनाई है, मध्य में रखने में? आप तो यातायात के साधनों को बढ़ायेंगे, तार, टेलीफोन के साधनों को बढ़ायेंगे। सब साधनों के केन्द्र में हो जाने की बात यहां भी है। आपको इन सब चीजों को इंटीरियर में ले जाना चाहिये। वहां बिजली पहुंचानी चाहिये, समाचारपत्र जाने चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मान लें, इन शब्दों के रखने में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये।

श्री भीखालाल--

मैं माननीय विकास मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मेरे संशोधन को वे नियमों म इनकारपोरेट कर लेंगे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको ऐसा करने में दिक्कत होगी क्योंकि धारा ५ में सरकार को यह अधिकार नहीं है कि यह विषय धारा ५ में जो संशोधन वे कर रहे हैं उसके अन्तर्गत भी ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो उप-धारा (३) बढ़ाई है, अगर इसमें दो शब्द और बढ़ा दिये जायं और वे यह कि "नियत रीति से" तो सरकार को नियमों में उसे करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। तो यह इस प्रकार हो जायेगा "(३) क्षेत्र समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से निर्धारित किया जावे।" "निर्धारित" शब्द से पहले "नियत रीति से" और बढ़ाने से आपको पावर मिल जायेगी। इस तरह से आप इस आश्वासन को पूरा कर सकेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं भी यही कहना चाहता हूं जो माननीय भीखालाल जी ने कहा है। सरकार को इसके अन्तर्गत कोई पावर नहीं है। यह दो शब्द बढ़ाने से सरकार को पावर मिल जायेगी।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले विकास क्षेत्रों को बनाया था और वे गलत बने, सरकार को फिर उनका पुनः संगठन करना पड़ा। उसमें जनता की पूरी राय नहीं आ पायी थी। तो मैं यह कहूंगा कि जहां पुनः संगठन की बात है, वहां आप यह डाइरेक्शन दें कि जो प्रारूप तैयार किया जायेगा वह जिला परिषद्, क्षेत्र समिति तथा ग्राम सभा आदि में सर्कूलेट किया जायेगा। जो स्थान कार्यालय के लिये निश्चित किया जायेगा, वे लोग इस तरह से यह देख लेंगे कि वह सुविधाजनक है या नहीं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभाओं से भी सुझाव आने चाहियें। इसलिये यह आवश्यक है कि जो प्रारूप आये वह ६ महीने तक जनमत के लिये घुमाया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, जैसा राजेन्द्र सिंह जी ने कहा, यह तो ठीक नहीं होगा कि इतनी छोटी-सी बात के लिये ६ महीने तक जनमत संग्रह के लिये उसको घुमाया जाय। माननीय भीखालाल जी का जो संशोधन है कि दो शब्द "नियत रीति से" बढ़ा दिये जायं, यह स्वीकार है। इसके बाद हमारा खयाल है आपको कोई कम्पलीकेशन नहीं रहेगा और नियम में संशोधन हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये क्या दूसरा ड्राफ्ट है, क्या स्वीकार हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रस्तावित नयी धारा (३) में यह होगा कि शब्द "द्वारा" के आगे "नियत रीति से" बढ़ाया जाय, इसको हम स्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि सब संशोधन वापस हो जायं और एक आ जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, "मध्य" वाला वापस नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव--

जम वे मान रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

"नियत रीति से" मान लें और "मध्य" क ध्यान रक्खा जायेगा तो हम वापस ले रहे हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन व पस लिये गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (३) में "राज्य सरकार द्वारा" के बाद "नियत रीति से" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

धारा ८ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि राज्य सरकार की राय में खंडों का पुनः संघटन करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा सभी या किन्हीं क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त कर सकती है।"

श्री जगन्नाथ राव--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ में प्रतिबन्धात्मक पद की तीसरी पंक्ति में 'सभी या किन्हीं' हटा दिया जावे और उसके स्थान पर 'जिन क्षेत्र समितियों को निर्धारित किया जावे उन्हीं' रख दिया जाय।

मान्यवर, यह विकास क्षेत्र का जो पुर्ननिर्धारण हुआ है, कुछ ब्लाक्स जो हैं वे टूट रहे हैं और कुछ छोटे से बड़े हो रहे हैं। पुनःनिर्धारण होगा तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबन्ध उन्होंने यह लगाया है। उस प्रतिबन्धात्मक वाक्य में हम यह संशोधन चाहते हैं कि जिन क्षेत्र समितियों का विघटन किया जाय उन्हीं का कार्यकाल समाप्त किया जाय। यह नहीं कि दूसरी क्षेत्र समितियों को जिनका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है उन क्षेत्र समितियों का सरकार जब चाहे कार्यकाल समाप्त कर दे। प्रतिबन्धात्मक वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार चाहेगी तो क्षेत्र समितियों का, जिनका डिलिमिटेशन होगा, कार्यकाल समाप्त कर देगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें। इतना ही हो कि जहां क्षेत्र समितियों का विघटन हो जाय उनका कार्यकाल समाप्त हो जाय। बड़ी बना दी जांय तो उनका पांच साल जसा रक्खा गया है वैसा ही रहे।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, इसमें मैं श्री जगन्नाथ राव जी से कहूं कि यह केवल उन्हीं क्षेत्र समितियों में नहीं होगा। क्षेत्र समितियों का पुनर्गठन हुआ १००-२०० ब्लाक्स कम हुये या जो टूटने वाले

ब्लाक्स हैं उसमें अफैक्ट होगा ही जो बनेंगे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई ज्यादा चेन्ज हो जाय तो हर एक क्षेत्र समिति पर असर होगा। इसलिये सरकार को डिटरमिन करने का अधिकार रहेगा कि वह हर क्षेत्र समितियों के कार्यकाल को कम करे। इसलिये ला प्वाइंट आव् व्यू से वह बात जरूरी हो जाती है।

श्री जगन्नाथ राव—

यह तो आपने जो कहा कि बड़ी क्षेत्र समितियां बन जायंगी छोटी टूट जायंगी तो जो सदस्य उसके होंगे वह बड़ी समिति के सदस्य हो जायंगे, तो उनका कार्यकाल क्यों समाप्त कर दिया जायगा ? जो उसके पुराने सदस्य होंगे, जो कार्यकारिणी समिति होगी उसके जो सदस्य होंगे उसमें इसके सदस्य और बढ़ जायंगे उनका कार्यकाल समाप्त करने की क्या आवश्यकता है ? उनमें अगर कुछ ज्यादा सदस्य हो जाते हैं तो आपको आपत्ति क्या है ? अगर फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता हो तो प्रतिबन्धात्मक वाक्य कर दीजिए कि राज्य सरकार निदेश द्वारा चुनाव करा देगी। लेकिन कार्यकाल ही समाप्त कर देंगे, यह मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसलिए आप घोषणा करें कि उन्हीं का कार्यकाल समाप्त किया जायगा जो क्षेत्र समितियां टूटेंगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने बताया कि कार्यकाल समाप्त उन्हीं का होगा जो कि मर्ज करेंगी। लेकिन अगर ज्यादा संख्या में ब्लाक टूटे और ज्यादा क्षेत्र समितियों पर प्रभाव पड़े तो यह अधिकार राज्य सरकार का रहेगा, वह इसको प्रयोग में ला सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इसका प्रयोग हर हालत में करेंगे ही, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि साल भर या छः महीने बाकी हैं तो यह भी कर सकते हैं कि पूरा चुनाव क्षेत्र समितियों का करा दें। तो यह एक पैरिटी लाने के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रतिबन्धात्मक पद की तीसरी पंक्ति में 'सभी या किन्हीं' हटा दिया जाये और उसके स्थान पर 'जिन क्षेत्र समितियों को निर्धारित किया जावे उन्हीं' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

नयी धारा ८ का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

खण्डों के पुनः संघटन का परिणाम

८—क—(१) यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (३) के अधीन, या उपधारा (२) के अधीन किसी खण्ड की (जिसे आगे मूल खण्ड कहा गया है) क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड रहा हो जो धारा ४ के अधीन दूसरे खण्ड में सम्मिलित कर लिया गया हो, तो वह धारा ६ तथा ८ में किसी बात के होते हुए भी, मूल खण्ड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य न रह जायगा और उस दूसरे खण्ड (जिसे आगे नया खण्ड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य नये खण्ड की क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिए हो जायगा।

(२) यदि धारा ४ के अधीन खण्डों के क्षेत्रों में परिवर्तन होने के कारण, कोई खण्ड विद्यमान न रह जाय अथवा धारा ८ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी खण्ड की क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाय, तो ऐसे खण्ड की क्षेत्र समिति के प्रमुख तथा सदस्य जो धारा १८ की उपधारा (१) के क्रमशः खण्ड (१) तथा (२) के अधीन जिला परिषद् के सदस्य हों, धारा १८ और २० में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् के शेष कार्यकाल के लिए परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

श्री भीखालाल—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित नई धारा ८—क के भाग (१) को बदलकर इस प्रकार रख दिया जाय—

"(१) यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१) व (३) के अधीन या उपधारा (२) के अधीन, या धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन किसी खंड की (जिसे आगे मूल खंड कहा गया है) क्षेत्र समिति का सदस्य या प्रमुख किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड रहा हो जो धारा ४ के अधीन दूसरे खंड में सम्मिलित कर लिया गया हो, तो वह धारा ६ तथा ८ में किसी बात के होते हुये भी, मूल खंड की क्षेत्र समिति का सदस्य या प्रमुख न रह जायगा और उस दूसरे खंड (जिसे आगे नया खंड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य नये खंड की क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिए हो जायगा।"

मान्यवर, यह नयी धारा इसलिए बनानी पड़ी सरकार को कि अगर खंडों का पुनर्गठन किया जाय तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके लिये यह धारा जोड़ी गयी है। मैं समझता हूं कि इस धारा को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मूल अधिनियम की धारा ४ में ही एक या दो उपखंड बढ़ा दिया जाता तो यह मतलब हल हो जाता। क्योंकि धारा ४ का जो शीर्षक है, वह है—"खंडों में परिवर्तन का प्रभाव"। यानी खंडों की सीमा में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और अब जो नयी उपधारा बनायी जा रही है उसका शीर्षक रखा गया है—"खंडों के पुनःसंगठन का परिणाम"। यानी पुनःसंगठन किया जायगा तो भी उनकी सीमा में परिवर्तन होगा। इसलिये उसके लिये नयी धारा बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है उसी में मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं।

जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें मुझे दो एतराज हैं। पहला एतराज तो यह है कि प्रस्तावित संशोधन में धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (३) और उपधारा (२) का हवाला दिया गया है। इसके देखने से यह मालूम होता है कि धारा ६ के अधीन जो सदस्य होंगे और उसी धारा के अधीन प्रमुख होंगे, उसके लिये यह नया खंड बनाया गया है। वह नये विकास खंड समिति के सदस्य होंगे लेकिन धारा ६ में प्रमुख का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि धारा ७ में ही प्रमुख का चुनाव होता है। इसलिए प्रमुख के लिए धारा ७ का हवाला देना चाहिए वर्ना भ्रम पैदा हो सकता है।

दूसरा एतराज मेरा यह है कि अगर कोई विकास खंड पुनःसंगठित किया जायगा और उस विकास खंड का कोई हिस्सा दूसरे विकास खंड में मिला दिया जायगा तो इसमें प्रावीजन किया गया है कि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (३) के अधीन, या उपधारा (२) के अधीन किसी खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या उस हिस्से में आने वाले सदस्य, नये खंड के सदस्य हो जायेंगे। लेकिन धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१) के अधीन जो सदस्य होंगे, यानी ग्राम सभा के सभापति, उनको नये विकास खंडों की सदस्यता से वंचित किया गया है। उपधारा

(१) के खंड (३) में कोआपरेटिव समिति के सदस्यों का नामीनेशन होगा, और उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित सदस्य होंगे उनको इस खंड में रखा गया है यानी कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्य और कोआप्टेड सदस्य उसके सदस्य हो जायेंगे लेकिन ग्राम सभा के सदस्य नई क्षेत्र समिति के सदस्य न रह जायेंगे। इसलिये मैंने उसको बदल कर यह रख दिया है "यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (१) व (३) के अधीन या उपधारा (२) के अधीन, या धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन किसी खंड की (जिसे आगे मूल खंड कहा गया है) क्षेत्र समिति का सदस्य या प्रमुख होगा वह नयी समिति का सदस्य हो जायगा।" इसमें मैंने धारा ७ का भी जिक्र कर दिया है क्योंकि प्रमुख का रिफरेंस उसी में आया है। धारा ६ में प्रमुख का चुनाव होगा ही नहीं, इसलिये मैंने धारा ६ और ७ दोनों का हवाला दिया है। मेरे संशोधन से कोई भी सदस्य वंचित न होगा चाहे उसकी समिति किसी दूसरी समिति में मिल जाय। इसके अलावा ग्राम सभा के सभापति और जो कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य होंगे और जो कोआप्टेड सदस्य हैं वे नयी समिति के सदस्य हो जायेंगे। मौजूदा जो धारा आपने रखी है उसको मैंने सुधारने का प्रस्ताव किया है और मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय भीखालाल जी ने, मैं समझता हूं कि काफी प्रयास किया है और उन्होंने जितनी बातें रखी हैं, मैं थोड़ा उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। खंड ६ (१) में आपने बताया है कि जो पंचायतें हैं, उसमें सर्किल इन्क्लूड होता है। खंडों की जो परिभाषा है उसमें है कि खंड इन्क्लूड्स सर्किल। न्याय पंचायत सर्किल जो नयी पंचायतों से बनता है राज्य सरकार उसकी गजट में घोषणा करती है। तो ऐक्ट में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमने यह किया है कि कुछ पंचायतों को लेकर यह किया है कि फलां फलां सर्किल इस खंड में होंगे तो वह गजट नोटिफिकेशन हुआ और वे सर्किल उस खंड के पार्ट बन गये। इसलिए मैं समझता हूं कि जो इसमें रखा हुआ है वह ठीक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। प्रमुख के सम्बन्ध में जो धारा ७ है उसमें हम कोई संशोधन नहीं करने जा रहे हैं। चूंकि धारा ६ में उसको सदस्य की हैसियत से माना है। अगर प्रमुख की हैसियत है तो वह अन्य क्षेत्रों का प्रमुख होगा। यहां तो हम सदस्य का दर्जा दे रहे हैं। इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने संशोधन को वापिस लेलें।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं माननीय भीखालाल जी को यह बताना चाहता हूं कि खंड ८ में टर्म दिया हुआ है। टर्म तो क्षेत्र समिति जो होगी उसका सदस्य, उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया है। इसलिए खंड ८ जैसा कि इसमें दिया हुआ है वह ठीक है और मैं माननीय भीखालाल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भीखालाल जी, आप संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री भीखालाल--

इसमें मेरी शंका है, लेकिन अगर वे सेटिसफाइड हैं, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ की नई प्रस्तावित धारा ८-क (१) की चौथी और सातवीं पंक्ति में शब्द "प्रमुख" और "या सदस्य" के बीच कामा रख कर 'उप-प्रमुख' रख दिया जाय।

[श्री कमलासिंह यादव]

प्रमुख के बारे में माननीय मंत्री जी ने उसे सदस्य के रूप में मान लिया है। उपप्रमुख दो प्रकार के हैं। एक ज्येष्ठ और एक कनिष्ठ। मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है ताकि दोनों कवर हो जायं। इससे उपप्रमुख चाहे वे कनिष्ठ हों या ज्येष्ठ हों, दोनों इसके अन्दर हो जायंगे और सदस्य हो जायंगे। माननीय मंत्री जी प्रमुख को स्थान देने जा रहे हैं, उनको सदस्य के रूप में रखने जा रहे हैं तो बेचारे उप प्रमुख ने क्या बिगाड़ा है। तो हम दोनों को वही अधिकार देना चाहते हैं। तो इस संशोधन से उपप्रमुख भी उसका सदस्य हो जायगा।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्री कमला सिंह जी ने बड़ा सामयिक प्रस्ताव रखा है और मेरा भी यही निवेदन है कि जहां पर किसी क्षेत्र समिति का विघटन होता है और जो नई पुनर्गठित क्षेत्र समिति होती है उसमें विघटित क्षेत्र समिति के ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों उप प्रमुख, प्रमुख की भांति सदस्य मान लिये जायंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो उप प्रमुख ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ होते हैं उनको सदस्यों में माना जाता है। प्रधान को हट जाना पड़ता है इसी से उसके लिये प्राविधान किया गया है कि वह नई गठित क्षेत्र समिति का सदस्य मान लिया जायगा। लेकिन जहां तक ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ उप प्रमुख का सम्बन्ध है जब क्षेत्र समिति विघटित होगी और उसके सदस्य ट्रान्सफर होंगे उनमें उप प्रमुख भी सम्मिलित होंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

उप प्रमुख का कार्यकाल तो एक ही साल का होता है। हर साल वह चुने जाते हैं जैसे उपाध्यक्ष एक साल के लिये चुना जाता है। इस तरह से वह चन्द महीने के लिये ही सदस्य रहेंगे।

श्री राममूर्ति—

उप प्रमुख ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ ५ साल के लिये होते हैं और वे पूरे टर्म सदस्य रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ की नई प्रस्तावित धारा ८—क (१) की चौथी तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "प्रमुख" और "या सदस्य" के बीच कामा रख कर "उप प्रमुख" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की प्रस्तावित नयी धारा ८—क के भाग (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों का परिसीमन नये सिरे से होगा।"

श्रीमन्, अभी यह देखा जा रहा है कि ब्लाक्स ऐसे आर्गनाइज्ड है कि एक ब्लाक के गांव दूसरे ब्लाक के अन्दर रखे गये हैं। हमारे गाजीपुर जिले में ऐसे बहुत से गांव हैं जो एक ब्लाक के बीच में पड़ते हैं लेकिन दूसरे ब्लाक जो वहां से ५-६ कोस की दूरी पर है उनके अन्दर रख दिये गये हैं। तो माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि न्याय पंचायतों के आधार पर आपका अभी चुनाव हुआ और न्याय पंचायतों के आधार पर चुनाव होने के कारण बहुत से गांव ऐसे हैं जो दूसरे विकास क्षेत्रों के बीच में चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर्किल

के रूप में ऐसा होना चाहिये कि जो ज्यादा दूरी है वह कम हो जाय और गांव उसी क्षेत्र के अन्दर आ जायं। इस तरह से उन गांव वालों को सहूलियत हो जायगी और उनको दूर के दूसरे ब्लाक में जाना नहीं पड़ेगा। उनको कोई कठिनाई भी नहीं होगी, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि नये सिरे से परिसीमन की बात मान ली जाय।

श्री वंशीधर पांडेय--

इसकी इस ऐक्ट में इसलिये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सरकार तो जब भी चाहे ४-५ साल के बीच में चुनाव के पहले, बीच में भी, ऐसे क्षेत्रों की सर्किल इधर उधर करना चाहे तो कर सकती है। वह तो गजट नोटिफिकेशन के जरिये न्याय पंचायतों के चुनाव होने के बाद या ५ साल के बाद आम चुनाव होने के वक्त भी स्वयं ही क्षेत्र समितियों के पुनः संगठन का काम हो जायगा। ऐक्ट के अन्दर इसके प्राविजन करने की जरूरत नहीं है, यह आलरेडी डेफिनिशन के अन्दर है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम गजट नोटिफिकेशन करके किसी भी ग्राम सभा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिला सकते हैं। यह बात सही है कि आप मिला सकते हैं लेकिन जब आप पुनर्संगठन कर रहे हैं तो पहले ही अगर उसका पुनर्गठन हो जाय तो फिर आपको उस करना नहीं पड़ेगा और न्याय पंचायतों के लिये भी ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

सब जगह यह नहीं हो सकता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स भी हमें देखने पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ की प्रस्तावित नई धारा ८-क के भाग (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र समितियों के क्षेत्रों का परिसीमन नये सिरे से होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

धारा १५ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा १५ में:--

(१) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्--

"(४-क) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बठक उस दिनांक और समय तक क लिये स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (४-ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(४-ख) यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (३) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से ३० दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (३) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।"

(२) उपधारा (५) में शब्द "इस धारा" के पूर्व शब्द, कामा तथा अंक "उपधारा (४-क) तथा (४-ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर" बढ़ा दिये जायं;

(३) उपधारा (८) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" और तत्पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" बढ़ा दिये जायं; और

(४) उपधारा (१२) और (१३) में जहां-जहां भी शब्द "बारह महीने" आये हो, उनके स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४-क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आधे घंटे" के स्थान पर "दो घंटा" रख दिया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक के अन्दर यह आया है कि जब कहीं भी अविश्वास का प्रस्ताव होगा तो दो घंटे तक उसके ऊपर बहस हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी अधिकारी सिर्फ आधा घंटा देर हो जाने पर उस पर बहस दूसरे दिन के लिये टाल सकता है तो उचित नहीं होगा। कम से कम उतना पीरियड तो आप क्षम्य करने की कृपा करें जितना कि डिस्कशन के लिये आपने इसमें लिख रखा है। जब २ घंटा डिस्कशन होगा तो और दो घंटे के अन्दर भी वह वोट लेने के पहले आ जाय तो उसे उतना समय देना चाहिये कि वह उसमें सम्मिलित हो सके।

श्री राममूर्ति---

हमारा आपका समझौता—एक घंटा हो गया।

श्री बंशीधर पांडेय---

माननीय मंत्री जी दो घंटा की जगह एक घंटा रखने की बात मान रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव---

श्रीमन्, इसमें आध घंटा या एक घंटा होने की बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि यह धारा ४—क जो आप जोड़ना चाहते हैं यह बिलकुल निरर्थक है। यह सारी शक्ति सीमित करने वाली है। मैं तो इस पूरी धारा का ही विरोध करता हूं। इसको इस विधेयक में से निकाल ही दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

आप दोनों के निकाल देने के पक्ष में हैं ?

श्री जगन्नाथ राव--

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर यह पास हो जायगा तो आपका पेश नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ राव--

श्रीमन्, मेरी बात सुन लीजिये। मेरी अपनी भावना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कहना चाहें कह लीजिये।

श्री जगन्नाथ राव--

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सक्षम अधिकारी जो मीटिंग में जायगा वह आधा घंटे लेट जायगा। मैं कहता हूं कि वह लेट क्यों जायेगा ? उसको समय पर जाना चाहिये। आज देश को जरूरत है कि जिस काम को जिस समय के लिए निर्धारित किया गया है वह उसी समय पर होना चाहिये। वह अगर लेट हो जायेगा तो कारण बतायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। सैकड़ों गांवों के ग्राम सभापति वहां इकट्ठे होंगे और सक्षम अधिकारी समय पर नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा। उनका समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इसलिये इसमें यह अधिकार दे दिया जाय कि अगर सक्षम अधिकारी दो-चार दिन पहले से बीमार है तो दूसरे अधिकारी को नियुक्त किये जाने का अधिकार हो। अगर मीटिंग के आध घंटे पहले या घंटे भर पहले तबीयत खराब हो जाये तो उसके लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में दूसरा अधिकारी सारी कार्यवाही करेगा। एक जगह पर प्रश्न आया था कि विकास क्षेत्र समिति के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था। जब एस० डी० ओ० मीटिंग के लिये जाने लगे तो लोगों ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है उनके ऊपर दबाव डाला गया और वे नहीं गये। इससे बैठक स्थगित करनी पड़ी इसलिये कभी ऐसा मामला आयेगा तो लोग सक्षम अधिकारी के ऊपर दबाव डालेंगे और उनको मीटिंग में नहीं जाने देंगे। इसलिये जो संशोधन उपधारा ४-क में रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन मेरी भावना को समझेगा। उस अधिकारी को मीटिंग में जाना चाहिये अगर नहीं जायेगा तो दूसरे अधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिये। ये कानून में इस तरह की दुर्बलता लाकर अधिकारियों को निकम्मा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको निकम्मा बनने देना नहीं चाहता हूं। अगर कानून में यह चीज रखेंगे तो अधिकारी लेट पहुंचेंगे और इसका मतलब यह होगा कि उस क्षेत्र के लोग आयेंगे उनका समय नष्ट होगा। इस तरह का अधकचरा कानून लाद कर निकम्मापन न लादा जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मुझे मौका मिलना चाहिये, मेरा प्रस्ताव है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, खंडवाहिक संशोधन समाप्त हो जाने के बाद विरोध करने का मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इसमें माननीय जगन्नाथ राव जी ने विरोध किया, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि अगर एक जगह कोई अधिकारी नहीं जायगा तो उसके लिये आल्टरनेटिव व्यवस्था होगी।

[श्री बंशीधर पांडेय]

यह ऐसी दशा के लिये जैसे रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाय और उसे देर हो जाय। अगर जानबूझ कर नहीं जायगा तो अनुशासन की कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४-क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आधे घंटे" के स्थान पर 'एक घंटा' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की नयी उपधारा (४-क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि जब अध्यक्षता करने वाला अधिकारी अस्वस्थ हो जाय अथवा किसी आवश्यक कारणवश न उपस्थित हो सके तो कलेक्टर उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करेगा और कोई दूसरा अधिकारी न मिलने की दशा में ही बैठक स्थगित होगी।"

इसमें बहुत पचीदगी नहीं है। सदस्यों को अधिकार है कि जब वह चाहें किसी प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं। यदि सदस्यगण उपस्थित न हों तो कोई ऐडजर्नमेंट का मौका नहीं मिलेगा लेकिन अधिकारी न पहुंचे तो ऐडजर्नमेंट का मौका मिलेगा। कोई भी आदमी अस्वस्थ हो जाय, या कोई एक्सीडेंट हो जाय, उसके बाद भी अगर व्यवस्था करें कि किसी दूसरे आदमी को भेज सकें तो कोई ऐडजर्नमेंट न होना चाहिये। अगर दूसरे आदमी को भेजने की व्यवस्था कलेक्टर न कर सके तभी ऐडजर्नमेंट होना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

अगर जिसको कलेक्टर आज्ञा दे वह बीमार हो जाय तो कलेक्टर दूसरे आदमी को भेजने की व्यवस्था करेगा। यह कलेक्टर की ड्यूटी है। वह व्यवस्था तो उस सूरत के लिये है जबकि बीच में कोई बात हो जाय जिसमें वह कलेक्टर से भी सम्बन्ध स्थापित न कर सके और मीटिंग स्थल तक भी न पहुंच सके।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने इसलिए यह रखा है कि इसके अन्दर यह प्राविधान नहीं है कि एस० डी० एम० को छोड़ कर दूसरा कोई आदमी जा सकेगा। यह व्यवस्था हो जाय तो अगर एस० डी० एम० मौके पर नहीं पहुंचता है तो किसी दूसरे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को कलेक्टर भेज सकता है और वह जाकर आसानी से काम कर सकेगा।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इसमें जो डी० एम० चाहेगा, एस० डी० एम० मान लेगा। कलेक्टर को तो सारा अधिकार है कि कब किसी को चार्ज देकर एस० डी० एम० बना दे। तो यह तो कलेक्टर को अधिकार पूरे हैं। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह है कि जिलाधीश जब नोटीफिकेशन क्षेत्र समिति के सदस्यों के पास भेज चुका होता है कि फलां आदमी एस० डी० एम० प्रिसाइडिंग आफिसर रहेगा। किन्तु दो, तीन दिन पहले यदि वह एस० डी० एम० बीमार हो जाय और वह प्रिसाइड करने में असमर्थ हो जाय और यह चीज जिलाधीश की नोटिस में आ जाए तो क्या कलेक्टर को उसके

नाम को परिवर्तित करने का अधिकार होता है कि अब वह उसके स्थान पर दूसरे अन्य एस० डी० एम० को भेज सके ? यदि उनको बदलने का अधिकारी ऐसी हालत में होता है तब तक ठीक है नहीं तो इस संशोधन को लाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसमें यह होता है कि एस० डी० 'एम० जाए गा। यह बाई नेम नहीं होता है, कलेक्टर जिसे भेजेगा वह जायगा, वही इसकी परिभाषा में आएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ की नई उपधारा (४–क) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि जब अध्यक्षता करने वाला अधिकारी अस्वस्थ हो जाय अथवा किसी आवश्यक कारणवश न उपस्थित हो सके तो कलेक्टर उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी को भेजने की व्यवस्था करेगा और कोई दूसरा अधिकारी न मिलने की दशा में ही बैठक स्थगित होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४–ख) की छठी पंक्ति में अंक "३०" के स्थान पर "१५" रख दिया जाए।

श्रीमन्, यह इसलिये रखा गया है कि ब्लाकों में अक्सर देखा जा रहा है कि १–२ दिन का मौका मिलने से भी प्रमुख आदमियों को तोड़ लेते हैं। कभी कभी उनमें भारी दबाव डाला जाता है। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव यह है कि ३–४ आदमी पकड़ कर बन्द कर दिये गये। इतना ही नहीं उनके ऊपर झूठे मुकदमें दायर किये गये और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर रोक दिया गया, तो इसमें कम से कम समय का मौका देना चाहिये। इसको तो उसी रोज अविश्वास के प्रस्ताव को पास हो जाना चाहिये। तो ऐसी स्थिति में अकारणवश या किसी साधारण कारण से यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि उस मीटिंग को स्थगित कर दें तो कम से कम समय दूसरी मीटिंग के लिये देना चाहिये। इसलिये मैंने ३० दिन के बजाय १५ दिन का मौका दिया है, जिससे जल्दी से जल्दी उसे पास किया जा सके, तथा समय की कमी के कारण कोई गड़बड़ न होने पाये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय कमला सिंह ने ३० दिन के बजाय १५ दिन का जो संशोधन रखा है वह बहुत ही उपयोगी और सराहनीय है, क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव में यह समझा जाता है कि सरकार को इस प्रकार की नीति बरतनी चाहिये जिससे सदस्यों को कम से कम समय दिया जाये। केवल उतना ही समय दिया जाय जितना उनको नोटिस देने के लिये आवश्यक हो। यदि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें, तो यह बड़ा प्रजातान्त्रिक होगा और विकास क्षेत्रों के लिये यह बड़ा ही लाभकर और उपयोगी होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसे मंत्री जी अवश्य मान लेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह तो स्थगित मीटिंग होगी, इसमें तैयारी करने की क्या आवश्यकता है, इसके लिये वह पहले से तैयारी रखेंगे, इसमें कोई ज्यादा समय तो यों भी नहीं दिया जायगा। चूंकि यह कमला सिंह जी का संशोधन है इसलिये विकास मंत्री की राय है कि इसम ३० दिन के बजाय २५ दिन कर दिया जाए।

श्री कमलासिंह यादव—

ठीक है यही हो जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है खण्ड ५ की नई प्रस्तावित उपधारा (४-ख) की छठी पंक्ति में अंक "३०" के स्थान पर "२५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४-ख) के प्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय —

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा ४-क के प्रन्तर्गत बैठक स्थगित होने की दशा में भी बैठक का कोरम उपधारा (११) के ही अधीन रहेगा ।"

श्रीमन्, जितनी बैठकें एडजर्न होती हैं, उसकी दूसरी मीटिंग में कोरम का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोरम का अभाव होता है तब होता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कानूनी दिक्कत न रहे और चीज स्पष्ट हो जाय कि कोरम वैसा ही रहेगा जैसा धारा ११ में दिया है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह स्थगित बैठक होगी और इसमें धारा ११ का जो कोरम है वह लागू होगा इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४-ख) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा ४-क के अन्तर्गत बैठक स्थगित होने की दशा में भी बैठक का कोरम उपधारा (११) के ही अधीन रहेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री भीखालाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ में मूल अधिनियम की धारा १५ में प्रस्तावित नई उपधारा (४-ख) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त बैठक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्थगित की जायेगी और यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष पूर्व से ही ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण वह उक्त बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहेगा तो वह तुरन्त इस आशय की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा जो तत्काल किसी अन्य सक्षम अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये आदेश देगा ताकि बैठक स्थगित न करनी पड़े ।"

मान्यवर, अधिनियम की धारा १५ (४) में यह प्राविधान है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विवाद के लिये जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता सब डिवीजनल आफिसर करेंगे। उसके बाद उपधारा ५ में यह प्राविधान है कि यह बैठक स्थगित नहीं की जायगी। एक नया खन्ड सरकार ने यह जोड़ा है कि कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें बैठक स्थगित करनी पड़ेगी। यह कल्पना सरकार की सही है। अगर बैठक स्थगित ही करनी पड़ेगी तो उसके लिये क्या प्रणाली होगी और उसी के लिये ४ (क) और ४ (ख) जोड़ा गया है। उसके अर्थ स्पष्ट हैं कि साधारण परिस्थितियों में बैठक स्थगित नहीं की जायेगी, जो असाधारण परिस्थितियां होंगी उनमें ही बैठक स्थगित हो सकेगी और वह असाधारण और असामान्य परिस्थितियां वह होंगी जिनका जिक्र अभी माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि अधिकारी की मोटर फेल हो सकती है या अचानक वह बीमार हो सकता है लेकिन अगर इन असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त समय से पूर्व अधिकारी को मालूम हो जाय कि वह मीटिंग में नहीं पहुंच सकेगा तो उसे कलेक्टर को ऐसी परिस्थिति की सूचना देनी चाहिये ताकि वह किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर दे जिससे काम में रुकावट न हो। उससे १५ (५) की मंशा भी पूरी होगी। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

भीखा लाल जी ने जो यह संशोधन पेश किया है मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं। जब वह अधिकारी नहीं जायगा और परिस्थिति की ऐसी मांग होगी तो कलेक्टर को लिखकर सूचित करेगा। तब कलेक्टर उसके स्थान पर मूल अधिनियम की धारा १५ के अनुसार वह काम करेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसी बैठक की अध्यक्षता परगनाधीश करेगा और उस क्षेत्र समिति में क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करेगा। अगर वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा तो वह इसकी सूचना देगा। उसके बाद कलेक्टर दूसरे आदमी को नामजद करेगा। ये सारे अधिकारी कलेक्टर के अन्तर्गत ही काम करते हैं। वे इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको माननीय सदस्य वापस ले लें। यह तो उनका बिजनेस है ही तो वह स्वयं इसका प्रबन्ध करेंगे।

श्री भीखालाल—

मैं इससे इन्कार नहीं करता कि यह उस कलेक्टर का बिजनेस नहीं है। यह उपधारा ४ में दिया हुआ है। किन्तु अगर उस अधिकारी को बैठक के दिन कहीं बाहर जाना है या किसी अन्य कारणवश वह नियत तिथि पर मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकता है और कलेक्टर को सूचना नहीं देता है और वक्त पर नहीं पहुंचता है तो साधारण परिस्थिति में भी बैठक स्थगित हो सकती है। लेकिन असाधारण परिस्थिति में अगर वह नहीं पहुंच पाता है तो फिर कार्यवाही इस धारा के अनुसार होगी। मैं सिर्फ इस संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि साधारण परिस्थिति में अनुपस्थिति की सूचना के आधार पर वह दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर दे असाधारण स्थिति में तो वह स्थगित हो जायगी। इसलिये इस खंड में यह स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिये ताकि मीटिंग अनावश्यक तौर पर स्थगित न की जाय और यह जिम्मेदारी उस अधिकारी के ऊपर आ जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

जितने भी अधिकारी होते हैं वे सब कलेक्टर के अन्तर्गत काम करते हैं। वे बिना कलेक्टर को सूचना दिये और उनकी आज्ञा की अवहेलना करके बाहर नहीं जायगा। वह समय के अन्दर ही सूचना देगा और तब कलेक्टर उसका प्रबन्ध कर सकता है और करेगा। यह कलेक्टर की ड्यूटी होगी कि वह किसी दूसरे व्यक्ति का प्रबन्ध कर दे। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ में मूल अधिनियम की धारा १५ में प्रस्तावित नई उपधारा (४—ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त बैठग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्थगित की जायगी और यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष पूर्व से ही ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण वह उक्त बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहेगा तो वह तुरन्त इस आशय की लिखित सूचना कलेक्टर को देगा जो तत्काल किसी अन्य सक्षम अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये आदेश देगा ताकि बैठक स्थगित न करनी पड़े।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(३) उपधारा (८) में शब्द 'प्रस्तुत किया जायगा' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

'जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।'

इसमें दिया हुआ है कि वह गुप्त मतदान द्वारा होगा। लेकिन इस के बारे में कोई नियम सरकार नहीं बना सकती जब तक कि उसको पावर न दी जाय। तो मैंने अपना संशोधन इसीलिये दिया है और इस संशोधन द्वारा सरकार को अधिकार हो जायगा इसके द्वारा सरकार को पावर डेलीगेट की जा रही है।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(३) उपधारा (८) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (११) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर "दो तिहाई" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जहांतक आधे से अधिक का प्रश्न अविश्वास के प्रस्ताव में होता है उससे हर जगह बावेला मचा रहता है और मैं चाहता हूं कि प्रमुख अधिक से अधिक समय तक काम कर सके इसीलिये मैंने अविश्वास के प्रस्ताव के लिये दो तिहाई का संशोधन रखा है। जैसे बाईलाज वगैरह के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रमुख के लिये भी होना चाहिये क्योंकि प्रमुख का पद महत्व का है और उसे काम करने का पूरा अवसर मिलना चाहिये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन् मैं कमला सिंह जी के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। यह अत्यन्त ही अप्रजातांत्रिक है और क्षेत्र समिति के सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है। इस के अनुसार तो प्रमुख अधिक सदस्यों का बहुमत अपने फेवर में रखेगा और दो तिहाई संख्या कभी उसके विरुद्ध नहीं जायगी और वह ५ वर्ष तक अपनी तानाशाही बनाये रखेगा। कमलासिंह जी पता नहीं किस समाजवाद में विश्वास रखते हैं जिस के आधार पर यह प्रस्ताव लाये हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी समाजवादी हैं और इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाया कि कमलासिंह जी जैसे व्यक्ति कैसे इस प्रकार का संशोधन ले आये। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। पता नहीं कैसे उन्होंने बहुमत के स्थान पर दो तिहाई बहुमत की बात कही। इस प्रकार तो जब मंत्री जी दो वर्ष तक अविश्वास का प्रस्ताव न लाने की बात करते हैं उस के साथ-साथ कमलासिंह जी तीन वर्ष की बात रख देंगे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, मैं कमला सिंह जी के संशोधन का विरोध इसलिये करता हूं कि अलोकतंत्रीय है और जन भावनाओं के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि वह स्वयं भी इस संबंध में संतुष्ट नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि मंत्री जी निश्चित रूप से इसका विरोध करें और इसे पास न होने दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह दो तिहाई कर देने से सही बात है कि जो प्रजातांत्रिक इकाइयां हैं उनमें निराशा पैदा हो जायगी। वह अपने प्रमुख पर अविश्वास नहीं ला सकेंगी, इसलिए इसे स्वीकार करने में हमारी असमर्थता है।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर राजेन्द्रसिंह जी और भीखालाल जी का यह मत है तो मैं संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" रख दिया जाय।

अभी तक एक साल का टाइम था, उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाकर प्रमुख को हटाया जा सकता था, लेकिन अगर दो वर्ष की मियाद रखते हैं तो अगर किसी कारणवश मीटिंग एडजर्न हो गयी और प्रमुख ने लोगों को तोड़ लिया तो फिर मौका नहीं मिल सकेगा २ साल तक प्रस्ताव लाने के लिये। इसलिये अगर आधे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि प्रमुख न रहे तो किसी वक्त ऐसा अधिकार होना चाहिये कि ऐसे आदमी को हटा सकें। अगर हर छठे महीने भी हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। अगर एक साल की मियाद भी दी जायगी तो भी उचित ही है, लेकिन दो वर्ष की रखने से वह टायरेंट हो सकता है और जो चाहे मनमाना कर सकता है और सदस्य भी अपने अधिकारों का ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिये एक साल की ही मियाद जो रही है उसी को रखें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

मूल अधिनियम में १२ महीने की मियाद रखी गयी है। अब दो वर्ष किया जा रहा है अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इसलिये कि जब विधान सभा में, लोक सभा में ६ महीने बाद प्रस्ताव ला सकते हैं अविश्वास का और अन्य स्थानीय निकायों में भी प्रस्ताव आ सकता है तो क्या कारण है कि क्षेत्र समिति का प्रमुख यदि अनैतिक कार्य करे और ५० फीसदी से ज्यादा लोगों की भी राय उसके खिलाफ हो तो भी वह बना रहे। एक वर्ष का जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया, उसके अतिरिक्त भी उसको २ वर्ष तक जन भावनाओं पर कुठाराघात करने का अवसर दिया जाय, यह कहां तक प्रजातंत्र के मनोवैज्ञानिक परिपोषण के लिए उचित होगा? इसलिये मंत्री जी इसको वापस लें और जैसा कि मूल अधिनियम में है वैसा ही रहने दें।

श्री जगन्नाथ राव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि क्षेत्र समिति का जो प्रमुख है उसकी उच्छृंखलताओं को नियंत्रित करने के लिए ही एक वर्ष मूल अधिनियम में रखा गया था। अगर हम २ साल का समय दे देंगे जिसके पहले अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता तो वह बना रहेगा और उसकी उच्छृंखलता बढ़ती जायगी। और वह जितना भी गलत काम कर सकते हैं करें। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा ही नहीं, न एक साल बाद आयेगा, न २ साल बाद आयेगा। लेकिन अगर कोई खराब काम करता है तो जरूर ऐसे आदमी को जल्दी से जल्दी हटाना ठीक होगा। मंत्री जी ने कहा कि एक साल तो उसे काम सीखने में लग जाता है। इसलिये दो साल का समय रख दिया। यह गलत दलील है। अगर वह गलत काम करता है, जितना सीमेंट ब्लाकों में जाता है उसको वह अपने संबंधियों को बांट देता है, अपने ही साथियों को और फायदा पहुंचाता है, जब जन भावना का अनादर करता है, तो मैं पूछता हूं कि उसको दो वर्ष तक छूट क्यों आप देने जा रहे हैं। इसलिये कुछ अंकुश आप रखिये, और दो वर्ष वाले अपने संशोधन को आप वापस लीजिये। मैं सदन से सविनय आग्रह करूंगा कि वह इस दो वर्ष वाले संशोधन को ठुकरा दे।

*श्री लखीसिंह—

जिस दिन से इस विधेयक पर विवाद चल रहा है, सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के इस संशोधन का विरोध किया है। मैं बहुत ही मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने इस दो साल वाले संशोधन को वापस ले ले। सरकार के इस संशोधन से साबित होता है कि सरकार कभी ब्लाक प्रमुखों को हटाना ही नहीं चाहती क्योंकि अधिकतर उसी के यह लोग हैं। एक वोट से अविश्वास का प्रस्ताव गिर सकता है, एक बार गिर गया तो २ साल के लिये फिर छुट्टी। आपने अपने मन में यह धारणा कर ली है कि इनको कभी हटाया ही न जाय। उपाध्यक्ष जी किस तरह से वोटों की खरीदारी होती है, यह आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। जिला परिषद्, नगरपालिका, टाउन एरिया आदि में अविश्वास के प्रस्ताव पर इतना भ्रष्टाचार होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। विरोधी पक्ष का एक भी संशोधन इस सरकार ने नहीं माना। (कई माने हैं कमल सिंह जी के—एक आवाज) इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस २ साल वाले संशोधन को वापस ले लें। इस सरकार के खिलाफ जब हम ६ महीने बाद अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो उस से यह सरकार सतर्क रहती है। आखिर वह भी तो एक छोटी सी सरकार ही है। उस सरकार को लताड़ने के लिये यह जरूरी है कि हर ६ महीने बाद अविश्वास का प्रस्ताव आये। अगर ६ महीने आप नहीं मानते तो एक साल ही रख दीजिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार दो साल वाले संशोधन को वापस ले और एक साल ही रहने दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, उपखंड ४ के जरिये से जो धारा ११, १२ तथा १३ को संशोधन करने का प्रयास किया गया है कि प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दो साल तक नहीं आ सकता, मैं उसका विरोध करता हूं । मैं नहीं समझ पाया कि सरकार के सामने कौन सी कठिनाइयां या अनुभव आये जिनकी बिना पर वे एक साल के बजाय मियाद को दो साल तक बढ़ाना चाहते हैं । मैं अनुमान करता हूं कि कोई शासनिक कठिनाइयां नहीं हैं केवल हो सकती हैं तो राजनैतिक कठिनाइयां हो सकती हैं जिनके आधार पर सरकार मियाद को बढ़ाकर दो साल करना चाहती है । एक अविश्वास का प्राविधान ऐसा है कि जिसके डर से चाहे वह प्रमुख हो चाहे कोई अध्यक्ष हो उस पर कम से कम भय रहता है जिससे वह सशंकित रहता है कि पद न छिन जाय और इसी से वह सही कामों की ओर प्रेरित होता है । अगर उस का यह भय हट जाय और दो साल के लिये वह स्वच्छन्द हो जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत गड़बड़ होने की सम्भावना है । सरकार अच्छी तरह से जानती है कि अविश्वास के प्रस्ताव लाने का या नियमों में उसका प्राविधान करने का हमेशा मन्शा यह नहीं हुआ करता है कि सरकार को या पदाधिकारी को हटाना ही है । हम सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं । हम जानते हैं कि सरकार नहीं हट पायेगी लेकिन इसलिये लाते हैं कि शासन में जो गड़बड़ियां हैं उनको लाकर उसके सामने रक्खें ताकि सरकार को सुधार का मौका हो । इसी तरह से अगर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है, अगर वह नहीं भी हटाया जा सका तो जो उसके काम में गलतियां ह उनको तो कम से कम सामने रक्खा जा सके ताकि सुधार का मौका हो । ब्लाक समितियों को ब्लाक के कार्य को अच्छी तरह से चलाने की आवश्यकता है । यह समय एक साल से बढ़ाकर दो साल न किया जाय । माननीय मंत्री फिर सोचेंगे और संशोधन को वापिस लेंगे और इसको करने का प्रयास नहीं करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, जब पंचायती राज भारत के राज्यों में लागू हुआ तो उसकी कई स्टडी टीम्स भी निकलीं, लोगों ने मूल्यांकन किया । प्लानिंग कमीशन को भी समय समय पर विचार करने का मौका मिला । उन सब की राय यही थी कि इनके कार्यों में स्थायित्व लाया जाय । यह विधान सभा और उनके कार्यक्रम से उनकी तुलना बिलकुल नहीं की जा सकती । वह फील्ड वर्क है वहां पर कार्यक्रम होते हैं उनमें भी स्थायित्व लाया जाय । अविश्वास के प्रस्ताव में यह नहीं हो सकता । जो उनके चुनाव होते हैं देहात के लोगों में जो वातावरण होता है जिनको हम अच्छा चुनना चाहें चुन दें लेकिन शासन में जो हर साल अविश्वास का प्रस्ताव रख देते हैं उससे यह सर्वथा भिन्न है । इसमें विशेषज्ञों की राय है इसमें कोई राजनैतिक राय नहीं है । अविश्वास के प्रस्ताव के कारण वह कार्य रुक जाता है जिसको प्रमुख योजना द्वारा करना चाहता है । उसमें ब्लाक का सारा कार्यक्रम ही नष्ट हो जाता है । कमलासिंह जी ने जो बात दो तिहाई की कही उसको उस तरह न करके इसको इस तरह सेफगार्ड कर दें कि आदमी के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठारघात भी न हो लेकिन वह अविश्वास का प्रस्ताव कुछ स्थायित्व के साथ आये । आप चुनाव के वक्त में पहिली बार कर सकते हैं । दो वर्ष बाद अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं । और अगर दो वर्ष के बाद प्रस्ताव पास हो गया तो ठीक है । दो साल के बाद ले आयें । ऐसी परिस्थिति में लखीसिंह जी सहमत होंगे कि वहां पर प्रैक्टिकल काम होता है । एक्सटेन्शन का काम है, इर्रीगेशन का काम है, एग्रीकल्चर का काम है । अगर रोजाना अविश्वास के प्रस्ताव होंगे तो प्रमुख क्षेत्र समिति के काम नहीं कर पायेंगे । इसलिये माननीय कमलासिंह जी ने दो तिहाई रखा था उसका भी अर्थ यही था कि उनके अधिकार का हनन् न होने पाये । यह प्रस्ताव भी इसीलिये रखा गया है । यह स्थायित्व की दृष्टि को लेकर ही किया गया है इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जो दो-तिहाई का प्रस्ताव रखा उसको तो मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिये मंत्री जी इसमें अपने आपको करेक्ट कर लें, मैंने जो गलती की थी, मंत्री जी उस गलती को न

[श्री कमला सिंह यादव]

करें। धारा १५ के उपखंड (छ) में कहा गया है कि वाद विवाद किया जायगा और उसी प्रकार से और जगह भी वाद विवाद की व्यवस्था की गयी है। कहा गया कि विधान सभा और उसमें फर्क है लेकिन वह भी विधान सभा की तरह ही एक इकाई है। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा गवर्नमेंट की खामियों को हम सदन के सामने लाते हैं, इसी तरह से उनकी खामियों के खिलाफ भी हमको कहने का कुछ मौका मिलेगा। इसलिये अगर एक साल भी मियाद ही रखी जायगी तो भी अविश्वास का प्रस्ताव आने से सुधार होने की बहुत गुंजाइश होगी। लेकिन माननीय मंत्री जी उसको दो साल करना चाहते हैं। इससे मुश्किल से एक बार ही अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि ब्लाक्स में किस प्रकार घूसखोरी और ब्लैक मार्केटिंग होती है। कंस्ट्रक्शन के काम में जब तक कोई ५ प्रतिशत नहीं देता है तब तक रुपया नहीं दिया जाता है। इसको रोकने के लिये ही अविश्वास का प्रस्ताव लाना रखा गया है। अगर आप एक साल की मियाद रखेंगे तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि हर साल सब प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ ही जाय। हो सकता है किसी से खिलाफ ५ साल तक भी न आये। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये थी प्रमुखों को प्रोत्साहित करने के लिये कि जिन प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा, उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जायगा। लेकिन इस प्रकार से आपको सदस्यों के अधिकार पर कुठाराघात नहीं करना चाहिये। इस लिये मैं चाहूंगा कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिये माननीय मंत्री जी एक साल ही रखने दें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मंत्री जी ने २ वर्ष के समर्थन में केवल स्थायित्व की बात कही है। हमारे प्रदेश में करीब ८–९ सौ विकास खंड हैं और उनको दो वर्ष से अधिक चुने हुए हो गये। उनमें से केवल ६०–६१ विकास खंडों के प्रमुखों के खिलाफ ही अविश्वास के प्रस्ताव लाये गये हैं और मुश्किल से ५–६ के विरुद्ध पास हुए हैं, उनको हटाया गया है। यह तो माननीय मंत्रीजी भी मानने के लिये तैयार होंगे कि ८–९ सौ में ५, ६ तो ऐसे बुरे, नालायक, नीच, कुकृत्यपूर्ण प्रमुख हो सकते हैं जिनको हटाया जाना आवश्यक और अपरिहार्य होगा। जहां पर अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं वहां भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, कृषि के कार्य अथवा कोआपरेटिव के काम में नहीं हुआ है। जब दो वर्ष का अनुभव यह बताता है कि ९०० में से केवल ६० पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ और उसमें से भी केवल ५–६ के विरुद्ध ही पास हुआ। अतः इन आंकड़ों को सामने रखते हुए और अपने तजुर्बे से हमें इस अवधि को हरगिज भी नहीं बढ़ाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से, और अगर वे न मानें, तो समस्त माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि वे इस २ वर्ष वाली अवधि के खंड को पास न होने दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने तो हमारी ही बात को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि २–३ साल के अन्तर्गत केवल ६० जगहों पर अविश्वास के प्रस्ताव आये और उनमें से केवल ५ या ६ जगह पास हुए तो चूंकि उनका काम अच्छा था इसलिये नहीं आ सके। केवल बवंडर मचाना चाहते थे तो हमने इस कानून में २ साल का समय इसलिये रखा है कि २ साल के अन्तर्गत देख लिया जाय और २ साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। सेक्शन १६ के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख को रिमूव भी किया जा सकता है तो अगर कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं तो कन्टीन्यु करने दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैंने उनकी बात को सपोर्ट किया है। इस बारे में मैं....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

श्री लखीसिंह---

माननीय मंत्री जी लड़ाई के कारण भूल में है। जरा इसे ध्यानपूर्वक देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर "एक वर्ष" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६

६---मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--- धारा १७ का संशोधन

"(२-क) परिषद् का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां पर वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था।"

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की प्रस्तावित नई उपधारा (२-क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" और "निर्धारित किया जाय" के बीच "नियत रीति से" रख दिया जाय।

इस संशोधन को पहले भी मान चुके हैं माननीय मंत्री जी, तो दूसरी जगह मानने में उनको एतराज नहीं होगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

जहां तक खंडों के कार्यालयों की बात थी वे कहां स्थापित होंगे और कुछ का रिआर्गनाइजेशन होगा। यह सब बातें तय होनी थीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तय हैं, कोई चेंज नहीं होना है।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा तात्पर्य यह था कि यह जिला परिषद् का अधिकार है कि जहां चाहे अपना कार्यालय रखे। पहले से निश्चित उस स्थान पर वह रखे या हटा दे। हटाने की बात है तो राज्य सरकार को जिला परिषद् के प्रस्ताव पर हटाना चाहिये लेकिन यहां किसी प्रस्ताव का जिक्र नहीं है।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है उसे माननीय मंत्री मानेंगे तो जब प्रस्ताव आयेगा या जो स्थान पहले से ही निर्धारित है उस स्थान को हटाने में दिक्कत नहीं हो सकेगी। "नियत रीति" के रखने से सरकार को अधिकार रहेगा लेकिन अगर सरकार अपने हाथ में "नियत रीति" रखने का अधिकार नहीं रखना चाहती है तो माननीय मंत्री जी जो चाहें, करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ की प्रस्तावित नई उपधारा (२—क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" और "निर्धारित किया जाय" के बीच "नियत रीति से" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ की नई प्रस्तावित उपधारा (२—क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक सम्भव हो कार्यालय का स्थान जिले के (हेडक्वार्टर) मुख्य स्थान पर होगा।"

उम्मीद है मंत्री जी इसे प्रतिबन्ध के रूप में स्वीकार कर लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

जहां तक जिले के हेड क्वार्टर की बात है सब-हेडक्वार्टर वहीं हैं और यह तो सरकार के आदेश से हो जायगा।

श्री जगन्नाथ राव—

उपाध्यक्ष महोदय, बनारस जिले में दो जिला परिषदें काम कर रही हैं। एक वाराणसी की है और दूसरी भदोही—ज्ञानपुर मिला कर। वहां दो जिला कार्यालय स्थापित हैं। क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी को है और इसमें वह संशोधन कर देंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह जिला परिषद् वहां पहले से है और हर जिला परिषद् को अधिकार है कि वह अपना उप-कार्यालय कहीं भी रख सकता है। वहां जिला परिषद् पहले से था और वहां कार्यालय मौजूद था। उस जिला परिषद् को तोड़ कर जब दूसरे में मर्ज कर दिया गया तब एक जिला परिषद् हो गया और उसका एक उप-कार्यालय वहां पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ के नई प्रस्तावित उपधारा (२—क) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक सम्भव हो कार्यालय का स्थान जिले के (हेड क्वार्टर) मुख्य स्थान पर होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की धारा २८ में—

धारा २८ का संशोधन

(१) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(४–क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (४–ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(४–ख) यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय क लिय स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (३) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से ३० दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा। कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (३) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।"

(२) उपधारा (५) में शब्द "इस धारा" के पूर्व शब्द, कामा तथा अंक "उपधारा (४–क) तथा (४–ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर," बढ़ा दिये जायं;

(३) उपधारा (८) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" और तत्पश्चात् आए हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" बढ़ा दिये जायं; और

(४) उपधारा (१२) और (१३) में, जहां–जहां भी शब्द "एक वर्ष" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की नई प्रस्तावित उपधारा (४–क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आधे घंटे" के स्थान पर "एक घंटा" रख दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

"एक घंटा" वाला संशोधन मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की नई प्रस्तावित उपधारा (४–क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आधे घंटे" के स्थान पर "एक घंटा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ५ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की नई प्रस्तावित उपधारा (४–ख) की छठी पंक्ति में अंक "३०" के स्थान पर "२५" रख दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की नयी प्रस्तावित उपधारा (४–ख) की छठीं पंक्ति में अंक "३०" के स्थान पर "२५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भीखालाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ में मूल अधिनियम की धारा २८ में प्रस्तावित नई उपधारा (४–ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त बैठक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्थगित की जायगी और यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष पूर्व से ही ऐसी परिस्थियां विद्यमान हैं जिनके कारण वह उक्त बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहेगा, यदि वह स्वयं जिलाधीश है तो वह अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी को उक्त बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश देगा और यदि वह कोई दीवानी न्यायाधिकारी है तो वह तुरन्त इस आशय की लिखित सूचना जिला न्यायाधीश को देगा जो तत्काल किसी अन्य सक्षम अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये आदेश देगा ताकि बैठक स्थगित न करनी पड़े।"

श्रीमन्, यह संशोधन मैंने इसलिये दिया है कि अविश्वास के सम्बन्ध में जो विवाद के लिये बैठक होगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरा आशय यह है कि यह बैठक किसी साधारण परिस्थिति में न स्थगित की जाय बल्कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति हो तभी स्थगित की जाय और इसका उल्लेख इस प्रतिबन्ध के रूप में मैंने यह देने का प्रयास किया है। मैंने इसी प्रकार का एक संशोधन खंड ५ के सम्बन्ध में रखा था और मैंने जो तर्क प्रस्तुत किया था वही तर्क मैं इस संशोधन के संबंध में भी रखता हूं इसलिये मैं उन बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने धारा ६ के वक्त भी इसकी चर्चा की थी और माननीय भीखालाल जी भी सहमत थे कि समय का जहां तक सम्बन्ध है घंटा, आधा घंटा की देर हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर कलेक्टर रहता है, वह न्यायाधीश को जिला परिषद् के अविश्वास के लिये नियुक्त करके भेजता है और अगर वह नहीं जा सके तो न्यायाधीश सिविल जुडिशियल आफिसर में से दीवानी के किसी न्यायाधिकारी को भेज सकता है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर मीटिंग स्थगित होने का सवाल नहीं उठेगा। अब अगर जजों के ऊपर भी आपको विश्वास न हो तो मैं क्या कहूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय भीखालाल जी ने रखा है वह बहुत उचित है इस माने में कि जिला परिषद् के हेड क्वार्टर्स मुख्य स्थान पर ही हैं यानी जिलों में ही हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज का निवास स्थान होता है और आफिस भी होता है। अगर वह अधिकारी

जिसको जिला जज नियुक्त करेगा, बीमार हो जाय और मीटिंग की अध्यक्षता न कर सके तो किसी दूसरे आदमी को नियुक्त कर देगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि हेड क्वार्टर पर जब जिला जज बीमार हो जाय तो कोई भी अधिकारी आ सकता है जो वहां पर अवेलेबिल हो। अगर इस दिशा में भी मीटिंग को स्थगित करते हैं तो आप अध्यक्ष को मौका देना चाहते हैं कि वह सदस्यों को मनोवारिंग करें जो उसके पक्ष में हो जांय। जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आधे से अधिक सदस्य रखते हैं तो ऐसे मामले में सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। जब आपने धारा ५ में रखा है कि अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर के जो मीटिंग होगी वह स्थगित नहीं की जायगी। जब ऐसी नीति सरकार की रही है तो फिर इसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? इसके संबंध में मंत्री जी ने कोई बात नहीं बताई। इन शब्दों के साथ में माननीय भीखालाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट जज के हेडक्वार्टर का मामला होगा तो इस बात की सम्भावना नहीं है कि मीटिंग स्थगित हो जाय। इसलिये इसके प्राविधान करने की क्या जरूरत है? मेरा मंशा यह है कि जिले के हेड क्वार्टर पर जहां जिला जज मौजूद है तथा अन्य सिविल जज मौजूद हैं तो कोई सूरत ऐसी नहीं हो सकती है कि मीटिंग स्थगित हो। लेकिन अगर असाधारण परिस्थिति हो जाय तो डिस्ट्रिक्ट जज तुरन्त व्यवस्था करे जिससे मीटिंग स्थगित न होने पाये। इसलिये मेरा संशोधन उचित है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह बात माननीय कमलासिंह और भीखालाल जी स्वीकार करते हैं कि रूल्स फलेक्सीबिल हों। मैं भी मानता हूं कि जिला के हेड क्वार्टर पर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। लकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जज न हो और मुंसिफ भी न हों तो ऐक्ट को इतना जकड़ नहीं देना चाहिये कि मीटिंग स्थगित न हो। विशेष परिस्थितियों में ही मीटिंग स्थगित होगी वरना स्थगित होने का प्रश्न नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ७ में मूल अधिनियम की धारा २८ में प्रस्तावित नई उपधारा (४–ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त बैठक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्थगित की जायगी और यदि उपधारा (४) में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष पूर्व से ही ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण वह उक्त बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहेगा, यदि यह स्वयं जिला न्यायाधीश है तो वह अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी को उक्त बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश देगा और यदि वह कोई दीवानी न्यायाधिकारी है तो वह तुरन्त इस आशय की लिखित सूचना जिला न्यायाधीश को देगा जो तत्काल किसी अन्य सक्षम अधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आदेश देगा ताकि बैठक स्थगित न करनी पड़े।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) को निकाल दिया जाय।

माननीय पांडेय जी ने जो तर्क माननीय भीखालाल जी के संशोधन पर दिया वह तर्क की दृष्टि से नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि कोई असाधारण परिस्थिति आ सकती है जिसमें जुडी-

[श्री राजेन्द्रसिंह]

शियल बाडी का कोई हो ही नहीं। जिले में जुर्ड शियल बाडी में ४, ५ आदमी होते हैं, किसी न किसी को उपस्थित होना चाहिए। कोई कारण नहीं कि सबके सब अनुपस्थित हों। विकास खण्ड में तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वह इंटीरियर में है लेकिन जिले के हेडक्वार्टर पर ऐसी बात नहीं हो सकती। इसलिए वह इस खण्ड को वापस ले लें।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री राजेन्द्रसिंह---

श्रीमन्, हेडक्वार्टर पर ऐसा संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जुडीशियरी पर कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी आएगी नहीं कि हेडक्वार्टर पर कोई भी न हो। इसलिए इस संशोधन को न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (३) की द्वितीय पंक्ति में "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा"

आशा है मन्त्री जी इसको मान लेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसको हम स्वीकार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ के उपखण्ड (३) की द्वितीय पंक्ति में "जो गुप्त मतदान द्वारा होगा" के स्थान पर निम्नलिखि रख दिया जाय---

"जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (४) को निकाल दिया जाय।

क्षेत्र समिति के प्रमुख के लिए तो संख्या के बल पर मन्त्री जी ने एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष पास करवा लिया। जिला परिषद् के अध्यक्ष के बारे में जरूर कहूंगा उसको दो साल तक बना कर तानाशाह न बनाया जाय। एटा के सम्बन्ध में मन्त्री जी को मालूम ही है। वहां के अध्यक्ष को किस प्रकार अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। उत्तर प्रदेश में यह केवल एक ही उदाहरण है और किसी जिले में प्रस्ताव पेश भी नहीं हुआ। माननीय मन्त्री जी इसको जिला परिषद् के हित में वहां की जो विभिन्न कार्य प्रणाली है, उस प्रजातन्त्रीय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए मेम्बरों को इस बात का अधिकार दे कि वह एक साल के बाद जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकें। तो यदि यह दो वर्ष की अवधि वापस लेकर यदि आप एक वर्ष रहने दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की अवधि २ वर्ष के लिए कर दी जाय। जहां तक प्रमुख का सम्बन्ध था, कहा कि उसके बिना काम रुक जायगा काम वहां का चल नहीं सकेगा। मैं मन्त्री जी से पहले तो यह जानना चाहता हूं कि प्रमुख काम किया करता है। खैर, इसे तो आपने पास कर दिया है। अब आपने जिला परिषद् के अध्यक्ष के लिए भी २ वर्ष का समय रख लिया है। दो वर्ष में वह कितनी बदमाशी कर सकता है, इससे कितनी बुराइयां और कितने लोगों का अहित हो सकता है। यदि कोई अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा हो तो कोई क्यों उसके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाएगा। वहां पर दलगत भावना नहीं हुआ करती है काम के हित की दृष्टि से अविश्वास के प्रस्ताव लाए जाते हैं। एक साल से दो साल का समय करने से उसे अपनी बदमाशी करने के लिए स्थायित्व मिल जायगा। इसमें कोई आपत्ति पूर्ण बात नहीं है, यदि आप मुनासिब समझें तो एक वर्ष रखें, इससे उसके ऊपर भी अंकुश रहता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि यदि हम काम खराब करेंगे तो हमारे खिलाफ एक साल में अविश्वास का प्रस्ताव आ जायगा, इसलिए वह सतर्क होकर काम करते हैं। यदि दो वर्ष की अवधि रहेगी तो वह ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा।

श्री जगन्नाथ राव—

जिला परिषद् की व्यवस्था के दारे में जो यह संशोधन मन्त्री जी लाए हैं, मैं इसके लिए उसका विरोध करता हूं कि ये जिला परिषद् के अध्यक्ष जितने निरंकुश और तानाशाह हो सकते हैं, होंगे। एक दो वर्ष की आपकी इस व्यवस्था से। वह तो केवल इस बात से भयभीत रहते हैं कि यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। लेकिन हम एक वर्ष के बजाए २ वर्ष का समय देकर उसको और मनमानी करने का अवसर देने जा रहे हैं। इन अध्यक्षों ने जिस तरह से अध्यापकों के स्तर को गिराया है तथा जिस तरह से सरस्वती के पवित्र विद्यामन्दिरों को भ्रष्ट किया है, उन सब चीजों को देखते हुए कभी भी उनको इसका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह दो वर्ष तक बने रहें। इससे अध्यक्ष, जिला परिषद् को मनमानी करने के लिए एक खुला अवसर मिल जायेगा। इस तरह से वह प्रशासन को भी बदनाम करेगा और जिले की व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसलिए जिला परिषद् के अध्यक्ष के लिए दो वर्ष का समय कतई आप न दें और इस संशोधन को निकाल दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं समझता था कि इसमें ज्यादा वादविवाद नहीं होगा, क्योंकि ब्लाक प्रमुखों के बारे में समय के विषय में हमने जो दलीलें और कारण दिये थे वे इसमें भी पूरी तरह से लागू हो जाती हैं। यदि वह कोई गड़बड़ी करता है और सदस्य उसको हटाना ही चाहें तो नियम २९ में राज्य सरकार से कोई शिकायत कर सकता है और सरकार उसकी जांच करेगी, यदि उसका समाधान हो जायगा तो ठीक है वरना हम उसे दोषी पाये जाने पर निकाल भी सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिये एक वर्ष से दो वर्ष जो किया गया है वह ठीक है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं और यह भी कहा कि क्षेत्र समिति के प्रमुख के बारे में जैसा है वैसा इसमें भी उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर किया गया है। किन्तु क्षेत्र समिति में हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ठीक दूसरा रूप जिला परिषद् का है वहां पर क्वेश्चन ऐन्सर हर बात के हो सकते हैं। जैसा कि यहां पर विधान सभा में हो सकता है तो जिस प्रकार से यहां पर आपने प्राविधान किया है एक साल का कि एक साल के बाद ही हम प्रस्ताव ला सकत ह तो वह जो विधान सभा की छोटी इकाई है इसमें भी एक साल ही होना चाहिये। हमेशा जो सरकार की कमियां होती हैं वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये से निगाह में आती हैं। यह मैं मानता हूं कि जिला परिषदों में

[श्री कमलासिंह यादव]

कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर आ सके लेकिन अपोजीशन के लिये यही एक मार्ग होता है जिससे वह अध्यक्ष के खिलाफ सारी बातों को रोशनी में ला सकता है। हम तो यहां आप की गुटबाजी रोज देख रहे हैं। आप के पक्ष का अध्यक्ष जो होगा उस को आप सीधे टेढ़े हर तरह से सपोर्ट करेंगे, इसीलिये हम चाहते हैं कि इस चीज को राज्य सरकार पर न छोड़ा जाय बल्कि वह उनके सदस्यों के हाथ में ही रहे कि यदि कोई अध्यक्ष ऐसा है जिसको अविश्वास के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है ऐसे अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का मौका होना चाहिये। अगर हर साल के लिये रहेगा तो हर साल खराबी सामने आ सकती है। हम जानते हैं कि कांग्रेस की मेजारिटी है और उनको हटाना मुश्किल है लेकिन अविश्वास के जरिये से भावनायें व्यक्त होती हैं। अपोजीशन को अपनी भावनायें व्यक्त करने के लिये मौका देना चाहिये। इसीलिये मैं चाहता हूं कि १ साल से २ साल न किया जाय बल्कि जैसे पहले का है वही रहने दिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को बड़े गौर से सुना। उसमें कोई तर्क मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी अध्यक्ष करेगा तो कम्प्लेंट आने पर राज्य सरकार अध्यक्ष को हटा सकती है। मैं बताना चाहता हूं मैं उनसे उत्तर चाहूंगा कि जिला परिषद् एटा के अध्यक्ष साल भर तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने कोई कमेटी जो महीने भर में बन जानी चाहिये थी नहीं बनाई हमने उस की शिकायत कलेक्टर तक से की। सबको लिखा आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। कलेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर से उत्तर नहीं मिला। हमने ७१ सदस्यों में से ४६ सदस्यों द्वारा उसको हटा दिया। अगर यह अधिकार न होता तो हम उसको साल भर में न हटा पाते और उससे हम लोगों का अहित होता ही रहता और सरकार के द्वारा जो रुपया जनहित में व्यय के लिये दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग होता रहता। इसलिये मैं आप से अनुरोध करूंगा कि यह सदस्यों का मौलिक अधिकार है वह उसको मिलना चाहिये और जल्दी-जल्दी मिलना चाहिये, यह मेरा निश्चित मत है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला परिषद् एक काम करने वाली इकाई है। मेरा अनुरोध है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष उसकी स्टैबिलिटी के लिये रहना चाहिये। अगर वह कोई गड़बड़ करता है और राज्य सरकार की नोटिस में वह बात लायी जाती है तो वह उसे सस्पेंड कर सकती है, रिमूव कर सकती है। यहां तो अविश्वास हर ६ महीने बाद आता है। हम उसे फेस करते हैं लेकिन यहां रहना ठीक नहीं है। इसलिये हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

धारा ३० ८—मूल अधिनियम की धारा "३०" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

प्रतिस्थापन

"३०—धारा ६ और ८ के प्रयोजनों के लिए राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास-स्थान वही समझा जायगा जो ऐसे सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की विज्ञप्ति में उल्लिखित हो।"

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की नई प्रस्तावित धारा ३० की प्रथम पंक्ति में अंक "८" के स्थान पर अंक "१८" रख दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह शाब्दिक संशोधन है। इसको मैं मंजूर करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ८ की नई प्रस्तावित धारा ३० की प्रथम पंक्ति में अंक "८" के स्थान पर अंक "१८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

धारा ३७ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, खण्ड (२) का उपखण्ड (क) निकाल दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इस खंड ९ का इसलिये विरोध करता हूं कि इसके अन्तर्गत "अपना कार्यालय रख सकता है" इसमें बारे में दिया है। क्षेत्र समिति और जिला परिषद् दोनों के लिये हेड क्वार्टर तहसील पर रख सकते हैं, जिला हेड क्वार्टर पर रख सकते हैं। अगर यह हटा दिया गया तो उस वक्त क्षेत्र समिति अपना हेड क्वार्टर तहसील पर नहीं रख सकती है। यह दिक्कत हो जायगी। मैं अपने यहां की बात कहता हूं कि वहां पर दिक्कत हो सकती है। इसके अनुसार कोई कार्यालय किसी ब्लाक का तहसील हैड क्वार्टर पर नहीं बन सकता है। अगर कोई ब्लाक अपना कार्यालय रखना चाहता है तो वह नहीं होगा यह अड़चन पैदा होगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें। मैं चाहता हूं कि कोई ला में गड़बड़ पैदा न हो इसलिए आप इसको रखें। छावनी के बारे में उपखंड (२) में जिससे रूप में यह धारा है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसके लिये राष्ट्रपति की आज्ञा-की जरूरत होगी। छावनी पर हमारा अधिकार नहीं है। वहां पर केंद्रीय सरकार का अधिकार है। छावनी के लिये कोई संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति से लाना पड़ेगा। जिस रूप में यह है उसी रूप में इसको रहने दें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूं वह नियम बना हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब हमने नियत रीति से रख दिया तो फिर ये रिडेंडेंट हो जाता है। जब हम पहले यह बात मान चुके हैं कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी तो फिर इसका मतलब नहीं रह जाता है।

[श्री बंशीधर पांडेय]

अगर क्षेत्र समिति को अधिकार दे देते हैं तो परस्पर विरोध हो जाता है। उसमें भी राज्य सरकार का प्रस्ताव नियत रीति से होगा। तो सरकार उस को देखेगी। इसकी जरूरत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

मैंने यह कहा कि इस धारा में क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को अपना कार्यालय स्थापित करने का प्राविजन है। इसके अन्दर यह दिया है कि क्षेत्र समिति या जिला परिषद् नगर-महापालिका की सीमा के अन्दर या टाउन एरिया नोटिफाइड एरिया या कन्टोनमेन्ट एरिया इसके अन्दर शामिल हो सकते हैं। अगर मंत्री जी इसको निकाल देते हैं तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि वहां पर ब्लाक हेडक्वार्टर को नगरपालिका के सीमा के अन्दर रखने की जरूरत हो चूंकि 'में' शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए यह डिस्क्रिशनरी है। इसको निकाल देने से आप को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैंने मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि शायद मंत्रीजी ने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यदि कमलासिंह जी इसे पढ़ें तो पायेंगे कि इसमें शब्द हैं "नथिंग इन दिस ऐक्ट शैल"। और चीजें अपने क्षेत्र में रख सकेंगे और इन क्षेत्रों में भी वह अपना कार्यालय स्थापित कर सकेंगे और सारे हेडक्वार्टर नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। अभी भोखालाल जी का संशोधन हमने नियमों में रखने के लिये स्वीकार किया है कि किसी क्षेत्र समिति का कार्यालय उसके क्षेत्र के बाहर स्थापित न होगा। आपका संशोधन इस प्रकार से कट जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप का संशोधन उपयुक्त नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

धारा ३९ का संशोधन

१०---मूल अधिनियम की धारा ३९ में---

(१) उपधारा (१) और (३) में, जहां-जहां भी शब्द "शिक्षा अधीक्षक", "पंचायत राज अधीक्षक" तथा "सिंचाई अधीक्षक" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "शिक्षा अधिकारी", "पंचायत राज अधिकारी" तथा "सिंचाई अधिकारी" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (२) में शब्द "अथवा जिनका नियोजन (Employment) परिषद् के संकल्प द्वारा अपेक्षित हो" तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिये जायें;

(३) उपधारा (३) में शब्द "सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत राज अधिकारी" रख दिये जायें;

(४) उपधारा (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायें, अर्थात्--

"(३-क) राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के खण्ड (४), (५) और (६) में उल्लिखित सभी या कोई पद ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, पदेन धारण किये जायेंगे;

"(३–ख) राज्य सरकार, आदेश द्वारा जिला परिषद् में अधिकारी या सेवक का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है, और––

(क) निदेश दे सकती है कि ऐसा पद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जो निर्दिष्ट किया जाय, पदेन धारण किया जायगा, या

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है, या

(ग) ऐसे पद पर भर्ती को नियमित कर सकती है; और ऐसे शर्तों को जिन पर वह पद धारण किया जायगा निर्दिष्ट कर सकती है।

(३–ग) उपधारा (३–ख) के अधीन इस प्रकार सृजित कोई पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायगा।"

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

धारा ४३ का संशोधन

११––मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्––

"(३) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए परिषद् के अधीन उपधारा (१) तथा (२) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियां––

(क) अध्यापकों की दशा में, नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा संघटित शिक्षक चुनाव समिति की परामर्श से;

(ख) अन्य दशाओं में ,धारा ४५ के अधीन संघटित चुनाव समिति के परामर्श से,

अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का यह मत हो कि, यथास्थिति ,शिक्षक चुनाव समिति या चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा।"

श्री कमलासिंह यादव––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की नयी उपधारा (३) के भाग (क) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय––

"प्रतिबन्ध यह है कि शिक्षकों का चुनाव उनकी योग्यता (merit) के आधार पर होगा जो उनके परीक्षा–प्राप्तांक के अधीन होगा।"

[श्री कमलासिंह यादव]

श्रीमन्, इस सिलसिले में केवल यह कहना है कि जैसे पोस्ट आफिस में केवल मेरिट के आधार पर सेलेक्शन होता है वही प्रथा यहां भी अपनायी जानी चाहिये। ऐसा करने से केवल चुने जाने वाले लोग ही अपना मेडिकल लायेंगे और तमाम लोग हैरानी से बच जायंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह इसलिये संभव नहीं है कि चुनाव समिति बनी हुई है और वह एप्वाइंटिंग अथारिटी नहीं है। ऐसा करने से चुनाव समिति को ही संपूर्ण अधिकार हो जायंगे और अध्यक्ष कुछ नहीं कर पायेगा और ये परस्पर धारायें विरोधी हो जायंगी।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ११ की नई उपधारा (३) के भाग (क) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि शिक्षकों का चुनाव उनकी योग्यता (merit) के आधार पर होगा जो उनके परीक्षा-प्राप्तांक के अधीन होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की प्रस्तावित उपधारा (३) के भाग (ख.) के प्रतिबन्ध की तृतीय पंक्ति में शब्द "मामले को" और "मंडल के आयुक्त" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यथास्थिति डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग अथवा"

इसमें दो तरह की चीजें हैं। शिक्षकों के संबंध मे अपील शिक्षा विभाग के पास होनी चाहिए डिप्टी डाइरेक्टर के यहां और बाकी मण्डल में आयुक्त के यहां जाना चाहिये ताकि गड़बड़ी न हो।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जिला परिषदों का स्थान बहुत बड़ा है और जब उनकी मीटिंग होती है तो वह एतराज करते हैं कमिश्नर को भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मानने में। शिक्षा निदेशक का तो स्थान नीचे दर्जे का है, तो उनको और भी एतराज होगा। इसलिए अलग-अलग आदमियों को रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ११ की प्रस्तावित उपधारा (३) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की तृतीय पंक्ति में शब्द "मामले को" और "मंडल के आयुक्त" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यथास्थिति डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

१२--मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

धारा ४७ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"४७--(१) धारा ४३, ४४ और ४६ में किसी बात के होते हुए भी, धारा ४३ की उपधारा (१) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां धारा ४३ में या धारा ४४ के अधीन बनाय गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श किये बिना की जा सकती है, किन्तु उपधारा (२) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किये बिना एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी नियुक्तियां, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी परिषद् हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जारी रह सकती हैं।"

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा "४७" के स्थान पर निम्नलिखित धारा "४७" रख दी जाय--

"४७--धारा ४३, ४४ और ४६ में किसी बात के होते हुये भी धारा ४३ की उपधारा (१) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां धारा ४३ में या धारा ४४ के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से ही की जा सकती ह अन्यथा नहीं।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां केवल विशेष परिस्थितियों में जिला परिषद् के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव पर ही की जायगी जो एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए न होगा।"

इसमें व्यवस्था यह है कि धारा ४३, ४४ और ४६ वह जिला परिषद् में जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनके चुनाव के सम्बन्ध में है। जहां तक नियुक्ति का सम्बन्ध है कि दो तिहाई के बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव हो जाय तो कार्याधिकारी या अधिकारी की नियुक्ति हो जाय। इसमें प्रतिबन्ध यह है कि विशेष परिस्थितियों और दो तिहाई का बहुमत, यह रहेगा तो कोई गड़बड़ी न हो सकेगी और सर्वसम्मति से ऐसे प्रस्ताव आ सकेंगे।

दूसरी चीज यह है कि आयुक्त के परामर्श से ही ऐसी चीज होगी। क्योंकि अगर डिस्क्रिशनरी हो जायगा तो सरकार जिसको चाहेगी भर देगी। हमारे जिले में तो एक क्षेत्र मंत्री हरगोविन्दसिंह जी ने ऐसा बना दिया है कि जब वोट देने का वक्त आता है तो आदमी घसीट जाते हैं वहां से छिपा दिये जाते हैं। तो जहां पर इस सदन क गृह मंत्री ऐसा हथियार इस्तमाल कर रहे हैं तो वहां क्या हालत होगी? इसलिये मैं चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति जरूर ली जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, धारा ४३, ४४ और ४६ जो है वह तो केवल ३ अधिकारियों के लिये जो अभियन्ता, कर अधिकारी तथा सेक्रेटरी हैं उनके लिये है। इसमें यह है कि आयोग की बिना सिफारिश के १ साल तक वे रख सकते हैं, और विशेष परिस्थितियों में स्टट गवर्नमेंट दो साल

[श्री बंशीधर पांडेय]

तक रख सकती है। यह टेम्पोरेरी पावर्स हैं। अब तो इनकी सर्विसेज के रूल्स आदि भी बन गये हैं, उनको अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इन रूल्स के बन जाने के बाद, सेन्ट्रल कैडर बन जाने से वह अपने आप खत्म हो जायेगा। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

इनके नियम श्रीमन्, आज तक नहीं बने हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह तो तैयार हो चुके हैं, ला डिपार्टमेंट में वेटिंग के लिये गये हुये हैं। जैसे ही वहां से आयेंगे, हम उनका प्रकाशन कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा "४७" के स्थान पर निम्नलिखित धारा "४७" रख दी जाय :

"४७--धारा ४३, ४४ और ४६ में किसी बात के होते हुये भी धारा ४३ की उपधारा (१) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां धारा ४३ में या धारा ४४ के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से ही की जा सकती हैं अन्यथा नहीं :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां केवल विशेष परिस्थितियों में जिला परिषद् के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव पर ही की जायगी जो एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

धारा ५५ का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा ५५ में शब्द परिषद् या क्षेत्र समिति में "नियोजित प्रत्येक अधिकारी या सेवक" के स्थान पर "शब्द तथा कामा" परिषद् या क्षेत्र समिति के प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख, सदस्य अधिकारी या सेवक" रख दिये जायं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ की तीसरी पंक्ति का शब्द "सदस्य" निकाल दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं यह चाहूंगा कि जो ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं उनको भी निकाल दिया जाय। अगर कोई अध्यक्ष है तो औरत उसके साथ ही रहेगी। पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते यह जरूरी है। वह असेम्बली और पार्लियामेंट का मम्बर होना चाहेगा। तो

यह उसके लिये डिसक्वालीफिकेशन बन जायेगी। इस अनर्हता को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष को भी निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १३ की तीसरी पंक्ति का शब्द "सदस्य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४ तथा १५

धारा २७४ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा २७४ की उपधारा (१), में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिनमें आस्थान जमींदारी विनाश से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन राज्य में निहित न हुये हों, उक्त ऐक्टों के उपबन्ध, उस सीमा तक, जहां तक उनका सम्बन्ध स्थानिक कर आरोपित तथा वसूल करने से है, इस प्रकार निहित होने के दिनांक तक प्रचलित रहे समझे जायेंगे।"

निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६५

१५—(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम १५ जुलाई, १९६५ को प्रारम्भ हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १४ व १५ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि कि खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

*श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक के विवाद को शुरू से ही सुनता रहा और आज भी मंत्री जी से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया एक संशोधन पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था कि यह दो साल वाली जो अवधि है इसको हटा करके एक साल कर दिया जाय। मैंने ही नहीं, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने विपक्ष के सदस्यों ने सभी ने कहा लेकिन मंत्री जी ने एक तानाशाही और हठधर्मी बहुमत के बल पर इस संशोधन को नहीं माना। यहां तक नहीं श्रीमन्, इस सारे विधेयक का विरोध इसलिये कर देना है चूंकि हम समझ रहे थे, सब आशा लगाये बैठे थे कि यह संशोधन विधेयक आ रहा है। जिला परिषद् का क्षेत्र समिति का भी संशोधन आयेगा जो जनतंत्रीय प्रणाली और समाजवाद की ओर ठीक तरह से चले और जो अधिकार है नीचे की समितियों में जिला परिषद् के विकास समिति में उनको अधिकार मिल जाय। लेकिन यह विधेयक एक तानाशाही विधेयक बन रहा है। तानाशाही विधेयक मंत्री जी हमारे सामने लाये हैं। यहीं तक नहीं, मैं अपने जिले की बात बताता हूं। मंत्री जी ने जो विकास खंडों को जीप दे रक्खी है, जिला परिषद् को दे रक्खी है श्रीमन्, आपको बताऊं उनका इतना दुरुपयोग होता है कि वह सरकारी काम में नहीं चल करके कांग्रेस के काम में चलाई जाती है। मेरे क्षेत्र के नन्दगांव विकास क्षेत्र की जीप अभी कोसी में पकड़ी गई उसका फोटो लिया गया। वह सिनेमा दिखाने के लिये रोजाना आती थी। बी० डी० ओ० की औरत-बच्चों को ले करके, उसका फोटो लिया गया। वह फोटो ले करके मंत्री जी के पास प्रार्थना-पत्र भेजे गये और उन प्रार्थना-पत्रों की तहकीकात की गई। डेवलपमेंट कमिश्नर गये तो उनको वह जीप नहीं मिली। वह जीप राजस्थान के सरहद के क्षेत्र में मेहरांव गांव में कांग्रेस सदस्य बनाती मिली। (विरोधी पक्ष की ओर से शेम-शेम की ध्वनि) सरकार को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य बनाते हुये टी० आर० सिंह नन्दगांव ब्लाक के प्रमुख से मिले। आपने दो साल को इसलिये रक्खा है कि कांग्रेस के ब्लाक प्रमुख अमर रहें और वे पांच साल में न हटे। मैं कहां तक बताऊं। मैं मजबूर हो कर इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

काफी हो गया। अभी सदन को दो घंटा और बैठना है।

श्री लखीसिंह—

पांच मिनट और दे दीजिये। मंत्री जी ने उसमें क्या किया? बी० डी० ओ० को बदल दिया जब कि उसको कोई सजा देनी चाहिये थी। छाता क्षेत्र से हटाकर उसको मांट क्षेत्र में रख दिया गया। उसको बलिया या देवरिया में भेजा जाना चाहिये था तब उसको मालूम होता कि सरकारी चीज का दुरुपयोग करने का क्या फल होता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लखीसिंह--

अगर हमारे यहां से बी० डी० ओ० को नहीं हटाया गया तो विकास खंड नहीं विनाश खंड हो जायेंगे। खंडों में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। जो कुएं की तकावी हजार रुपया दी जाती है उसमें से केवल ७५० ही बड़ी मुश्किल से किसान को मिल पाती है। २५० रु० बी० डी० ओ० खा जाते हैं। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे यहां के बी० डी० ओ० का तबादला कर दिया है। लेकिन सजा न देकर तबादला ही किया गया है। उसने ५ रुपया बोरा सीमेंट का ब्लैक किया था। यह चीज मैंने कई दफा मंत्री जी और पांडेय जी को बतायी थी। इसलिये मेरा निवेदन है और मैं मंत्री जी को आखिरी चेतावनी देता हूं कि माननीय मंत्री जी ठंढे दिल से इस पर विचार करें और दो साल वाली चीज को हटाकर एक साल वाली ही रहने दें। ऐसा करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर के सूती मिल मजदूरों में निरन्तर बढ़ती हुई अशान्ति से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

अधिष्ठाता महोदय, आज कांग्रेस पार्टी की एक अनआफीशियल मीटिंग है ७ बजे, बी० ब्लाक में, पाकिस्तान से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये। मैं माननीय रक्षपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक है। अगर सदस्यों का ऐसा विचार है और आप यह आदेश देते हैं कि इसको कल ले लिया जाय तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, अगर इस पर आज एक घंटे का विवाद स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि कल अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार है तो उचित यह होगा कि एक घंटे का समय आज ले लें और एक घंटे का समय इस पर आप कल ले लें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, नियमों में २ घंटे निश्चित् है।

श्री रक्षपालसिंह--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा आप उचित समझें, करें।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप लोगों को एतराज है तो मैं सदन की राय ले लूं।

श्री बनारसीदास--

मेरे विचार में एक घंटा आज ले लिया जाय और एक घंटा कल हो जाय।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे औद्योगिक केन्द्र कानपुर के अन्दर जो अपना श्रमिक वर्ग है, जो कि सूती मिलों में कार्य करता है अर्थात् वहां के ११ मिलों में कार्य करने वाले ४५,००० जो श्रमिक हैं, उनके अन्दर जो संकट उत्पन्न है, जो भी कठिनाइयां, परेशानियां पैदा हो गई हैं, उनके सम्बन्ध में यहां पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है।

श्रीमन्, जहां तक कानपुर की सूती मिलों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं जो सारे मजदूरों से सम्बन्धित है, जैसे सम्पूर्णानन्द एवार्ड, बोनस और ग्रेचुएटी का सम्बन्ध है, उनके बारे में कुछ बातें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि ५० लाख के करीब अब भी श्रमिकों को यह धन देना बाकी है। इसके अलावा इन श्रमिकों में आधे से कुछ अधिक स्थायी हैं और लगभग २५ प्रतिशत ऐसे श्रमिक हैं जो अस्थायी हैं। उनके लिये भी एक विवाद है। सम्पूर्णानन्द एवार्ड, बोनस और ग्रुचेएटी के बारे में जो बातें हैं, वह भी अपनी जगह पर एक स्थान रखती हैं। उसी के कारण कानपुर के श्रमिकों में इतना असंतोष व्याप्त है। मिल मालिकों की एक बैठक हुई। उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार से कहा है कि इस वर्ष जो ३,५७,७५,००० रु० की कीमत का कपड़ा मिलों में पड़ा हुआ है, वह बिक नहीं रहा है। उनका कहना है कि उनके सामने एक आर्थिक संकट है। इस वर्तमान संकट के बारे में हमारी केन्द्रीय सरकार की नीतियां भी हैं और उन नीतियों के कारण जो बैंकों से एडवान्स की बात उन पर लागू होती है और इस कारण से मिल मालिकों ने मिलों को बन्द करने की बात कही है। यह तर्क कहां तक ठीक है, इस विवाद में मैं जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन आज इस औद्योगिक केन्द्र, कानपुर नगर में हजारों श्रमिकों का प्रश्न है। यह प्रश्न एक मौलिक प्रश्न है। आज जो बातें, श्रीमन्, कही गयी है, कि कहीं पर नोटिस दिया गया, कहीं पर कुछ और किया यह हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। वह यह है कि वहां ६,५०० मजदूर एक दिन से नहीं आज २८ दिन से हड़ताल कर रहा है और वह बिलकुल बेकार हैं और कोई पैसा उनको नहीं मिल रहा है। साढ़े ६ हजार मजदूरों के परिवार के सामने घोर संकट उपस्थित हो रहा है और यह एक ऐसी स्थिति उपस्थित हो गयी है जिससे कि इस औद्योगिक नगर में विस्फोटक हो सकता है। ४०-४२ लाख रुपये की क्षति प्रोडक्शन न होने से हुई। ५ लाख रुपये की क्षति मजदूरों के वेतन से हुई और कई लाख रुपये का नुकसान सरकार को हुआ जो उसे बिक्री-कर के रूप में मिलता। कानपुर में श्रम क्षेत्र में काम करने वाले जितने कार्यकर्त्ता हैं, जितनी यूनियनें हैं सब एक राय की हैं और सबके प्रतिनिधि सरकार से मिले हैं और सबने एक स्वर से मांग की है कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये और साढे ६ हजार मजदूरों के सामने जो बेकार पड़े हुये हैं और जिनके सामने जो घोर संकट उपस्थित हो गया है उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

परसों ३ तारीख को माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि मिल मालिकों के सामने आर्थिक संकट उपस्थित हो रहा है यह भी एक विचारणीय बात है। उत्पादन कम नहीं हुआ है। वास्तव में हिसाब गोलमाल है और जो आर्थिक घाटा दिखाया गया है उस सबके लिये मजदूरों को परेशान किया जाता है जो बात ठीक नहीं है। वक्तव्य में बताया गया कि १३ तारीख को नोटिस लगायी गयी। २६ तारीख को दोनों पक्षों में बातचीत का अवसर उपस्थित हुआ। मैंने श्रमिक क्षेत्र तथा कांग्रेस क्षेत्र में कार्य करने वालों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, समाजवादी मजदूर सभा को यह मालूम हुआ कि कोई भी लिखित नोटिस नहीं दिया गया और यह कहा जाता है कि यह झूठ है। बाद में १४७ लोगों ने लिख कर दिया कि यह मामला किसी पंच निर्णय के लिये भेज दिया जाय और सरकार को स्वयं उसे भेजने का अधिकार है लेकिन सरकार स्वयं उसमें बाधक बन रही है। मजदूरों का साथ न देकर सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मिल मालिकों का साथ दे रही है। यह भी पता चला है कि हड़ताल न हुई होती तो भी जो मिल है उसे मिल मालिकों को बंद कर देनी पड़ती और आधा पैसा सरकार को मुआवजे के रूप में देना पड़ता।

मिल मालिकों को और मजदूरों की हड़ताल जिस ढंग से की गयी वह भी एक विचित्र कहानी है। सरकार को मिल मालिकों को और मजदूरों को मुआवजे के रूप में पैसा न देना पड़े इसलिये यह स्थिति उत्पन्न की गयी है वर्ना इसका कोई औचित्य नहीं है। पंच निर्णय में भेज देने की मजदूरों की मांग को नहीं माना जा रहा है। मसला इतना गम्भीर है कि इसे हर स्थिति में सुलझाना चाहिये। श्रीमन्, सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस में जल्दी करे और जितनी जल्दी हो सके मजदूरों के लिये वेज कंट्रोल बैठावें क्योंकि मजदूरों को तथा उनके परिवार वालों को अधिक दिनों तक भुखमरी की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और बहुत समय तक गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ सितम्बर, १९६५।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ह'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

सेंसस मैन्युअल के अनुसार अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची नाम अथवा उपजातियां

क्रम-संख्या	जाति	उपजातियां अथवा पर्यायवाची नाम	जिला
१	२		३
१	चमार, धुसिया, झुसिया या जाटव।	१--गहरवार	जालौन।
		२--अहेरवार	झांसी, हमीरपुर।
		३--जटिया	मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा मैनपुरी।
		४--कुरील	मैनपुरी, फतेहपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली तथा प्रतापगढ़।
		५--रैदास	मुरादाबाद, बदायूं, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, उन्नाव लखनऊ, रायबरेली, गोंडा प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर।
		६--डोहर	शाहजहांपुर।
		७--रविदास	फतेहपुर, हरदोई, लखनऊ, फैजाबाद, बलिया तथा मिर्जापुर।
		८--चमकटा	प्रतापगढ़।
		९--भगत चर्मकार	मिर्जापुर।
		१०--जैसवार	लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, तथा मिर्जापुर।
		११--रैया	मेरठ।
		१२--डोहरे	उन्नाव।
		१३--धुसियार	मुरादाबाद।
		१४--पिपिल कलम, निम तथा डायरे।	मैनपुरी।
		१५--मोची	कानपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जाति	उपजातियां अथवा पर्यायवाची नाम	जिला
१		२	३
		१६—उतरहा तथा दखिनहा ।	देवरिया।
२	धोबी ..	१—बरेठा	मुरादाबाद, पीलीभीत, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, उन्नाव, गोंडा, जौनपुर तथा मिर्जापुर।
		२—बिरहठा	बुलन्दशहर ।
		३—रजक	झांसी, मिर्जापुर ।
३	पासी अथवा तारमाली	१—घेवा	सहारनपुर ।
		२—राजपासी	शाहजहांपुर ।
		३—त्रिसूलिगा कैधबास, पहारी मार ।	मिर्जापुर
		४—कैथकास पाली	जौनपुर ।
		५—पंधारी	फतेहपुर ।
		६—त्रिमूली	गोंडा ।
		७—दुबरिया	उन्नाव ।
		८—राउत	सीतापुर ।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर]

फतेहपुर में सन् १९६४ के प्रारम्भ में रद्द की गई दूकानों की सूची

क्रम-संख्या	रद्द की गई दूकान का नाम	आरोप-कारण	तिथि
१	सर्वश्री राम गोपाल लहन	जिला खाद्य सलाहकार समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव पर	१७-६-६४
२	,, राम सजीवन गुप्त देवलान		
३	,, श्रीप्रसाद मकनपुर		
४	,, राम प्यारे वैश्य टेनी		
५	,, आदित्य प्रकाश गुप्ता		
६	,, सतीश कुमार सौलराम, खागा		
७	,, ज्ञान प्रकाश खागा		
८	,, ओंकार प्रसाद खागा		
९	क्षेत्रीय सहकारी समिति, हसवा	विभिन्न अनियमिततायें	२७-८-६४
१०	श्री राम स्वरूप सेमरईया		१५-९-६४
११	,, राजा राम दतौली		११-१०-६४
१२	,, कल्लू सिंह कोडार		२१-९-६४
१३	,, राम दुलारे देलियानी		६-१०-६४
१४	,, दशन सिंह, मंझनपुर		१९-९-६४
१५	,, रणधीर सिंह, शाहनगर		२२-९-६४
१६	,, रघुनाथ सिंह सहाय, परसिद्धपुर		१९-९-६४
१७	,, बाबूलाल, सिठौरा		२८-८-६४
१८	,, किशोर चन्द्र गुप्त		११-९-६४
१९	,, त्रिलोकी नाथ, मोहम्मदपुर गौती		१७-१-६४
२०	,, मोहम्मद रशीद, हसनपुर		१०-८-६४
२१	,, चन्द्रभान द्विवेदी, केवतमई		तिथि उपलब्ध की जा रही है।
२२	,, कल्लू सिंह सरवल	बनावटी बिक्री एवं अनियमिततायें	२५-८-६४
२३	,, शिवदीन कोडार		२६-८-६४
२४	,, राम नरेश चक, वरारी		२३-११-६४
२५	कोआपरेटिव सोसाइटी, हुसेनगंज		१४-८-६४
२६	श्री लक्ष्मण प्रसाद जाकर गंज		१६-७-६४
२७	सवश्री श्यामलाल मुतोर	१४-१-६४ को मंजूर हुई परन्तु कार्य नहीं किया इसके स्थान पर ७-१०-६४ को दूसरे को दे दी गई	७-१०-६४
२८	यदुनाथ कोडार	अस्थायी रूप से शक्कर के वितरण का काम दिया गया।	१३-८-६४
२९	,, राम किशन अग्रवाल	वितरण कार्य सुचारु रूप से न किया जाना	२७-९-६४
३०	,, संगम लाल		३-१०-६४
३१	,, पहाड़ी नाथ गोस्वामी, किशनपुर	जिला खाद्य सलाहकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण	१६-८-६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ और ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर]

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद	वेतन-क्रम	सेवा से मुक्त किये जाने के समय वास्तविक वेतन (महंगाई एवं अन्य भत्ते छोड़कर)	सेवा से मुक्त किये जाने का कारण
१	२	३	४	५	६
				रु०	
१	कुमोद चन्द्र	क्लर्क	५०-२-६०-ई-बी-४-१००	५०	(१) कार्य संतोषजनक नहीं (बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।)
२	विद्या सागर	क्लर्क	,,	५०	,,
३	रमा शंकर	क्लर्क	,,	५०	,,
४	विद्या खत्री	क्लर्क	,,	५०	(१) कार्य अच्छा नहीं। (२) अनुशासन हीनता (३) बिला अनुमति परीक्षा में सम्मिलित।
५	शिव कुमारी	अध्यापिका	५०	५०	(१) अस्थाई (२) अन्ट्रेंड (३) अनुभवहीन (बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी)
६	राष्ट्र कुमारी	,,	४०रु०यानी जे० टी० सी० के वेतन-क्रम का २/३।	४०	(१) इनकी अस्थाई नियुक्ति १४-५-६५ तक के लिए थी व १४-५-६५ से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।
७	पुष्पा सक्सेना	,,	ट्रेंड ग्रेजुएट के वेतन क्रम का २/३।	८०	(१) अस्थायी नियुक्ति थी (२) बिला आज्ञा परीक्षा में सम्मिलित हुई। (३) अनुशासन हीनता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	पद	वेतन-क्रम	सेवा से मुक्त किये जाने के समय वास्तविक वेतन (महंगाई एवं अन्य भत्ते छोड़कर)	सेवा से मुक्त किये जाने का कारण
१	२	३	४	५	६
				रु०	
८	उर्वाधन	स० अ० बालक उ० मा० वि० औरैया ।	१२०-६-३३० ६० ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रे०	१२०	(१) अनुशासन हीनता । (२) बोर्ड के माल व धन को उठाने में अनियमित प्र०आ० को सहयोग । (३) बच्चों का अनियमित प्रवेश किया । (४) बच्चों से फरनीचर तुड़वाना । (५) बिना आज्ञा अधिकारियों से मिलना ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर]

१—श्री हिम्मत सिंह, द्वारा जैहिन्द जनरल एन्ड रेडियो स्टोर, मोहन रोड, देवरिया		१ वैगन
२—श्री रामछबीला मिश्रा, एडवोकेट, देवरिया	..	१ वैगन
३—श्री राजेंद्र मणि त्रिपाठी, द्वारा श्री लक्ष्मीकांत मणि त्रिपाठी, देवरिया रामनाथ, देवरिया	..	१ वैगन
४—श्री आर० बी० चौधरी, असिस्टेंट एकाउन्ट आफीसर इलाहाबाद ।	..	१ वैगन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

No. 539-E/XI-A-402-1952

Sri L. K. GUPTA,
Sahayak Sachiv,
Uttar Pradesh Shasan.

The District Magistrate,
Moradabad.

Dated Lucknow, July 20, 1961.

: Appeal of Sri Jagdish Saran Porav, ex-employee, Municipal Board, Moradabad

---

h reference to the correspondence resting with your letter no. 1250/62 (M. C.), dated August 18, 1960, on the subject noted above, rected to say that the appointment of Sri Jagdish Saran Porav as k in the Board on a salary of Rs. 75 p.m. was made by the President Board who was, according to the provisions of section 75 of the unicipalities Act, not the competent appointing authority but who less had a hand in appointment as the appointment could be made Executive Officer with the approval of the President. The Executive acquisced in the appointment and thus the appointment cannot be be altogether illegal. Further, since Sri Porav's salary was Rs. 75 the date of he termination of his services, he could, according to visions of section 76 of the said Act, be punished and dismissed by cutive Officer and not by the President. The order, dated Macrh 4, the President, Municipal Board, Moradabad terminating the ser- Sri Porav is thus completely without jurisdiction and against law. vernor has, therefore, been pleased to set aside the said order of the it and has ordered that Sri Porav be reinstated on his original post d he has not yet crossed the age of retirement. Sri Porav shall allowed full pay and allowances from the date of termination of his o the date of his reinstatement or till the date he would have remained ervice of the Board had he not crossed the age of retirement, as the y be. In case Sri Porav has not yet crossed the age of retirement, n for the competent punishing authority to restrat disciplinary pro- s against him strictly in accordance with the provisions of law. for the payment of salary to Sri Porav for the period from the date suspension till the date of termintion of his services will be passed vernment after fresh proceedings against him, if any, have been d by the competent punishing authority.

The Administrator, Municipal Board, Moradabad and Sri Jagdish Porav may please be informed accordingly.

Yours faithfully,
L. K. GUPTA,
Sahayak Sahiv

—2spare copies.

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

पंचायत अदालत सेंटर	ग्राम सभा	पंचायत अदालत सेंटर	ग्राम सभा
(१) खिरिया	१—खिरिया	(२) काली जगदीशपुर	१—काली जगदीशपुर
	२—मोलनापुर		२—कलेन्द हरदो
	३—चकमहुआ उर्फ मोलनापुर		३—जोदरा
	४—सनिचरा		४—उसरौला
	५—कड़सा		५—जिगना
	६—झकही चकवेल्ड		६—पर्वेरपार
	७—पिड़ारी		७—बरौली
	८—नोनसरा		८—लोनमार
	९—लखनोहरा		९—सतहरा
	१०—कोडरा भुआलपट्टी		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

तालिका

वार्डर का नाम	मुअत्तिली की अवधि	आरोप
१—श्री ओम शंकर	२६-२-६४ से ८-५-६४ तक	(१) २५/२६-२-६४ के रात की ड्यूटी पर असावधान पाये गये । (२) मेन वाल (main wall) की पांच टिक्की (dise) को समय से पूर्व गट पर भेज दिया । (३) ठीक वर्दी में नहीं थे ।
२—श्री भगवान रूप	२६-२-६४ से ६-५-६४ तक	(१) अधीक्षक ने अपने गश्त में उनको मेन वाल (main wall) की ड्यूटी पर नहीं पाया । (२) मेन वाल की पांच टिक्की (dise) को एक साथ फाटक पर भेज दिया ।
३—श्री धर्मवीर सिंह	७-४-६४ से २८-८-६४ तक	तलाशी में एक देशी तमन्चा (Country made Pistal) इनके बिस्तर में पाया गया ।
४—श्री फूल सिंह	५-५-६४ से अभी तक (आनुशासिक कार्यवाही अभी चल रही है)	डिप्टी जेलर श्री ए० एन० अन्सारी को जूता मारा ।
५—श्री लक्ष्मी चन्द	२६-२-६४ से ६-५-६४ तक	(१) अधीक्षक ने अपने अचानक गश्त में इनको ड्यूटी पर न पाया । (२) समय से पूर्व गेट पर पांच टिक्की (Dise) जमा कर दिया ।
६—श्री अभयसिंह	१३-७-६४ से २८-१०-६४ तक	(१) बैरक नं० १२/१३ में १४२ लड़के कैदियों को प्रातःकाल में चने का नाश्ता नहीं दिया । (२) १३-७-६४ को कच्चा चना नाश्ते में दिया । (३) १८-७-६४ को हवालाती महेश नाथ तथा रमेश को शाम कच्ची रोटियां दीं ।
७—श्री रामेश्वर दयाल	२१-८-६४ से २-८-६५ तक	(१) इनक्लोजर १२/१४, जिसमें इनकी ड्यूटी थी में एक हवालाती मोहम्मद

वार्डर का नाम	मुअत्तिली की अवधि	आरोप
	और २-८-६५ को अधीक्षक, केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ की आज्ञा के अनुसार २१-८-६४ से बरखास्त कर दिया गया।	इशाक पर धार वाले शस्त्र से हमला (attack) किया। इस से यह स्पष्ट है कि इन्होंने जेल मैनुअल के पैराग्राफ ११९४ का पालन नहीं किया। जख्मी को फौरन अस्पताल नहीं भेजा। (२) २०-८-६४ को जब वह जेल से बाहर गये तो गेट बुक में इसका इन्दराज नहीं किया। (३) २०-८-६४ को जब इनको बयान देने के लिए बुलाया गया तो नहीं आए और बीमारी का बहाना कर दिया जब कि ए०एम० ओ० (Assistant medical Officers) ने बताया कि वह ठीक थे। (४) जेल मैनुअल के पैराग्राफ ११२९ के अनुसार जेल क्वाटर खाली करने को कहा गया तो क्वार्टर नहीं खाली किया।
८—श्री राधे श्याम	४-९-६४ से २२-१२-६४ तक	बगैर छुट्टी लिए ४-९-६४ से ९-९-६४ तक अनुपस्थित रहे।
९—श्री बाबू राम तिवारी	१४-४-६५ से ७-५-६५ तक	एक हवालाती लड़के को शराब दी।
१०—श्री चन्द्र पाल	२९-७-६५ से अभी तक	इनकी ड्यूटी में बैरक में कैदी जुआ खेल रहे थे और उनकी तलाशी लेने पर चरस गांजा, अफीम तथा रुपये निकले।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में १० कुक्कुट फार्म तथा २१ कुक्कुट विकास केंद्र थे। इन फार्मों तथा केंद्रों पर ५,६७० पक्षी थे। इस योजनाकाल के अन्त में प्रदेश में १० कुक्कुट फार्म तथा ४६ कुक्कुट विकास केंद्र हो जायं। जिन पर लगभग ३१ हजार पक्षी रहेंगे।

पिछले ३ वर्षों में इन फार्मों तथा केंद्रों पर ७,४३,५९२ एक दिवसीय चूजे, २,०३,८९५ दो माह की पक्षियां तथा ३९,५०,००७ अंडे पैदा किये गये थे। इस वर्ष विभिन्न योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा वितरण का लक्ष्य निम्नलिखित है :—

पक्षियों की संख्या	..	३१,५००
एक दिवसीय चूजे	..	२३,२४,५००
दो माह की पक्षियां	..	४,२०,९४८
अन्डे	..	३४,६५,०००

इस वर्ष ७,७०,००० रु० कुक्कुट फार्म खोलने के लिए ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया जायगा जबकि पिछले वर्ष ५,५५,४७४ रु० वितरित किया गया था।

लागत दरों पर संतुलित कुक्कुट आहार प्रदेश के लगभग समस्त जिलों में वितरित किये जाते हैं जो कुक्कुट फार्मों तथा कुक्कुट विकास केंद्रों पर तैयार किया जाता है इस वर्ष २,१२,५०० रु० का कुक्कुट आहार बनाने की व्यवस्था है।

इस वर्ष विश्व खाद्य योजनाओं के अन्तर्गत २,००० टन मक्का प्राप्त होगा इसके मिश्रण से १०,००० टन संतुलित आहार तैयार करके लागत दर पर कानपुर तथा लखनऊ के जिलों में दो वर्षों में वितरण किया जायगा।

विकास से फास्टरमदर (सेनी) पर ५० प्रतिशत के अनुसार ५० रु० प्रति सेनी अनुदान दिया जाता है इस वर्ष ४७६ सेनी पर अनुदान दिया जायगा।

गत ३ वर्षों में ४,५६० पालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ५०१ को इस वर्ष प्रशिक्षित किया जायगा।

इस के अतिरिक्त ३ माह की ट्रेनिंग राजकीय कुक्कुट फार्म, चक-गंजरिया पर राजकीय कर्मचारियों तथा कुक्कुट पालकों को दी जाती है

विशेष योजनाएं

(क) क्रैश प्रोग्राम—

सघन कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष बरेली तथा मेरठ क्षेत्र पूर्णरूपेण स्थापित हुये थे। जैसा कि लखनऊ, आगरा तथा कानपुर में स्थापित है। इन क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र पर ३०० मुर्गी पालकों को शिक्षा दी जायगी और प्रत्येक को ३०० चूजे देकर १०० पक्षियों का फार्म स्थापित कराया जायगा।

(२) ५ कुक्कुट फार्मों का विस्तार किया जायेगा।

(३) संतुलित कुक्कुट आहार का उत्पादन तथा लागत दर पर वितरण किया जायेगा।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बाबूगढ़ फार्म पर कुक्कुट आहार बनाया जायेगा तथा लागत दर पर पालकों को वितरित किया जायेगा। यह कार्यक्रम विशेषतया मेरठ, सहारनपुर तथा देहरादन जिलों के लिए है इस योजना के अन्तर्गत दो हजार टन मक्का बिना मूल्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्राप्त हुआ है।

चार पूर्वी जिलों के कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ४५ हजार एक दिवसीय बच्चे तथा २० हजार दो माह के पक्षी वितरित किये जायेंगे। ३०० कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त २ सहकारी यूनियन तथा ६० सहकारी समितियां का संगठन किया जाएगा जो कुक्कुट एवं अन्डे का क्रय-विक्रय करेगी। पूर्वी जिलों की मांग को पूरा करने के लिए इस वर्ष बलिया जिले में एक कुक्कुट केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

तालिका

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
१९६३–६४	२०,२८,३३९	१९,२९,४५७
१९६४–६५	२२,२४,३३६	२३,८३,४५८
१–४–६५ से	३,९३,२०४	५,९१,४३१
१५–७–६५ तक		

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

प्रार्थियों के नाम	सेवा योजना का नाम जहां से अभ्यर्थी भेजे गये		पद का नाम जिसके लिये चुने गये	अन्य विवरण
	नाम	पद		
१—श्री शिवा शिव शुक्ला, मार्फत फारेस्टर रेंज आफीसर मानिकपुर, जिला बांदा।	इलाहाबाद	फारेस्टर	फारेस्टर	
२—श्री जितेंद्रप्रताप नारायन मल्ल, रेंज क्लर्क। मार्फत उप-अरण्यपाल, सोन बन खंड मिर्जापुर।	..	..	,,	विभागीय अभ्यर्थी के रूप में संयुक्त प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए।
३—श्री चिन्तामणि तिवारी, वन जन्तु रक्षक मार्फत सहायक वन जन्तु प्रतिपालक सोन बन खंड, मिर्जापुर।	..	..	,,	,,
४—श्री श्रीनाथ पांडेय, फारेस्ट गार्ड, मार्फत उप-अरण्यपाल, सोन वन खंड, मिर्जापुर।	..	..	,,	,,
५—श्री अख्तर हुसेन, सहायक लिपिक, डाइरेक्शन डिवीजन, इलाहाबाद।	..	..	,,	,,
६—श्री सीताराम यादव मार्फत श्री रामअधार राम, गांव तथा पोस्ट बड़ागांव, जिला आजमगढ़।	आजमगढ़	फारेस्टर	,,	..
७—श्री रवींद्रनाथसिंह, वन्य जन्तु रक्षक, सोन वन खंड मिर्जापुर	..	..	रेंज क्लर्क	विभागीय अभ्यर्थी के रूप में संयुक्त प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए

विधान सभा प्रदेश

प्रार्थियों के नाम	सेवा योजना का नाम जहां से अभ्यार्थी भेजे गये		पद का नाम जिसके लिये चुने गये	अन्य विवरण
	नाम	पद		
८—श्री इन्द्रजीतसिंह इक्सपोर्ट मोहर्रिर, बांदा वन खंड, बांदा।	..	..	,,	,,
९—श्री विजय प्रकाश मिश्र, गांव भीकमपुर, पो० ओ० भवरनाथ, जिला आजमगढ़	आजमगढ़	फारेस्टर	सहायक लिपिक	..
१०—श्री अद्या शंकर मिश्रा, मार्फत श्री रामनारायन पांडेय, एडवोकेट, नं० १ कोटा पार्चा, इलाहाबाद	इलाहाबाद	सहायक लिपिक	,,	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

उन अधिकारियों के नाम जो तीन साल से पांच साल तक एक ही सेंट्रल जेल पर हैं।

अधिकारी का नाम तथा पद	सेंट्रल जेल का नाम	टिप्पणी
१—डा० ए० बी० मुकन्द, अधीक्षक	आदर्श कारागार, लखनऊ	
२—श्री इम्तियाज अहमद सिद्दीकी, जेलर	आदर्श कारागार, लखनऊ	
३—श्री बी० सी० जोशी, अधीक्षक	सेंट्रल जेल, आगरा	
४—श्री हुसेन अली, उप-अधीक्षक	सेंट्रल जेल, आगरा	इनके तबादले के आदेश हो चुके हैं।
५—श्री सी० एस० त्यागी, जेलर	सेंट्रल जेल, आगरा	
६—श्री सिया राम मैत्रेय, अधीक्षक	सेंट्रल जेल, वाराणसी	
७—श्री उदय प्रताप सिंह, उप-जेलर	सेंट्रल जेल, वाराणसी	
८—डा० एस० के० सूरी, अधीक्षक	सेंट्रल जेल, नैनी	

सेंट्रल जेलों के समस्त अधीक्षकों का नाम तथा उनकी तैनाती

१—श्री एस० एम० सलीम	सम्पूर्णानन्द शिविर, घुर्मा
२—डा० ए० बी० मुकन्द	आदर्श कारागार, लखनऊ
३—डा० एस० के० सूरी	सेंट्रल जेल, नैनी
४—श्री बी० सी० जोशी	सेंट्रल जेल, आगरा
५—श्री पी० एल० पी० चतुर्वेदी	सेंट्रल जेल, बरेली
६—श्री सिया राम मैत्रेय	सेंट्रल जेल, वाराणसी
७—श्री के० के० बलबीर	सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज
८—श्री इम्तियाज हुसेन	सेंट्रल जेल, फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश सभा

बिहार पंचायत सभा